

# High Court of Judicature at Allahabad

## Stamp Report

CNR Number	UPHC050248322025
Token Number	970512025
Token Date	16-01-2025
Party	SMT SWELEHA BEGUM Vs STATE OF UP AND 12 OTHERS
Stamp (Rs.)	100.00
Intime Upto	24-02-2025
Cognizable By	WRIB/SB
Caveat Filed	No
Caveat Detail	
District	RAMPUR
Cause of Action Arises At	ALLAHABAD
Category	-
Remarks, if any	
File Cleared On	17-01-2025
Defect Details	

### Stamp Reporter

Prabhat kushwaha



Verified by:  
SHASHANK

Checked by:  
SUMIT BAGHEL

FOR HON'BLE SENIOR/ANOTHER JUDGES

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE**

at Allahabad

Paper Book  
In the Matter of

Court No. ....

Group ..... B .....

16 JAN 2025

CIVIC MISUP. No. .... 248 of 2025

District..... RAMPUR

SMT SWALEHA BEGUM

{ Petitioner  
Appellants  
Applicants

Versus

State and others

{ Respondents  
Plffs Defdts  
Opposite Party

Date 12/1/2025

B

SS

(Kamesh Kumar Arya)

Advocate, High Court

Advocate Roll No. - A/K-0072/2012

Laibrary Hall Central Table No. 3

High Court, Allahabad

Mobile : 9335123722, 9455470833

Counsel for the .....

Affor



# HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

## UTTAR PRADESH



### Case Token Details

Token No. : 970512025  
CINO : UPHC050248322025  
Case Type : CIVIL12  
Advocate Roll No. : A/K0072/2012  
Advocate Name : KAMESH KUMAR ARYA  
Advocate Mobile No. : 9335123722  
Petitioner Name. : SMT. SWELEHA BEGUM ( Count 1)  
Petitioner Type : INDIVIDUAL  
Pet. Mobile No. :  
Respondent\_Name : STATE OF U.P. AND 12 OTHERS ( Count 13)  
Respondent Type : STATE OF U.P.  
Token Date/Time : 16-01-2025 11:40:22  
Print Date : 16-01-2025 11:40:24

Token Generated By : Avinash kumar

\*This Token is system-generated and does not require any signature.



# PROFORMA FOR FRESH FILLING


1	Category	6ep.B
2	Cognizable by	<input type="checkbox"/> Single Judge/Division Bench/Large Bench
3	District	RANIPUR
4	Petitioner/Appellant/Applicant	Smt SWALEH BEGUM Age 59 Gender F Mobile Nil
5	Respondent	State and/or Age Nil Gender Nil Mobile Nil Email Nil
6	Petitioner Advocate Name and Roll No.	K.K. ARYA P A/Tk. 007212
7	Respondent Advocate Name and Roll No.	C.S.C
8	Notice No. (If any)	A. 2025012677
9	Court Fees paid	100
10	Number of affidavits attached	one
<b>CRIME DETAILS (If Any)</b>		
11	Crime Number and Year	Nil
12	Under Sections	Nil
13	Police Station & Crime, District	Nil
<b>LOWER/HIGH COURT CASE DETAILS (If Any)</b>		
14	Lower/High Court Case No. details	S.A.
15	Lower/High Court Order date	26-11-24
16	Lower/High Court Order passed by	BOARD OF REVENUE
<b>EXTRA PARTIES AND ADVOCATES (Additional sheet if required)</b>		
17	Extra Parties (Petitioner)	Nil
18	Extra Parties (Respondent)	Nil
19	Extra Advocates (Pet) (With Roll No)	Nil
20	Extra Advocates (Res) (With Roll No)	Nil
<b>ACT &amp; SECTIONS (Mandatory)</b>		
21	Title of Ac Involved (Central/State)	U.P.Z.A & L.R Act
22	Sections	331
23	Title of Rule involved (Central/State)	CRAZ
24	(i) Vires of Act/Rule Challenged (Yes/No) Act Rule (ii) Particulars of Case involving similar/identical challenge	Nil
25	Remarks (If any)	Nil

( K.K. ARYA )  
Advocate Name and Signature

For Stamp Reporter office use only \_\_\_\_\_

CNR No. (Unique ID) \_\_\_\_\_

Reporter \_\_\_\_\_



9

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

INDEX

IN

248

OF 2025

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

(Under Article 226 of Constitution of India)

Smt. Swaleha Begum

(DISTRICT- RAMPUR)

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents

\*\*\*\*\*

Sl.	Particulars	Dates	Ann.	Page
1.	Date and Events	12/1/25		1-6
2.	Stay Application U/s 151 of C.P.C.	12/1/25		7-8
3.	Writ petition U/s 226 of the Constitution of India	12/1/25		9-36
4.	A true copy of the Bandobasti map of village.		1	37-38
5.	A True copy of the sale deed.	28.01.2010	2	39-63
6.	A True copy of the khatoni Fasli year 1416-1421 F and khatoni Fasli year 1422-1427F .		3	64-69
7.	A True copy of the sale deed.	15.10.2013	4	70-97
8.	A True copy of the extract of Khatoni 1414/1415F showing Smt. Shayeda Khatoon to be the owner of property khata no. 427, Gata No. 308.		5	98-99
9.	A true copy of the plaint.	01.05.2010	6	100-104
10.	A true copy of the joint Written Statement.	27.01.2011	7	105-109
11.	A True copy of the affidavit of Wahid (the vendor and the original share holder).		8	110-113
12.	A True copy of the statement of Sharif Ahmad.		9	114-117
13.	A True copy of the affidavit filed by the defendant/respondent no. 8 to 12.		10	118-121
14.	A True copy of the judgment and		11	122-126



	preliminary decree deciding the share inter se plaintiff and respondents.			
15.	A True copy of Qurra submitted by the Lekhpal.	28.02.2013	12	127-129
16.	A True copy of the objection filed by plaintiff-respondent no.1.		13	130-138
17.	A True copy of the judgment and decree.	15.06.2013 17.06.2013	14	135-139
18.	A True copy of the order.	29.11.2013	15	140-146
19.	A true copy of the order passed by the learned Member of Board of Revenue.	14.03.2014	16	147-149
20.	A True copy of the separate Khasra and khatoni of the defendant/respondent no.8 to 13.		17	150-151
21.	A True copy of the sale deed.	29.07.2015	18	152-179
22.	A True copy of the impleadment Application and order.	06.03.2020 08.11.2021	19	180-187
23.	A True copy of the order.	26.11.2024	20	188-197
24.	Affidavit	12/11/25		198-200
25.	Vakalatnama	19/12/24		201

Dt. 12/01/2025

कामेश कुमार अर्या  
(KAMESH KUMAR ARYA)

ADVOCATE

Counsel for the Petitioners

Library Hall Table No.3

Enrollment no. U.P.9507/2001

Roll of Advocate- A/K—0072/2012

High Court, Allahabad

Mob. No. 9335123722



(1)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

DATE AND EVENTS

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum


.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents

Sl. No.	Dates	Events
1.		In the year of 1985, the family partition had taken place as per the wishes of the elder members of the family and the northern portion of the plot was given to Wahid, since he was the eldest, the southern portion of the plot no. 306 was given to Bhai Jaan and the middle area of Plot No. 306 was allocated in share of Nanhey and they entered in possession of the property in terms of the family settlement aforesaid. For better narration of facts, the following map is given, so that the controversy may be appreciated properly.
2.		All the three brothers were cultivating their separate piece of land without any dispute or hindrance by any other person, but by passage of time, one of the sharer Nanhey on account of his personal difficulties, has decided to implant popular trees in his share, which is also an admitted fact to the parties, therefore, it is an established fact that every brother was separately cultivating his share and though, there was no partition in the map, but the partition has taken place on spot, wherein, there is absolutely no dispute inter-se brothers.
3.	28.01.2010	Wahid has sold his separate piece of land, which was in his share towards the northern side of Plot No. 306, in favour of the plaintiff/respondent no. 7 vide sale deed aforesaid.
4.	09.03.2010	Thereafter the name of plaintiff/respondent no.7 has been mutated in revenue records in place of Wahid vide order, through mutation case no. 161/2010 and the Khata and Gata numbers have become separate and same has changed in place of khata no. 215, in new numbers as khata no. 432 and Gata no. 306/1 has allotted to the plaintiff/respondent no. 7.
5.	15.10.2013 26.11.2013	In fact, even Nanhey has also sold his property in favour of one Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismail and has specifically stated in the sale deed that he is having the share in the middle of Plot No. 306 and has given the boundaries of the property by specifically mentioning the property owned by Smt. Shayeda Khatoon at northern side of his



2

		land and the property owned by the defendant-appellant at southern side of the land, which is also a matter of record, therefore, it cannot be said that the factum of family partition is an alien fact introduced to the proceeding, and thus cannot be discarded by the courts below and thereafter the name of Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismaile has been mutated in revenue records in place of Nanhe vide order of Tehsildar, through mutation case no. 126/2013-2014 and the Khata and Gata numbers have become separate and same has changed in place of khata no. 215 in new numbers as khata no. 420 and Gata no. 306/2 has alloted to Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismle, which is confirmed by annexure no.3 of this writ petition.
6.	18.12.2017 23.01.2018	Thereafter Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismle has been sold his share to the son of plaintiff/respondent no.7 (Smt. Shayada khatoon) namely Shareef Ahamad and the name of the son of plaintiff/respondent no.7 (Smt. Shayada khatoon) namely Shareef Ahamad has been mutated in revenue records in place of Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismle vide order of the order of Tehsildar, through mutation case no. T2017135917032343.
7.		Thereafter on 09.08.2010 the co-sharer Bhai jaan has been died and the respondent no. 8 to 13 have been substituted in place of Bhai jaan and also the name of respondent no. 8 to 13 have been mutated in revenue records in place of Bhai jaan through report pa ka 11 kha(प.क. 11ख) dated 08.01.2011 of Nayab Tehsildar, and the Khata and Gata numbers have become separate and same has changed in place of khata no. 215 in new numbers as khata no. 295 and Gata no. 306/3 has alloted to the respondent no. 8 to 13.
8.		The sale deed, the boundaries of the piece of land sold in favour of the plaintiff/respondent no.7 has specifically been mentioned and it has specifically pointed out that the piece of land purchased by the plaintiff/respondent no. 7 is (में-मिलान) to her earlier property viz. Property khata no. 427, Gata No. 308, which is also a matter of record.
9.		Since, the property which has been sold in favour of Smt. Shayeda Khatoon was not situated at road side, therefore, it has been sold by Wahid aforesaid against a petty consideration of Rs. 1.00 lacs only and it has specifically been mentioned in the sale deed that the share purchased by the plaintiff-respondent no.7 is (में-मिलान), which is a matter of record, therefore, specific boundaries were given in the sale deed.

(3)

10	28.01.2010 09.03.2010 01.05.2010	Vide sale-deed the Road-side land has never been sold in favour of the plaintiff/respondent no.7, and as per the sale-deed, the plaintiff/respondent no.7 came in possession over the northern side of the property in dispute immediately after execution of sale deed and thereafter has applied for her mutation. As a matter of fact, the name of plaintiff/respondent no.7 was mutated in revenue and immediately thereafter, Smt. Shayeda Khatoon has filed a suit under Section 176 of U.P.Z.A. and L.R. Act, alleging therein that since, there is no partition over the property, therefore, it may be partitioned afresh. It has been alleged in the suit aforesaid that on account of there being no partition, she is not able to cultivate her land separately, whereas, as a matter of fact, this is the admission of the plaintiff/respondent no.7 in her sale deed itself, that she has received the possession of land purchased by her.
11		The suit aforesaid was filed by impleading Bhai Jaan and Nanhey and the remaining brothers/sharers, but immediately after filing of suit, the father of the respondent no. 8 to 12 namely Bhai Jaan had died, therefore, the defendant- respondent no. 8 to 12 were substituted in place of their father and after substitution aforesaid, all the defendants have filed their joint Written Statement, clearly stating therein that no cause to sue arose to the plaintiff as she is already in possession of the land purchased by her. It has also specifically been pointed out that all the three brothers were in possession of their respective pieces of land and it has arrived on record that Smt. Shayeda Khatoon has already cultivated by the piece of land, purchased by her. It has also been stated specifically in the written statement that the trees of popular are standing over the share of Nanhey and now the plaintiff/respondent no.7 is having ill eyes on the trees aforesaid and the road side land as well.
12		Since, the plaintiff has disputed the factum of earlier family partition, as such, the defendant/respondent no. 8 to 12 has adduced the affidavits of all the concerned persons regarding there being an earlier family settlement/ partition of land and their separate possession over the property. As a matter of fact, the defendant- respondent no. 8 to 12 have adduced the affidavit of Wahid (the vendor), who has stated with clarity that there was a Khangi Batwara amongst the brothers/sharers about 25 years ago and he has also stated that the share of his brother Nanhey is consisting popular trees and it was only his piece of land, which was




4

		vacant at northern side and he has never sold a joint holding but, his personal holding with a specific portion to the tune of 1/3 in plot no. 306 and therefore, the land of his brothers are separate. It has also been stated by the vendor Wahid that the plaintiff respondents have purchased the piece of land which is (मेड-मिलान) to her land Gata no. 308 and there is a specific narration of the land being (मेड-मिलान) to the other land of the plaintiff/respondents no.7.
13		The defendant/respondent no. 8 to 12 have also adduced the affidavit of marginal witnesses as evidence namely Affidavit of Sharif Ahmed, who has clearly stated in his evidence that he happens to be the witness of sale deed and it was specifically stated by him that the part of the property, which has been purchased by the plaintiff/respondent no.7 is situated on the northern side and is (मेड-मिलान) to the property owned by the plaintiff/respondents no. 8 to 12 since earlier. Not only this much, but the marginal witnesses of the sale deed has given a specific witness that since popular trees are standing in the share of other brothers and since, the plaintiff is now having her ill eyes upon the trees also, therefore, is alleging a distant and different Qurra in the property.
14		The defendant/respondent no. 8 to 12 have also filed the statement of his own in the shape and form of the affidavit, specifically proving the factum that the family settlement had taken place about 25 years earlier and since, from the date of family settlement, all the three brothers were cultivating the separate piece of land. It has also been proved by the defendant/respondent no. 8 to 12 that the plaintiff has purchased the property situated adjacent to her earlier landed property and she is also in possession over the portion, which has been purchased by her.
15		This fact has invocably arrived on record that there are about 200 trees of popular existing on spot in the share of the defendants and the share/part of the property owned by Wahid (the vendor of plaintiff- respondent) was vacant and it was only the vacant land, which has been purchased by the plaintiff-respondent and no evidence in rebuttal to the above has been adduced by the plaintiff-respondent no.7 at any point of time.
16.		The witnesses of the defendant/respondent no. 8 to 12 have appeared in witness box and they were thoroughly cross examined by the plaintiff, but nothing contrary could arrive on record, whereas, the witnesses of plaintiff have accepted

(S)

		their possession over northern portion of their property and have also accepted the existence of about 200 trees existing on the remaining land owned by the defendants.
17.	02.01.2013	Since, the parties have adduced their evidences, the Trial Court has proceeded to decide the shares, which was admitted to the parties to the tune of 1/3 wherein, there was absolutely no dispute, therefore, the preliminary decree, so far as pertaining to share in the property has arrived before the Trial Court vide decree and judgment.
18.	28.02.2013	After passing of preliminary decree, the Lekhpal has submitted his Qurra.
19.		The plaintiff-respondent no.7 has filed an objection to the Qurra aforesaid to the effect that no share was given to her on road side land, therefore, the Qurra is required to be turned down.
20.	15.06.2013 17.06.2013	The Trial Court has rejected the objection aforesaid on the précised reasons that the possession of the parties on the basis of family partition has not been disputed therefore, since the factum of family partition is admitted to the parties including the vendor of the plaintiff-respondents no.7 thus the objection raised by plaintiff-respondents no.7 have no legal sanctity and thus, has rejected the objection of plaintiff respondents no.7 and has confirmed the quaras vide judgment and decree.
21.	15.06.2013 17.06.2013 29.11.2013	Against the judgment and order and decree the plaintiff/respondent no.7 has filled an appeal before the Additional Commissioner, Moradabad Division, Moradabad being appeal No. 56/2012-13, which has wrongly been allowed by the Additional Commissioner (Judicial), Moradabad Division, Moradabad with a direction that all the parties should be allocated with Qurra in equal proportion on the road side land and thus, has rejected the Qurra earlier confirmed by the Trial Court by misinterpretation by a judgment rendered by Hon'ble Apex Court, which was confined to the actual sharers.
22.	29.11.2013 11.02.2014 14.03.2014	Against the order, passed by Additional Commissioner (Judicial), Moradabad Division, Moradabad, the second appeal has being preferred by the respondent no.8 to 13 being second appeal no 06/2013-2014 before the board of revenue, and same is admitted and the board has passed the order in favour of the respondent no. 8 to 13 by making status-puo on the spot of disputed land.
23.		The most important aspect of the case is that the Khasras are being prepared separately even since inception and the defendant/respondent no.8 to 13 have been shown to be in possession only



✓

6

		over 0.079 hectares of land by specifically mentioning the description of standing 50 trees of popular in share of the appellant, which is a self evidentiary fact that the cultivation on spot is not combined and is separate, therefore, the above factum could not be overlooked by the courts below.
24.	29.07.2015	During the second appeal, the respondent no.8 to 13 has sold their total share of plot no. 306/3 area about 0.0790 hectare with all rights and interest to the petitioner, through sale deed.
25.	06.03.2020 08.11.2021	The petitioner has moved an impleadment Application before the board of revenue in second appeal no. 06/2013-14 and same has been allowed by the board vide his ordre.
26.	26.11.2024	During the hearing to the said second appeal, the learned Member of Board has framed two substantial question of law, one was - <u>क्या पारिवारिक विभाजन के तथ्य को, यदि विक्रेता और बिक्री विलेख के समांत गवाहों सहित पक्षों के समक्ष स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे विक्रेता द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, जो वास्तव में विक्रेता के स्थान पर कदम रख रहा है?</u> and the second was - <u>क्या किसी विक्रेता के लिए विभाजन वाद दायर करने के आधार पर किसी विशिष्ट भूमि का टुकड़ा खरीदने के बाद दूर स्थित किसी बेहतर भूमि के टुकड़े पर दावा करना खला है?</u> , but the learned Member of Board has misinterpreted for the said substantial questions of law and wrongly dismissed the aforesaid second appeal.
27.	26.11.2024	Without applying his judicial mind, the respondent no.2 has make irregulearty in passing the impugned order and the respondent no.2 has wrongly been dismissed the second appeal of the respondent no.8 to 13 and passed the impugned order, which is totally arbitrary unjust, hence the aforesaid impugned order is liable to be quashed by this Hon'ble Court.
28.		Hence this writ petition.

Dt.

12/11/2025

(KAMESH KUMAR ARYA)

ADVOCATE

Counsel for the Petitioner

Library Hall Table No.3

Enrollment no. U.P.9507/2001

Roll of Advocate- A/K—0072/2012

High Court, Allahabad

Mob. No. 9335123722





7

## IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO.

01

OF 2025

(Under Chapter XVII Rules 1 High Court Rules)

On behalf of

Smt. Swaleha Begum

..... Applicant

IN

248

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO

OF 2025

(Under Article 226 of the Constitution of India)

DISTRICT: RAMPUR

Smt. Swaleha Begum Wife of Qumar Khan.

Resident of Mohalla Rasoolpur Naugaza, Tehsil Swar, District-Rampur.

-----Petitioner.


Versus

- Received today  
from  
Lokto  
in  
Vikrant Pandey  
A.W.O. 25 h/2  
O.P. N-6 amu  
16/1/25*
1. State of U.P. through it's Secretary, Department of Revenue Civil Secretariat U.P. at Lucknow.
  2. Board of Revenue, U.P. at Allahabad.
  3. Additional Commissioner (Judicial) Moradabad Mandal Moradabad.
  4. Sub-Divisional Magistrate Swar, District-Rampur.
  5. Tehsildar, Tehsil-Swar, District-Rampur.
  6. Nagar Palika Parishad, Swar, District- Rampur, through its Executive Officer.
  7. Smt. Shayada Khatoon wife of Fazle Ahamad *26/27*
  8. Rahat Jaan son of Late Bhai Jaan
  9. Dulha Jaan son of Late Bhai Jaan
  10. Salamat Jaan son of Late Bhai Jaan
  11. Mohd. Khalid son of Late Bhai Jaan
  12. Mohd. Sadiq son of Late Bhai Jaan
  13. Smt. Jamila wife of Late Bhai Jaan

A 202501 Received  
For Chief Standing Council  
High Court  
16/1/25

Respondent no. 7 to 13 are residing in Mohalla Rasoolpur Naugaza, Tehsil Swar, District- Rampur.

.....-Respondents.



✓

26/27

(8)

To,

The Hon'ble the Chief Justice and his other companion Judges of the aforesaid Court.

The humble application on behalf of the applicant named above most respectfully showeth as under:-

- That the full facts and circumstances of the case have been given in the accompanying writ petition, which forms part of this application.


PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to allow the present stay application and stay the effect and operation of the impugned order dated 26.11.2024 passed by respondent no.2, passed in Second Appeal No.06 of 2013-2014, Computerized Case No. AL2014359991074 (Rahat Jaan Vs. Smt. Shayada Khatoon and others) under section 331 of U.P. Z.A and L.R. Act. and order dated 29.11.2013, passed by Respondent no.3, passed in Appeal no. 56 of 2012-13, (Smt. Shayada Khatoon Vs Rahat Jaan and others), under section 331 of U.P. Z.A and L.R. Act.

It is further prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to direct the respondents not to interfere in peaceful and lawful possession of the petitioner over the plot/Arazi no. 306/3 area about 0.0790 hectare.

And/or to pass any other appropriate order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case, otherwise the applicant shall suffer irreparable loss and injury.

Dated: 12/01/2025

  
KAMESH KUMAR ARYA

Advocate  
Roll No.A/K-0072/12  
Counsel for the Petitioner  
Library Hall Central Table No.3  
High Court, Allahabad  
Mobile No.9335123722

RITESH KUMAR

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

COURT FEE  
IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)


Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



Dt.

12/10/2025

कामेश कुमार अर्या  
(KAMESH KUMAR ARYA)

ADVOCATE

Counsel for the Petitioner

Library Hall Table No.3

Enrollment no. U.P.9507/2001

Roll of Advocate- A/K--0072

High Court, Allahabad

Mob. No. 9335123722



(9)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

248

OF 2025

(Under Article 226 of the Constitution of India)

DISTRICT: RAMPUR

Smt. Swaleha Begum Wife of Qumar Khan.

Resident of Mohalla Rasoolpur Naugaza, Tehsil Swar, District-Rampur.

-----Petitioner.

Versus


1. State of U.P. through it's Secretary, Department of Revenue Civil Secretariat U.P. at Lucknow.  
16/11/25
2. Board of Revenue, U.P. at Allahabad.
3. Additional Commissioner (Judicial) Moradabad Mandal Moradabad.
4. Sub-Divisional Magistrate Swar, District-Rampur.
5. Tehsildar, Tehsil-Swar, District-Rampur.
6. Nagar Palika Parishad, Swar, District- Rampur, through its Executive Officer.
7. Smt. Shayada Khatoon wife of Fazle Ahamad.
8. Rahat Jaan son of Late Bhai Jaan
9. Dulha Jaan son of Late Bhai Jaan
10. Salamat Jaan son of Late Bhai Jaan
11. Mohd. Khalid son of Late Bhai Jaan
12. Mohd. Sadiq son of Late Bhai Jaan
13. Smt. Jamila wife of Late Bhai Jaan

Respondent no. 7 to 13 are residing in Mohalla Rasoolpur Naugaza, Tehsil Swar, District- Rampur.

.....-Respondents

To,

The Hon'ble the Chief Justice and his other companion Judges of the aforesaid court.




प्रतीक्षा रूप

(10)

The humble petition of the above named petitioner Most Respectfully Showeth as under:-

1. That this is the first writ petition of the petitioner before this Hon'ble Court, except the present writ petition, no any other writ petition is pending before this Hon'ble Court for same cause of action.
2. That the petitioner has not received any caveat application, hence no copy of present writ petition is proposed caveator to be served to the counsel for the proposed caveator.
3. That by means of present petition the petitioner is seeking relief before this Hon'ble Court to quash the impugned order dated 26.11.2024 passed by respondent no.2, passed in Second Appeal No.06 of 2013-2014, Computerized Case No. AL2014359991074 (Rahat Jaan Vs. Smt. Shayada Khatoon and others) under section 331 of U.P. Z.A and L.R. Act. and order dated 29.11.2013, passed by Respondent no.3, passed in Appeal no. 56 of 2012-13, (Smt. Shayada Khatoon Vs Rahat Jaan and others) under section 331 of U.P. Z.A and L.R. Act.
4. That in this case the agriculture land of the petitioner in Gata No.306/3 area 0.790 hectare is disputed which is situated in Village Rasoolpur Naugaza, Tehsil Swar, District- Rampur.
5. That the instant writ petition is arising out of a partition suit which has been preferred by the plaintiff/respondent no.7 for division of her purchased land from one of the co-sharer Wahid, but for better narration of facts, it would be appropriate to bring certain important facts before disclosing the actual controversy involved in the instant matter.



✓


श्राद्धनवाजी रुपा

(11)

6. That the property in dispute namely Property Plot/Arazi No. 306 Area 0.239 hectare was originally being owned by Mohd. Nabi and after his death, the same was inherited by his three sons as indicated in the following pedigree:-

Mohd. Nabi  
|-----|  
Bhai Jaan                    Nanhey                    Wahid

7. That in the year of 1985, the family partition had taken place as per the wishes of the elder members of the family and the northern portion of the plot was given to Wahid, since he was the eldest, the southern portion of the plot no. 306 was given to Bhai Jaan and the middle area of Plot No. 306 was allocated in share of Nanhey and they entered in possession of the property in terms of the family settlement aforesaid. For better narration of facts, the following map is given, so that the controversy may be appreciated properly. A true copy of the Bandobasti map of village is being filed herewith and is marked as Annexure No. "1" to this writ petition.



8. That initially, all the three brothers were cultivating their separate piece of land without any dispute or hindrance by any other person, but by passage of time, one of the sharer Nanhey on account of his personal difficulties, has decided to implant popular trees in his share, which is also an admitted fact to the parties, therefore, it is an established fact that every brother was separately cultivating his share and though, there

रामवाज २४

(12)

was no partition in the map, but the partition has taken place on spot, wherein, there is absolutely no dispute inter-se brothers.

9. That on 28.01.2010, Wahid has sold his separate piece of land, which was in his share towards the northern side of Plot No. 306, in favour of the plaintiff/respondent no. 7 vide sale deed dated 28.01.2010. A True copy of the sale deed dated 28.01.2010 is being filed herewith and is marked as Annexure No. "2" to this writ petition.

10. That thereafter the name of plaintiff/respondent no.7 has been mutated in revenue records in place of Wahid vide order dated 09.03.2010, by the order of Nayab Tahsildar, through mutation case no. 161/2010 and the Khata and Gata numbers have become separate and same has changed in place of khata no. 215, in new numbers as khata no. 432 and Gata no. 306/1 has allotted to the plaintiff/respondent no. 7. A True copy of the khatoni Fasli year 1416-1421F and khatoni Fasli year 1422-1427F are being collectively filed herewith and is marked as Annexure No. "3" to this writ petition.

11. That in fact, even Nanhey has also sold his property in favour of one Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismail on 15.10.2013 and has specifically stated in the sale deed that he is having the share in the middle of Plot No. 306 and has given the boundaries of the property by specifically mentioning the property owned by Smt. Shayeda Khatoon at northern side of his land and the property owned by the defendant-appellant at southern side of the land, which is also a matter of record, therefore, it cannot be said that the factum of family partition is an alien fact introduced to the proceeding, and thus cannot

(13)

be discarded by the courts below and thereafter the name of Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismaile has been mutated in revenue records in place of Nanhe vide order dated 26.11.2013 by the order of Tehsildar, through mutation case no. 126/2013-2014 and the Khata and Gata numbers have become separate and same has changed in place of khata no. 215 in new numbers as khata no. 420 and Gata no. 306/2 has allorted to Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismire, which is confirmed by annexure no.3 of this writ petition. A True copy of the sale deed dated 15.10.2013 is being filed herewith and is marked as **Annexure No. "4"** to this writ petition

12. That thereafter on 18.12.2017 Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismire has been sold his share to the son of plaintiff/respondent no.7 (Smt. Shayada khatoon) namely Shareef Ahamad and the name of the son of plaintiff/respondent no.7 (Smt. Shayada khatoon) namely Shareef Ahamad has been mutated in revenue records in place of Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismire vide order dated 23.01.2018 of the order of Tehsildar, through mutation case no. T2017135917032343, which is confirmed by annexure no.3 of this writ petition.

13. That thereafter on 09.08.2010 the co- sharer Bhai jaan has been died and the respondent no. 8 to 13 have been substituted in place of Bhai jaan and also the name of respondent no. 8 to 13 have been mutated in revenue records in place of Bhai jaan through report pa ka 11 kha(प.क. 11ख) dated 08.01.2011 by the order of Nayab Tehsildar, and the Khata and Gata numbers have become separate and same has changed in place of khata no. 215 in new numbers as khata no. 295 and Gata no. 306/3 has allorted to the respondent no.


राजेन्द्र पाट

(14)

8 to 13, which is confirmed by annexure no.3 of this writ petition.

14. That in the sale deed, the boundaries of the piece of land sold in favour of the plaintiff/respondent no.7 has specifically been mentioned and it has specifically pointed out that the piece of land purchased by the plaintiff/respondent no. 7 is (मेड-मिलान) to her earlier property viz. Property khata no. 427, Gata No. 308, which is also a matter of record. A True copy of the extract of Khatoni 1414/1415F showing Smt. Shayeda Khatoon to be the owner of property khata no. 427, Gata No. 308 is being filed herewith and is marked as Annexure No. "5" to this writ petition.

15. That since, the property which has been sold in favour of Smt. Shayeda Khatoon was not situated at road side, therefore, it has been sold by Wahid aforesaid against a petty consideration of Rs. 1.00 lacs only and it has specifically been mentioned in the sale deed that the share purchased by the plaintiff-respondent no.7 is (मेड-मिलान), which is a matter of record, therefore, specific boundaries were given in the sale deed, description of which is given below-



16. That vide sale-deed dated 28.01.2010 the Road-side land has never been sold in favour of the plaintiff/respondent no.7, and as per the sale-deed, the plaintiff/respondent no.7 came

राम बाज रखा

(15)

in possession over the northern side of the property in dispute immediately after execution of sale deed and thereafter has applied for her mutation. As a matter of fact, the name of plaintiff/respondent no.7 was mutated in revenue record on 09.03.2010 and immediately thereafter, on 01.05.2010, Smt. Shayeda Khatoon has filed a suit under Section 176 of U.P.Z.A. and L.R. Act, alleging therein that since, there is no partition over the property, therefore, it may be partitioned afresh. It has been alleged in the suit aforesaid that on account of there being no partition, she is not able to cultivate her land separately, whereas, as a matter of fact, this is the admission of the plaintiff/respondent no.7 in her sale deed itself, that she has received the possession of land purchased by her. A true copy of the plaint dated 01.05.2010 is being filed herewith and is marked as Annexure No. "6" to this writ petition.

17. That the suit aforesaid was filed by impleading Bhai Jaan and Nanhey and the remaining brothers/sharers, but immediately after filing of suit, the father of the respondent no. 8 to 12 namely Bhai Jaan had died, therefore, the defendant-respondent no. 8 to 12 were substituted in place of their father and after substitution aforesaid, all the defendants have filed their joint Written Statement, clearly stating therein that no cause to sue arose to the plaintiff as she is already in possession of the land purchased by her. It has also specifically been pointed out that all the three brothers were in possession of their respective pieces of land and it has arrived on record that Smt. Shayeda Khatoon has already cultivated by the piece of land, purchased by her. It has also been stated specifically in the written statement that the trees of popular are standing over the share of Nanhey and now the

RTT/EO/dst 24/1

(16)

plaintiff/respondent no.7 is having ill eyes on the trees aforesaid and the road side land as well. A true copy of the joint written Statement dated 27.01.2011 filed by the defendants is being filed herewith and is marked as **Annexure No. "7"** to this writ petition.

18. That since, the plaintiff has disputed the factum of earlier family partition, as such, the defendant/respondent no. 8 to 12 has adduced the affidavits of all the concerned persons regarding there being an earlier family settlement/ partition of land and their separate possession over the property. As a matter of fact, the defendant- respondent no. 8 to 12 have adduced the affidavit of Wahid (the vendor), who has stated with clarity that there was a Khangi Batwara amongst the brothers/sharers about 25 years ago and he has also stated that the share of his brother Nanhey is consisting popular trees and it was only his piece of land, which was vacant at northern side and he has never sold a joint holding but, his personal holding with a specific portion to the tune of 1/3 in plot no. 306 and therefore, the land of his brothers are separate. It has also been stated by the vendor Wahid that the plaintiff respondents have purchased the piece of land which is (मेझ-मिलान) to her land Gata no. 308 and there is a specific narration of the land being (मेझ-मिलान) to the other land of the plaintiff/respondents no.7. A True copy of the affidavit of Wahid (the vendor and the original share holder), is being filed herewith and is marked as **Annexure No. "8"** to this writ petition.

19. That the defendant/respondent no. 8 to 12 have also adduced the affidavit of marginal witnesses as evidence

मार्च २०१

(17)

namely Affidavit of Sharif Ahmed, who has clearly stated in his evidence that he happens to be the witness of sale deed and it was specifically stated by him that the part of the property, which has been purchased by the plaintiff/respondent no.7 is situated on the northern side and is (मेंड-मिलान) to the property owned by the plaintiff/respondents no. 7 since earlier. Not only this much, but the marginal witnesses of the sale deed has given a specific witness that since popular trees are standing in the share of other brothers and since, the plaintiff is now having her ill eyes upon the trees also, therefore, is alleging a distant and different Qurra in the property. A True copy of the statement of Sharif Ahmad is being filed herewith and is marked as Annexure No. "9" to this writ petition.

20. That the defendant/respondent no. 8 to 12 have also filed the statement of his own in the shape and form of the affidavit, specifically proving the factum that the family settlement had taken place about 25 years earlier and since, from the date of family settlement, all the three brothers were cultivating the separate piece of land. It has also been proved by the defendant/respondent no. 8 to 12 that the plaintiff has purchased the property situated adjacent to her earlier landed property and she is also in possession over the portion, which has been purchased by her. A True copy of the affidavit filed by the defendant/respondent no. 8 to 12 is being filed herewith and is marked as Annexure No. "10" to this writ petition.

21. That this fact has invocably arrived on record that there are about 200 trees of popular existing on spot in the share of the defendants and the share/part of the property owned by Wahid (the vendor of plaintiff- respondent) was vacant and it

✓

१८० वार्ष २४५

(18)

was only the vacant land, which has been purchased by the plaintiff-respondent no.7 and no evidence in rebuttal to the above has been adduced by the plaintiff-respondent no.7 at any point of time.

22. That the witnesses of the defendant/respondent no. 8 to 12 have appeared in witness box and they were thoroughly cross examined by the plaintiff, but nothing contrary could arrive on record, whereas, the witnesses of plaintiff have accepted their possession over northern portion of their property and have also accepted the existence of about 200 trees existing on the remaining land owned by the defendants.

23. That since, the parties have adduced their evidences, the Trial Court has proceeded to decide the shares, which was admitted to the parties to the tune of 1/3 wherein, there was absolutely no dispute, therefore, the preliminary decree, so far as pertaining to share in the property has arrived before the Trial Court vide decree and judgment dated 02.01.2013. A True copy of the judgment and preliminary decree deciding the share inter-se plaintiff and respondents is being filed herewith and is marked as Annexure No. "11" to this writ petition.

24. That after passing of preliminary decree, the Lekhpal has submitted his Qurra on 28.02.2013. A True copy of Qurra submitted by the Lekhpal dated 28.02.2013 is being filed herewith and is marked as Annexure No. "12" to this writ petition.

25. That the plaintiff-respondent no.7 has filed an objection to the Qurra aforesaid to the effect that no share was given to her on road side land, therefore, the Qurra is required to be

✓ २११३०४/५ अप्रैल २०१४

(19)

turned down. A True copy of the objection filed by plaintiff-respondent no.7 is being filed herewith and is marked as **Annexure No. "13"** to this writ petition.

26. That the Trial Court has rejected the objection aforesaid on the précised reasons that the possession of the parties on the basis of family partition has not been disputed therefore, since the factum of family partition is admitted to the parties including the vendor of the plaintiff-respondents no.7 thus the objection raised by plaintiff-respondents no.7 have no legal sanctity and thus, has rejected the objection of plaintiff respondents no.7 and has confirmed the quaras vide judgment dated 15.06.2013 and decree dated 17.06.2013. A True copy of the judgment dated 15.06.2013 and decree dated 17.06.2013 are being filed herewith and is marked as **Annexure No. "14"** to this writ petition.

27. That against the judgment and order dated 15.06.2013 and decree dated 17.06.2013 the plaintiff/respondent no.7 has filled an appeal before the Additional Commissioner, Moradabad Division, Moradabad being appeal No. 56/2012-13, which has wrongly been allowed on 29.11.2013 by the Additional Commissioner (Judicial), Moradabad Division, Moradabad with a direction that all the parties should be allocated with Qurra in equal proportion on the road side land and thus, has rejected the Qurra earlier confirmed by the Trial Court by misinterpretation by a judgment rendered by Hon'ble Apex Court, which was confined to the actual sharers. A True copy of the order dated 29.11.2013 is being filed herewith and is marked as **Annexure No. "15"** to this writ petition.

२१८०९१३-२४१

20

28. That against the order dated 29.11.2013, passed by Additional Commissioner (Judicial), Moradabad Division, Moradabad, the second appeal has been preferred by the respondent no.8 to 13 being second appeal no 06/2013-2014 before the board of revenue, and same is admitted and on 11.02.2014 and 14.03.2014 the board has passed the order in favour of the respondent no. 8 to 13 by making status-puo on the spot of disputed land. A true copy of the order dated 14.03.2014 passed by the learned Member of Board of Revenue is being filed herewith and is marked as Annexure No. "16" to this writ petition.

29. That the most important aspect of the case is that the Khasras are being prepared separately even since inception and the defendant/respondent no.8 to 13 have been shown to be in possession only over 0.079 hectares of land by specifically mentioning the description of standing 50 trees of popular in share of the appellant, which is a self evidentiary fact that the cultivation on spot is not combined and is separate, therefore, the above factum could not be overlooked by the courts below. A True copy of the separate Khasra and khatoni of the defendant/respondent no.8 to 13 is being filed herewith and is marked as Annexure No. "17" to this writ petition.

30. That during the second appeal, the respondent no.8 to 13 has sold their total share of plot no. 306/3 area about 0.0790 hectare on 29.07.2015 with all rights and interest to the petitioner, through sale deed dated 29.07.2015. A True copy of the sale deed dated 29.07.2015 is being filed herewith and is marked as Annexure No. "18" to this writ petition.

मिशन वर्ज

(21)

31. That thereafter the petitioner has moved an impleadment Application before the board of revenue on 06.03.2020 in second appeal no. 06/2013-14 and same has been allowed by the board vide his order dated 08.11.2021. A True copy of the impleadment Application dated 06.03.2020 and order dated 08.11.2021 are being filed herewith and is marked as **Annexure No. "19"** to this writ petition

32. That during the hearing to the said second appeal, the learned Member of Board has framed two substantial question of law, one was - क्या पारिवारिक विभाजन के तथ्य को, यदि विक्रेता और बिक्री विलेख के समांत गवाहों सहित पक्षों के समक्ष स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे विक्रेता द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, जो वास्तव में विक्रेता के स्थान पर कदम रख रहा है? and the second was - क्या किसी विक्रेता के लिए विभाजन वाद दायर करने के आधार पर किसी विशिष्ट भूमि का टुकड़ा छरीदने के बाद दूर स्थित किसी बेहतर भूमि के टुकड़े पर दावा करना खुला है?, but the learned Member of Board has misinterpreted for the said substantial questions of law and wrongly dismissed the aforesaid second appeal on 26.11.2024. A True copy of the order dated 26.11.2024 is being filed herewith and is marked as **Annexure No. "20"** to this writ petition

33. That without applying his judicial mind, the respondent no.2 has made irregularity in passing the impugned order dated 26.11.2024 and the respondent no.2 has wrongly been dismissed the second appeal of the respondent no.8 to 13 and passed the impugned order dated 26.11.2024, which is totally arbitrary unjust, hence the aforesaid impugned order is liable to be quashed by this Hon'ble Court.

श्री/महान् वक्ता

(22)

34. That without considering the facts of the case and without considering the evidence submitted by petitioner, the respondent no.2 has totally ignored the evidence and wrongly been dismissed the second appeal of the respondent no.8 to 13 and passed the impugned order dated 26.11.2024, which is totally illegal and arbitrary unjust, and same are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

35. That without applying his judicial mind, the respondent no.3 has make irrrgulearty in passing the impugned order dated 29.11.2013 and the respondent no.3 has wrongly been allowed the appeal of the respondent no.7 and passed the impugned order dated 29.11.2013, which is totally arbitrary unjust, hence the aforesaid impugned order is liable to be quashed by this Hon'ble Court.

36. That without considering the facts of the case and without considering the evidence submitted by respondent no.8 to 13, the respondent no.3 has wrongly been allowed the appeal of the respondent no.7 and passed the impugned order dated 29.11.2013, which is totally illegal and arbitrary unjust, and same are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

37. That both the courts below have wrongly exercising his powers and dismissed the second appeal of the respondent no.8 to 13 and wrongly been allowed the appeal of the respondent no.7.

38. That without application of mind the respondent no.2 and 3 have passed the impugned order dated 26.11.2024, and 29.11.2013, which are arbitrary and mala-fide and violation of Article 14 and 16 of the Constitution of India and same are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

27/1 EON 01/31 2024

23

39. That the respondent no.2 and 3 have passed the orders without looking into the matter properly which are quite illegal and same are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

40. That the petitioner is running from pillar to post in redressal of its grievances, but no heed has been paid towards the grievances of the petitioner as such, the petitioner is seeking shelter of this Hon'ble Court in exercise of inherent powers conferred under Article 226 of Constitution of India.

41. That the respondent no.2 and 3 have misinterpreted the evidence submitted by the petitioner and the respondent no. 8 to 13 and passed the orders without looking into the matter properly which are quite illegal and same are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

42. That the respondent no.2 and 3 have totally ignored the evidence submitted by the petitioner and the respondent no. 8 to 13 and passed the illegal orders without looking into the matter properly which are quite illegal and same are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

43. That it is relevant to mention here that the plaintiff-respondent no.7 has filled a suit under Section 176 of U.P.Z.A. and L.R. Act, with consealing the fact that she has purchased the land through sale deed and she is in muteted and also alleging therein that since, there is no partition over the property, therefore, it may be partitioned afresh. It has been alleged in the suit aforesaid that on account of there being no partition, she is not able to cultivate her land separately, whereas, as a matter of fact, this is the admission of the plaintiff/respondent no.7 in her sale deed itself, that she has received the possession of land purchased by her.

प्राप्तवान् २४१

(24)

44. That it is also relevant to mention here that the plaintiff-respondent no.7 has no right to file a suit under Section 176 of U.P.Z.A. and L.R. Act on the purchasing land because she was already mutated and possessed over her purchasing land, but both the below have totally ignored the same and make irregulearty in passing the impugned order dated 26.11.2024 and 29.11.2013, which are totally arbitrary unjust, hence the aforesaid impugned orders are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

45. That it is also relevant to mention here that the plaintiff-respondent no.7 has no right to file a suit under Section 176 of U.P.Z.A. and L.R. Act on the purchasing land because she was already mutated and possessed over her purchasing land, but both the below have not consider this fact and passed the impugned orders dated 26.11.2024 and 29.11.2013, which are totally arbitrary unjust, hence the aforesaid impugned orders are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

46. That the act of the respondents are wholly illegal patently erroneous and against the principal of nature justice.

47. That the act of the respondents are wholly illegal patently erroneous and against the provisions of law.

48. That if no any interim orders have been passed in favour of the petitioner, the petitioner shall suffer irreparable loss and injury.

49. That it is relevant to mention here that the deponent is filing the best papers/document available and typed copy with him and after his best efforts he could not get any better copy of the filed documents alongwith the present writ petition and Hon'ble Court may be pleased to consider then and hear the case on merits in the interest of justice.

21/12/2024


25

50. That since, the plaintiff-respondent no.7 is trying to proceed with the matter hurriedly and is trying to get the quaras prepared in the light of the impugned order, therefore, it is expedient in the interest of justice that the effect, operation & implementation of the decree and judgment dated 29.11.2013 passed by the Additional Commissioner(Judicial), Moradabad Division, Moradabad in Appeal No. 56/2012-13 as well as order dated 26.11.2024 passed by Member(Judicial) Board of Revenue U.P. Prayagraj, passed in Second Appeal no. 06/2013-14/Rampur may be stayed, during pendency of the instant writ petition, in which the petitioner is having full hope of success in this writ petition, so that justice may be done, otherwise the petitioner shall suffer great irreparable loss and injury which cannot be compensated in terms of money.

51. That the petitioner has no other efficacious, alternative and speedy remedy except to approach before this Hon'ble Court, Under Article 226 of the Constitution of India by way of filing present writ petition inter-alia, amongst other grounds:- on the following

#### GROUNDS

A) Because, in the year of 1985, the family partition had taken place as per the wishes of the elder members of the family and the northern portion of the plot was given to Wahid, since he was the eldest, the southern portion of the plot no. 306 was given to Bhai Jaan and the middle area of Plot No. 306 was allocated in share of Nanhey and they entered in possession of the property in terms of the family settlement aforesaid. For better narration of facts, the following map is given, so that the controversy may be appreciated properly.




RITEN DUTTA

B) Because, all the three brothers were cultivating their separate piece of land without any dispute or hindrance by any other person, but by passage of time, one of the sharer Nanhey on account of his personal difficulties, has decided to implant popular trees in his share, which is also an admitted fact to the parties, therefore, it is an established fact that every brother was separately cultivating his share and though, there was no partition in the map, but the partition has taken place on spot, wherein, there is absolutely no dispute inter-se brothers.

C) Because, on 28.01.2010, Wahid has sold his separate piece of land, which was in his share towards the northern side of Plot No. 306, in favour of the plaintiff/respondent no. 7 vide sale deed aforesaid.

D) Because, the name of plaintiff/respondent no.7 has been mutated in revenue records in place of Wahid vide order dated 09.03.2010, through mutation case no. 161/2010 and the Khata and Gata numbers have become separate and same has changed in place of khata no. 215, in new numbers as khata no. 432 and Gata no. 306 / 1 has allotted to the plaintiff/respondent no. 7.

E) Because, in fact, even Nanhey has also sold his property in favour of one Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismail on 15.10.2013 and has specifically stated in the sale deed that he is having the share in the middle of Plot No. 306 and has given the boundaries of the property by specifically mentioning the property owned by Smt. Shayeda Khatoon at northern side of his land and the property owned by the defendant-appellant at southern side of the land, which is also a matter of record, therefore, it cannot be said that the factum of family partition is an alien fact introduced to the proceeding, and thus cannot be discarded by the courts below and thereafter the name of Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismaile has been mutated in revenue records in place of Nanhe vide order dated



દ્રાવણ પત્ર રજી

27

26.11.2013 of Tehsildar, through mutation case no. 126/2013-2014 and the Khata and Gata numbers have become separate and same has changed in place of khata no. 215 in new numbers as khata no. 420 and Gata no. 306/2 has allotted to Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismaile.

F) Because, on 18.12.2017 Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismile has been sold his share to the son of plaintiff/respondent no.7 (Smt. Shayada khatoon) namely Shareef Ahamad and the name of the son of plaintiff/respondent no.7 (Smt. Shayada khatoon) namely Shareef Ahamad has been mutated in revenue records in place of Smt. Nasreen wife of Mohd. Ismile vide order dated 23.01.2018 of the order of Tehsildar, through mutation case no. T2017135917032343,

G) Because, on 09.08.2010 the co-sharer Bhai jaan has been died and the respondent no. 8 to 13 have been substituted in place of Bhai jaan and also the name of respondent no. 8 to 13 have been mutated in revenue records in place of Bhai jaan through report pa ka 11 kha(प.क. 11व) dated 08.01.2011 of Nayab Tehsildar, and the Khata and Gata numbers have become separate and same has changed in place of khata no. 215 in new numbers as khata no. 295 and Gata no. 306/3 has allotted to the respondent no. 8 to 13.

H) Because, in the sale deed, the boundaries of the piece of land sold in favour of the plaintiff/respondent no.7 has specifically been mentioned and it has specifically pointed out that the piece of land purchased by the plaintiff/respondent no. 7 is (मेझ-मिलान) to her earlier property viz. Property khata no. 427, Gata No. 308, which is also a matter of record.

I) Because, the property which has been sold in favour of Smt. Shayeda Khatoon was not situated at road side, therefore, it has been sold by Wahid aforesaid against a petty consideration of Rs.

૧૧૩નાં રૂ. ૨૫૧

1.00 lacs only and it has specifically been mentioned in the sale deed that the share purchased by the plaintiff-respondent no.7 is (मेझ-मिलान), which is a matter of record, therefore, specific boundaries were given in the sale deed.

J) Because, vide sale-deed dated 28.01.2010 the Road-side land has never been sold in favour of the plaintiff/respondent no.7, and as per the sale-deed, the plaintiff/respondent no.7 came in possession over the northern side of the property in dispute immediately after execution of sale deed and thereafter has applied for her mutation. As a matter of fact, the name of plaintiff/respondent no.7 was mutated in revenue on 09.03.2010 and immediately thereafter, on 01.05.2010, Smt. Shayeda Khatoon has filed a suit under Section 176 of U.P.Z.A. and L.R. Act, alleging therein that since, there is no partition over the property, therefore, it may be partitioned afresh. It has been alleged in the suit aforesaid that on account of there being no partition, she is not able to cultivate her land separately, whereas, as a matter of fact, this is the admission of the plaintiff/respondent no.7 in her sale deed itself, that she has received the possession of land purchased by her.

K) Because, the suit aforesaid was filed by impleading Bhai Jaan and Nanhey and the remaining brothers/sharers, but immediately after filing of suit, the father of the respondent no. 8 to 12 namely Bhai Jaan had died, therefore, the defendant- respondent no. 8 to 12 were substituted in place of their father and after substitution aforesaid, all the defendants have filed their joint Written Statement, clearly stating therein that no cause to sue arose to the plaintiff as she is already in possession of the land purchased by her. It has also specifically been pointed out that all the three brothers were in possession of their respective pieces of land and it has arrived on record that Smt. Shayeda Khatoon has already cultivated by the piece of land, purchased by her. It has also been

(29)

stated specifically in the written statement that the trees of popular are standing over the share of Nanhey and now the plaintiff/respondent no.7 is having ill eyes on the trees aforesaid and the road side land as well.

L) Because, the plaintiff has disputed the factum of earlier family partition, as such, the defendant/respondent no. 8 to 12 has adduced the affidavits of all the concerned persons regarding there being an earlier family settlement/ partition of land and their separate possession over the property. As a matter of fact, the defendant- respondent no. 8 to 12 have adduced the affidavit of Wahid (the vendor), who has stated with clarity that there was a Khangi Batwara amongst the brothers/sharers about 25 years ago and he has also stated that the share of his brother Nanhey is consisting popular trees and it was only his piece of land, which was vacant at northern side and he has never sold a joint holding but, his personal holding with a specific portion to the tune of 1/3 in plot no. 306 and therefore, the land of his brothers are separate. It has also been stated by the vendor Wahid that the plaintiff respondents have purchased the piece of land which is (मेड-मिलान) to her land Gata no. 308 and there is a specific narration of the land being (मेड-मिलान) to the other land of the plaintiff/respondents no.7.

M) Because, the defendant/respondent no. 8 to 12 have also adduced the affidavit of marginal witnesses as evidence namely Affidavit of Sharif Ahmed, who has clearly stated in his evidence that he happens to be the witness of sale deed and it was specifically stated by him that the part of the property, which has been purchased by the plaintiff/respondent no.7 is situated on the northern side and is (मेड-मिलान) to the property owned by the plaintiff/respondents no. 8 to 12 since earlier. Not only this much, but the marginal witnesses of the sale deed has given a specific

राजनवाज २४

(30)


witness that since popular trees are standing in the share of other brothers and since, the plaintiff is now having her ill eyes upon the trees also, therefore, is alleging a distant and different Qurra in the property.

N) Because, the defendant/respondent no. 8 to 12 have also filed the statement of his own in the shape and form of the affidavit, specifically proving the factum that the family settlement had taken place about 25 years earlier and since, from the date of family settlement, all the three brothers were cultivating the separate piece of land. It has also been proved by the defendant/respondent no. 8 to 12 that the plaintiff has purchased the property situated adjacent to her earlier landed property and she is also in possession over the portion, which has been purchased by her.

O) Because, this fact has invocably arrived on record that there are about 200 trees of popular existing on spot in the share of the defendants and the share/part of the property owned by Wahid (the vendor of plaintiff- respondent) was vacant and it was only the vacant land, which has been purchased by the plaintiff-respondent and no evidence in rebuttal to the above has been adduced by the plaintiff-respondent no.7 at any point of time.

P) Because, the witnesses of the defendant/respondent no. 8 to 12 have appeared in witness box and they were thoroughly cross examined by the plaintiff, but nothing contrary could arrive on record, whereas, the witnesses of plaintiff have accepted their possession over northern portion of their property and have also accepted the existence of about 200 trees existing on the remaining land owned by the defendants.

Q) Because, the parties have adduced their evidences, the Trial Court has proceeded to decide the shares, which was admitted to the parties to the tune of 1/3 wherein, there was absolutely no



21301974

(31)


dispute, therefore, the preliminary decree, so far as pertaining to share in the property has arrived before the Trial Court vide decree and judgment dated 02.01.2013.

R) Because, after passing of preliminary decree, the Lekhpal has submitted his Qurra on 28.02.2013.

S) Because, the plaintiff-respondent no.7 has filed an objection to the Qurra aforesaid to the effect that no share was given to her on road side land, therefore, the Qurra is required to be turned down.

T) Because, the Trial Court has rejected the objection aforesaid on the précised reasons that the possession of the parties on the basis of family partition has not been disputed therefore, since the factum of family partition is admitted to the parties including the vendor of the plaintiff-respondents no.7 thus the objection raised by plaintiff-respondents no.7 have no legal sanctity and thus, has rejected the objection of plaintiff respondents no.7 and has confirmed the quaras vide judgment dated 15.06.2013 and decree dated 17.06.2013.

U) Because, against the judgment and order dated 15.06.2013 and decree dated 17.06.2013 the plaintiff/respondent no.7 has filled an appeal before the Additional Commissioner, Moradabad Division, Moradabad being appeal No. 56/2012-13, which has wrongly been allowed on 29.11.2013 by the Additional Commissioner (Judicial), Moradabad Division, Moradabad with a direction that all the parties should be allocated with Qurra in equal proportion on the road side land and thus, has rejected the Qurra earlier confirmed by the Trial Court by misinterpretation by a judgment rendered by Hon'ble Apex Court, which was confined to the actual sharers.



मुख्यमंत्री कृष्ण

(32)

V) Because, against the order dated 29.11.2013, passed by Additional Commissioner (Judicial), Moradabad Division, Moradabad, the second appeal has been preferred by the respondent no.8 to 13 being second appeal no 06/2013-2014 before the board of revenue, and same is admitted and on 11.02.2014 and 14.03.2014 the board has passed the order in favour of the respondent no. 8 to 13 by making status-puo on the spot of disputed land.

W) Because, the most important aspect of the case is that the Khasras are being prepared separately even since inception and the defendant/respondent no.8 to 13 have been shown to be in possession only over 0.079 hectares of land by specifically mentioning the description of standing 50 trees of popular in share of the appellant, which is a self evidentiary fact that the cultivation on spot is not combined and is separate, therefore, the above factum could not be overlooked by the courts below.

X) Because, during the second appeal, the respondent no.8 to 13 has sold their total share of plot no. 306/3 area about 0.0790 hectare on 29.07.2015 with all rights and interest to the petitioner, through sale deed dated 29.07.2015.

Y) Because, the petitioner has moved an impleadment Application before the board of revenue on 06.03.2020 in second appeal no. 06/2013-14 and same has been allowed by the board vide his order dated 08.11.2021.

Z) Because, the learned Member of Board has misinterpreted for the said substantial questions of law and wrongly dismissed the aforesaid second appeal on 26.11.2024.

AA) Because, without applying his judicial mind, the respondent no.2 has made irregularity in passing the impugned order dated

प्रतिवाद पत्र

(33)

26.11.2024 and the respondent no.2 has wrongly been dismissed the second appeal of the respondent no.8 to 13 and passed the impugned order dated 26.11.2024, which is totally arbitrary unjust, hence the aforesaid impugned order is liable to be quashed by this Hon'ble Court.

AB) Because, without considering the facts of the case and without considering the evidence submitted by petitioner, the respondent no.2 has wrongly been dismissed the second appeal of the respondent no.8 to 13 and passed the impugned order dated 26.11.2024, which is totally illegal and arbitrary unjust, and same are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

AC) Because, without applying his judicial mind, the respondent no.3 has make irrgulearty in passing the impugned order dated 29.11.2013 and the respondent no.3 has wrongly been allowed the appeal of the respondent no.7 and passed the impugned order dated 29.11.2013, which is totally arbitrary unjust, hence the aforesaid impugned order is liable to be quashed by this Hon'ble Court.

AD) Because, without considering the facts of the case and without considering the evidence submitted by respondent no.8 to 13, the respondent no.3 has wrongly been allowed the appeal of the respondent no.7 and passed the impugned order dated 29.11.2013, which is totally illegal and arbitrary unjust, and same are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

AE) Because, both the courts below have wrongly exercising his powers and dismissed the dismissed the second appeal of the respondent no.8 to 13 and wrongly been allowed the appeal of the respondent no.7.

ગુણજી ૨૪૧

34

AF) Because, without application of mind the respondent no.2 and 3 have passed the impugned order dated 26.11.2024, and 29.11.2013, which are arbitrary and mala-fide and violation of Article 14 and 16 of the Constitution of India and same are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

AG) Because, the respondent no.2 and 3 have passed the orders without looking into the matter properly which are quite illegal and same are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

AH) Because, the petitioner is running from pillar to post in redressal of its grievances, but no heed has been paid towards the grievances of the petitioner as such, the petitioner is seeking shelter of this Hon'ble Court in exercise of inherent powers conferred under Article 226 of Constitution of India.

AI) Because, the respondent no.2 and 3 have misinterpreted the evidence submitted by the petitioner and the respondent no. 8 to 13 and passed the orders without looking into the matter properly which are quite illegal and same are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

AJ) Because, the respondent no.2 and 3 have totally ignored the evidence submitted by the petitioner and the respondent no. 8 to 13 and passed the illegal orders without looking into the matter properly which are quite illegal and same are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

AK) Because, the plaintiff-respondent no.7 has filled a suit under Section 176 of U.P.Z.A. and L.R. Act, with concealing the fact that she has purchased the land through sale deed is in muteteded and

গুরুত্বপূর্ণ

35

also alleging therein that since, there is no partition over the property, therefore, it may be partitioned afresh. It has been alleged in the suit aforesaid that on account of there being no partition, she is not able to cultivate her land separately, whereas, as a matter of fact, this is the admission of the plaintiff/respondent no.7 in her sale deed itself, that she has received the possession of land purchased by her.

AL) Because, the plaintiff-respondent no.7 has no right to file a suit under Section 176 of U.P.Z.A. and L.R. Act on the purchasing land because she was already mutated and possessed over her purchasing land, but both the below have made irregularity in passing the impugned order dated 26.11.2024 and 29.11.2013, which are totally arbitrary unjust, hence the aforesaid impugned orders are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

AM) Because, the plaintiff-respondent no.7 has no right to file a suit under Section 176 of U.P.Z.A. and L.R. Act on the purchasing land because she was already mutated and possessed over her purchasing land, but both the below have not consider this fact and passed the impugned orders dated 26.11.2024 and 29.11.2013, which are totally arbitrary unjust, hence the aforesaid impugned orders are liable to be quashed by this Hon'ble Court.

AN) Because, the act of the respondents are wholly illegal patently erroneous and against the principal of nature justice.

AO) Because, the act of the respondents are wholly illegal patently erroneous and against the provisions of law.

21/12/2024

(36)

**PRAYER**

It is, therefore, Most Respectfully Prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to:

- i) Issue a writ, order or direction in the nature of certiorari to quash the impugned order dated 26.11.2024 passed by respondent no.2, passed in Second Appeal No.06 of 2013-2014, Computerized Case No. AL2014359991074 (Rahat Jaan Vs. Smt. Shayada Khatoon and others) under section 331 of U.P. Z.A and L.R. Act. and order dated 29.11.2013, passed by Respondent no.3, passed in Appeal no. 56 of 2012-13, (Smt. Shayada Khatoon Vs Rahat Jaan and others) under section 331 of U.P. Z.A and L.R. Act. And confirm the order dated 15.06.2013, passed by respondent no. 4, passed in case no. 12/2010-11, under section 176 of U.P. Z.A and L.R. Act. (Smt. Shayada Khatoon Vs Rahat Jaan and others).
- ii) Issue any other suitable writ, order or direction, which this Hon'ble Court may deem fit and proper under circumstance of the case.
- iii) Award cost of the writ petition to the petitioner.

Dated: 12/01/2025

०१२०२५/१२३८८

(KAMESH KUMAR ARYA)

Advocate

Roll No.A/K-0072/12  
Counsel for the Petitioner  
Library Hall Central Table No.3  
High Court, Allahabad  
Mobile No.9335123722



११३०१८१

(37)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. (1 )

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents




१८०७/१५/२०२१

ANNEXURE NO. "1"

26  
38

नोटः जिनाधिकारी महोदय के आदेशानुसार

मुख्य का छाया प्रात जारी को पर्याप्त



- 3802

  - १- बाईचिपि उड़ा - २००८/२००९
  - २- बाई का साथ...स्टूडेंट्स मैल २००८/२००९
  - ३- प्रायंका पथ देने लो तिथि... १५/५/२००९
  - ४- मर्दों की रुद्धा... भारता प्रांत
  - ५- स्टार्प की कोशल... २००८/२००९
  - ६- प्रशिक्षियि हमारे करने का विशेष - ५/५/२००९
  - ७- इहिचिपि बाई करने का दिनांक - २१/५/११

प्रातंत्र्य प्रातंत्र्य

११९७१।।



ADVOCATE  
NO. U.P. 07152/23  
REG. OF COMMISSIONER  
S. A. Thabede  
1994

15110

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

(39)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. (2)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



१८०७१३ २५

५०

### विक्रय-पत्र

दर प्रति हेक्टेयर 800000 एकड़

विक्रय पत्र कीमती 100000/- बाजारी मूल्य 158000/- स्टाम्प 9500

यह कि मैं वाहिद पुत्र मौ० नवी निं० गण मौहलला रसूलपुर नौगजा तह० स्वार जिला- रामपुर जाति- मोमिन अन्सारी P.O. स्वार डाकघर स्वार का है।

यह कि मैं नीचे लिखी सम्पत्ति का, स्वामी हूँ। मुझे इस सम्पत्ति को बेचने का पूर्ण अधिकार है निम्न विक्रय जाने याली सम्पत्ति सब प्रकार के भार से मुक्त है मेरे अतिरिक्त इस सम्पत्ति का कोई अन्य स्वामी नहीं है इस सम्पत्ति में मेरे अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई हक नहीं है मैं शेडयूल ड्राइव का सदस्य नहीं हूँ दिने स्वस्थ मन चित एवं स्वेच्छा से निम्न सम्पत्ति को-.....

श्री.. श्रीमति शायदा खातून पत्नी श्री फजले अहमद निवासी, मौहलला रसूलपुर नौगजा तह० स्वार जिला- रामपुर | जाति तुर्क डाक० स्वार के हाथ 100000/- (रूपये शब्दों में) है: एक लाख रूपये मैं जिन्हें आधे 500000/- (रूपये शब्दों में) पचास हजार रूपये होते हैं। बेच दिया और विक्रय धन न प्राप्ती निम्न प्रकार है:-  
यह कि मैंने समस्त विक्रयधन, मुल्लिग 100000 रूपये पूर्व वसूल पा लिआ है।

यह कि इस विक्रय पत्र द्वारा मैंने विक्रय सम्पति से सम्बद्ध समस्त स्वामित्व व अधिकार क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है कोई विषय सुरक्षित नहीं रखा है और विक्रीत सम्पत्ति पर अपना सपस्त कब्जा क्षेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब मेरे समस्त अंतराधिकारियों का निम्नलिखित विक्रांत सम्पत्ति पर किसी प्रकार शेष नहीं रह गया।

यह कि यदि भविष्य में क्रेतागण/अपना समस्त कब्जा विक्रेता के अधिकार और स्वामित्व में किशी दोष के कारण निम्नलिखित विक्रीत सम्पत्ति पर न पाये या कोई भार बरामद हो तो विक्रय धन पर विधित हुर्जा चखर्जा सहित लौटने तथा उस के समस्त कानूनी जिम्मेदारी मुझ विक्रेता व मेरे समस्त उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्नों पर होगा।

श्री दूष्ट वाज रेखा

मुमुक्षु

५१

अतः विक्रय पत्र लिपिबद्ध कर दिया कि प्रमाण रहे विवरण विक्रय सम्पत्ति  
स्थित वाकै ग्राम रसूलपुर नौगजा तहसील (रामपुर)  
खेतनं. 306 रकवा 0.0239 है० लगान 11.80 है० जीरो पॉइंट दो सौ  
उन्तालीस है० का 1/3 एक बटा तीन भाग अपना हिस्सा बेचा है।  
नोट- विक्रीत आराजी नगर पालिका परिषद सवार की सीमा से बाहर है  
प्रमाण पत्र संलग्न है।

नि० अंगूठा

वाहिद

नि० अंगूठा

श्रीमति शायदा खातून

साक्षी

शरीफ अहमद

पुत्र हाजी शब्बीर

निवासी, मौहलला रसूलपुर नौगजा

तह० स्वार जिला- रामपुर

साक्षी

फजले अहमद

पुत्र हबीब अहमद

निवासी, मौहलला रसूलपुर नौगजा

तह० स्वार जिला- रामपुर

आज दिनांक 28/1/2010 ई० को लिखा बा का शमशाद अहमद द्वारा  
कराकर उन्होंना 200/2 मापी गयी

प्रस्तुतकर्ता/बिक्रेता का नाम व् पता --- वाहिद पुत्र मौ० नवी नि० गाम  
रसूलपुर नागना रहसील स्वार जिला रामपुर

क्रेता का नाम व् पता -- श्रीमति शायदा खातून पत्नी श्री फजले अहमद  
निवासी, मौहलला रसूलपुर नौगजा तह० स्वार जिला- रामपुर



श्री अद्वितीय वाज़ूदा

ANNEXURE NO. "2"

42

४०००००/- रुपये	विक्रय-पत्र	५५५
१००६००/-	राजस्व संबंध	८८४
३०००००/- विक्रय	स्थाय ७५००/- पद दरमाया	१९-

वार्षिक वार्षिक संस्था नवीनीकरण ग्राम समुदाय पर नाम  
वार्षिक संस्था नवीनीकरण ग्राम समुदाय पर नाम

यह कि मेरी चिन्हांक सम्पत्ति का सामाजिक विभाग इस सम्पत्ति को बेचने वा पूर्ण अधिकारी बनाए है। यह विभाग यही जाने वाली सम्पत्ति का ग्राहक व्यक्ति को उपलब्ध कराता है। यह विभाग यही जाने वाली सम्पत्ति का ग्राहक व्यक्ति को उपलब्ध कराता है। यह विभाग यही जाने वाली सम्पत्ति का ग्राहक व्यक्ति को उपलब्ध कराता है। यह विभाग यही जाने वाली सम्पत्ति का ग्राहक व्यक्ति को उपलब्ध कराता है।

माती ब्राह्मण राजन परामी फजल इमंदे निवास  
मोहिला रसुल J.I. नोगड़ निवास रखा। यांचा बाहु  
जाति तड़ी दृष्टि

रुपये सात हजार एक सौ चाला रुपये सात हजार एक सौ चाला  
 रुपये सात हजार एक सौ चाला रुपये सात हजार एक सौ चाला  
 रुपये सात हजार एक सौ चाला रुपये सात हजार एक सौ चाला

पर्याप्त रूप से विस्तृत विवरण देना चाहिए।

यह कि दूसरा मिलन वर्ष द्वारा मैंने विकल्प समाजी सं सम्बद्ध समाजी संघानित र अधिकारी ग्रन्थों  
द्वारा प्रकाशित कर दिया है। काफ़ इसका व्युत्पादन नहीं किया गया है, और विभिन्न समाजी पर अपनी समृद्धि का कामान्दिली का  
प्रतिनिधित्व कर दिया है। उन्हें द्वारा उत्तराधिकारियों को नियन्त्रणित विभिन्न संघानित पर अपनी सम्बद्ध  
कार्यों का अप्रकाशन रखनी चाही रहा गया है।

४८ कि यादि ग्राम्य र ग्रामीण/अपनी सारांश कला विज्ञान के ग्राहिकों द्वारा उपयोग में लिया जाए तो वर्तमान निम्नलिखित विकास स्तरपत त पर्याप्त बाहर कराया हो तो विकल्प पन्थ पद विधियाँ इन्होंने वर्तमान सारांश लिया उसके सम्बन्ध में लिया गया व से समस्त उत्तरियाँ ऐसे रूप प्रस्तुत की हैं।

आतः याहू निराकार च त्रिपुरा कर दिया एक प्रमाण द्वारे विवरण विभाग सम्पादि रिपोर्ट लाभेत्।

तात्पर्यालं रूपी/१ विलासमुद्देश्य  
१०८/११.१२.६२

रामलीला ॥ १० ॥

३०८ गोदारा २३९ है लाख पाँच हांसा उनकालामुहूर्त का

११३ आग रुक्क वर्षा तो कर्मान्वय अन्यत्र विद्युत् विद्युत्

નાર વિદ્યાળ અસ્થિત્વ પૂર્ણ ના જો રહી હૈ તે બિલુપુર કે પાછાના

*1871-1872*

*Brachyponeranigrita* (Fabricius) *var.* *nitidula* (Fabricius)

الله يحيى العرش

21145 21145  
C 21145 21145

କୁଳାଳ ପରିମା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ମହାକବି ରମେଶ କାର୍ଣ୍ଣା

—प्र०—

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The laser beam passes through a lens and a polarizer, and is focused onto the sample surface by a lens. The reflected light is collected by a lens and focused onto a photomultiplier tube.

*Scutellaria* *lanceolata* L. (Labiatae) - *Lanceolate skullcap*

66-812

مکالمہ جان

Digitized by srujanika@gmail.com

813

১৩১

श्री देवदत्त राय

43

17  
१९८०



E 5945

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



PHOTOGRAPH



76




प्रमाणित अंगुष्ठी



66 - 211

प्रमाणित अंगुष्ठी



प्रांगनवाज २४

(64) 13

STRENGTH INDIA

• 3 2010

१५ वृत्तिम्

₹. 500



**FIVE HUNDRED  
RUPEES**

## पाँच रसों रूपरे

Rs. 500

## **INDIA NON JUDICIAL**

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


E 594530

Locality: 28

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଲିମଟେଡ୍




٦٦ (م)




ଶ୍ରୀଦେବତାଜିରବା

४६



Uttar Pradesh

Uttar Pradesh



(असंगत)

प्राप्ति का दर्शक

(47)



देश UTTAR PRADESH

E 594527

Ph. ९०६४

G. ३०५८। ५०७

०६८८१

महानवाज रषा

88

(48)

245

भारतीय गोपन्याचिक

भारत INDIA

₹. 500

FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

देश UTTAR PRADESH

E 594528

1.56 :- / 2 मा. —

फॉर्म नं. ६६६  
प्रा. २११५२३ वा०८८८



06-11-2011

प्राइवेट रज.



४९




प्रदेश UTTAR PRADESH

I 594525



६६-२०१

शासनवाल रा



राज्य उत्तर प्रदेश

E 594526

१.४ —

21/4/2017




66 (جتنی)

11/1/2017



(SI)

211



66 C-211

प्रादेश वर्ग रुपा

(52)

710

भारतीय गैर-न्यायिक

भारत INDIA

₹. 500

FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

RS. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 594523

21/12/2015

21/12/2015




OB C 201

21/12/2015

53

315



06(21)

21130415 241

54



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 594538

— अ. वा० ५ — ( २१५८। वा० ५ )

०६-२०११

२१३०७१३ २४८



55

219

भारतीय गैरन्यायिक

आर्द्र इंडIA

₹ 500



**FIVE HUNDRED  
RUPEES**

पूर्वी रुद्री

Rs. 500

## INDIA NON JUDICIAL

## उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 594534

12

Dr. S. J. S.

2112414101

1

— 1 —


四九

ଶ୍ରୀଦେବପାତ୍ରକା



(56)


521



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 594521

1. लोटी  
2. २१८५१ मिया



०६-३-११

श्री १३ नवंबर २०११

उत्तर प्रदेश न्यायिक

भारत INDIA

₹. 500

FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

641 -

Mr. ४७८० Date. २१.८.६१ १०३५७




०६२२१

२१८७०१५ २४

58

325



०८ (३०)

२१३०७८८८८

59

239

भारतीय ग्रन्थालयिक

भारत INDIA

₹. 500



FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

RS. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 594537

19 जून

क्रमांक १११६३६



19 जून २०११




06C-911

शाहबाज रखी

(60)

928



M. 500  
21/11/1987


✓



66 C-211

शादबगत दस्ता

(61)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 394534



06 C-111

कालावड़ २३०

62

930


रजिस्ट्रेशन अधिनियम..... 1908 की धारा 32, ए के अनुसार

रजिस्ट्रेशन हेतु किंग्स फिल्स


सुनपता/विकला का नाम य पता

लाइल डॉ. मो. जॉ. निंदा  
रहिंपुर जौहाजा ता. रनार

ताथ के अंगुलियों के चिन्ह....




ताथ के अंगुलियों के चिन्ह....




सुनपता/विकला का नाम य पता लाइल डॉ. मो. जॉ. निंदा  
रहिंपुर जौहाजा ता. रनार

ताथ के अंगुलियों के चिन्ह....



ताथ के अंगुलियों के चिन्ह....



१०३७७४८



१०३७७४८

(63)

225

मानचित्र.....भूवण्ड

मिन खसरा संख्या..... ३०६

सि २ सूखपुर जोगला ता० २-नार

क्षेत्रा २ सूखपुर

प्रणा० २-नार

लोतपोरा  
लोम्पा क्षेत्रा मेच प्रभाव  
लोतपोरा  
लोम्पा क्षेत्रा

पश्चिम

लोतपोरा - ३०६
दक्षि० ० २३१ २० नार
लोम्पा क्षेत्रा गोपनीय

उत्तर

पश्चिम

पश्चिम क्षेत्रा  
पश्चिम क्षेत्रा

तापीट


पूर्व

२०. अपदा लोतपोरा

५० क्षेत्रा

M  
260914  
2023

151 ११८  
शादववाज रषा



(64)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. (3)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



२१३०७५२८८

### उद्धरण खतोनी

ग्राम पंचायतक : 17030317302	ग्राम का नाम : रसूलपुर नौमजा	परगना स्वार	तहसील : स्वार	
जनपद : रामपुर	फसली वर्ष : 1416-1421	भाग : 1		
खाता खातेदार का नाम खलौनी संख्या	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिका अधिकार प्राप्ति होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खत्तरा संख्या
				प्रत्येक गाटे का शेषफल ( है )

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमियाँ के अधिकार में हो।

00215	भाइ जान वालिद नन्हे	मो0 नवी मो0 नवी मो0 नवी	नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम	1384क.	306	0.2390	1417F आदेशानुसार श्रीमान N.T.S नहोदय वाद स016/ /दि0 9.3.10 के अदेश हुआ कि गाटा स0 306/ 0.239हे0 ल0 11 80 का 1/3 भाग अपना हिस्से से वाहिं पुर मो0 नवी नि0 याम का नाम करा जाकर उसके उसके स्थान पर बैगामा दि028.1.10 के अधार पर श्रीमती शायदा खात्तुन पन्ने कराने अहम नि0 याम का नाम दर्ज हो । 29.3.10
							1418F आदेशानुसार श्रीमान N.T.S नहोदय द्वारा प्रपत्र प.क. 117 दि0 8.1.11 के अन्तर्गत खाता 215 से मुत्तक भाइजाम के स्थान पर खातेदार , दूलजाम , दूलामत जान , मो0 छालिद , मो0 सालिक पुरुष श्रीमती भाईजान व श्रीमती जयेना फरी पाई जान नि0 ग्राम का नाम करार वारिस दर्ज हो । 19.1.11



31-7-14  
कृत्यालय राजस्थान  
तहसील स्वार  
जिला सचिव  
राजस्थान  
स्वार जनपद रामपुर की खाता स0 215 के गाटा स0 1  
रो 306/1 रकम 0.080हे0 लागत  
3.94हे0 श्रीमती शायदा खात्तुन पन्ने कराने अहम  
नि0 याम को व कुर्ता न0 2 रो रहा गाटा स0 306/2  
रकम 0.080हे0 लागत 3.93हे0 नवी पुर मो0 नवी  
नि0 याम को व कुर्ता न0 3 रो पीला गाटा स0 306/3

ग्राम क्रमांक : 17030317302

जनपद : रामपुर

ग्राम का नाम : रसूलपुर नोंगजा

फसली वर्ष : 1416-1421

परगना स्वार  
भाग : 1

तहसील : स्वार

खाता खातेदार का नाम  
खट्टरी नाम  
क्रम संख्या

पिता / पति /  
संरक्षक का नाम

निवास स्थान

भौमिक अधिकार  
प्राप्त होने का  
दस्ती वर्ष

खाते के प्रत्येक  
गाटे की खसरा  
संख्या

प्रत्येक  
गाटे का  
क्षेत्रफल  
( हें.)

खातेदार  
द्वारा देव  
मालपूजारी  
या लगान  
वाले अधिकारी का पद

टिप्पणी

शाहजहां

2

3

4

5

6

7-12

13

कुल गाटे : 1 कुल क्षेत्रफल : 0.2390

रक्वा 0.079 हें 0 लगान 3.93 राहा जान व दूला जान  
व सलामत जान व मौरी खालिद व मौरी सारिक पुराण  
भाईगान व श्रीमती जमील पर्सी भाईगान जै 0 ग्राम को  
आवंटित किये जाते हैं। 12.07.2013

11.80



31-7-13



[http://164.100.230.206/binulekh/app/tehsil/report\\_user/ROR\\_Tehsil.jsp](http://164.100.230.206/binulekh/app/tehsil/report_user/ROR_Tehsil.jsp)

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 218334201804224

ग्राम क्रमांक : 218334		ग्राम का नाम / परगना : रस्सलपुर लौगंज(स्वार)	तहसील : स्वार	जनघट : रामपुर	फसली वर्ष : 1422-1427	भाग : 1
खाता	खातेदार का नाम / रिता परि संरक्षक का नाम / निवास स्थान	परिमिक	खाते के प्रत्येक	खातेदार द्वारा देय	परिवर्तन सम्बन्धी अज्ञा या उसका सारांश उनकी हस्ता	टिप्पणी
खत्मीनी		अधिकार	प्रत्येक गाटे का	देय	तथा दिनांक सहित और अज्ञा देने वाले अधिकारी का	
क्रम		प्रारम्भ	गाटे की श्रेणीकरण	मात्रागुण्डारी	पद	
संख्या		होने का वर्ष	खसरा	वा लंबान		
1	2	3	4	5	6	7-12
13						
प्रेणी : 1-क / भूमि जो संकेतिष्ठ भविष्यदों के अधिकार में हो।						
00432	श्रीमती शायदा खात्सु / फजले अहमद / वि. ग्राम	1384क.	306/1	0.0800	1423भ० अदेशाल्लाह न्यायालय अप्र. अकुल (पालिका) मुद्रालाल्लाह संपर्क सं. 56/2012-13 शायदा खात्सु बनाम गहर जान अर्जि अंदेश दि 29.11.2013 / श्रीमत तहसीलदार स्वार अदेश दि 0. 20.08.2015 के अस्तर उत्तरोक विवेचना के अधार पर अप्रि स्वीकार की जाती है। न्यायालय परामर्शदाती स्वरूप	
					का प्रकार अदेश दि 0 15.06.2013 निरस्त किया जाता है। तथा बाद अवर न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेकित किया जाता है कि तीनों पक्षों को इस प्रकार के कुर्ते अप्रित दिये जाये विसमें कर्जे एवं मालियत के साथ साथ उनके अंतर्गत में सङ्केत का भाग समान रूप से प्राप्त हो सके। 22.08.2015	

— अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति — अस्ति अस्ति अस्ति

卷之三十一

—  
—  
—

सक्षम अधिकारी: VIVEK S


रहस्यालः स्वार जनपदः रामपुर  
मित्रांशु पाठ ग्रन्थः ०२-०४-२०१९ ११:३७:३६

① यह उदाहरण खत्तीनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा दैवाकार की गयी है तथा डटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।



### उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 218334201804226



(70)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. ( 4 )

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum .....Petitioner

Versus

State of U.P. and others .....Respondents



२१३००७३ २८१

पृष्ठ सं 39 सामान्य भूमि कोड सं 1013

विक्रय पत्र

दर प्रति हेठा 4500000/-रु०

विक्रय पत्र कीमती 360000/- बाजारी मूल्य 360000/- स्टाम्प  
14500/- पत्र संख्या 09

यह कि मैं नन्हे पुत्र मौ० नवी निवासी मौहल्ला रसूलपुर - नौगजा तहा०  
स्वार जिला रामपुर जाति मोमिन अन्सार डाकघर का है।

यह कि मैं नीचे लिखी सम्पत्ति का स्वामी हूँ। मुझे इस सम्पत्ति को  
बेचना का पूर्ण अधिकार प्राप्त है निम्न विक्रय जाने वाली सम्पत्ति सब  
प्रकार के भार से मुक्त है मेरे अतिरिक्त इस सम्पत्ति का कोई अन्य स्वामी  
नहीं है इस सम्पत्ति में मेरे अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार का  
कोई हक नहीं है मैं शेडयूल ट्राइव का सदस्य नहीं हूँ मैंने स्वस्थ मन चित  
एवं स्वेच्छा से निम्न सम्पत्ति को—

श्रीमती नसरीन पत्नी मौ० इस्माईल निवासी मौहल्ला काशीपुर तहा० स्वार  
जिला रामपुर

के हाथ 360000/- (रुपये शब्दो में) तीन लाख साठ हजार रुपये में जिन्हे  
आधे 180000/- (रुपये शब्दो में) एक लाख अस्सी हजार रुपये होते हैं।  
बेच दिया और विक्रय धन की प्राप्ती निम्न प्रकार है—

यह कि समस्त धन अंकन 360000/- रुपये रुबरुह गवाहान के सामने  
पहले वसूल पाये मैंने।

यह कि इस विक्रय-पत्र द्वारा मैंने विक्रय सम्पत्ति से सम्बद्ध समस्त  
स्वामित्व व अधिकार क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है कोई विषय सुरक्षित  
नहीं रखा है और विक्रीत सम्पत्ति पर अपना समस्त कब्जा क्रेता को  
हस्तान्तरित कर दिया है। अब मेरे समस्त उत्तराधिकारियों का निम्नलिखित  
विक्रीत सम्पत्ति पर किसी प्रकार शेष नहीं रह गया।

यह की यदि भविष्य में क्रेतागण / अपना समस्त कब्जा बिक्रेता के  
अधिकार और स्वामित्व में किसी दोष के कारण निम्नलिखित विक्रीत  
सम्पत्ति पर न पाये या कोई भार बरामद हो तो विक्रय धन पर विधित हर्जा०  
व खर्जा सहित लौटने तथा उस के समस्त कानूनी जिम्मेदारी मुझ विक्रेता

प्राप्त नवाज़ रहा०

71

व मेरे समस्त उत्तराधिकारियों एवं स्थापनापन्नों पर होगा। अतः यह विक्रय पत्र लिपिबद्ध कर दिया कि प्रमाण रहे विवरण विक्रय संपत्ति स्थित।

वाकै ग्राम रसूलपुर नौगजा                    तहसील स्वार (रामपुर)

गाटा सं0                    रकबा                    लगान

306 / 2                    0.080 हें0                    3.93

कुल रकबा बेचा भैने।

नि0अं0 नन्हे

नि0अं0 नसरीन

लेखक जावेद अख्तर अन्सारी एड0 तह0 स्वार जिला रामपुर

ह0अपठ0

15.10.23

सत्य प्रतिलिपि



श्री एव वाज २०१

73

व 360000

निःशुल्क 7200 उजरत 20 शब्द लग0 800 ....7200

श्री नन्हे पुत्र श्री मौ0 नवी

पेशा खेती/व्यापार.....निवासी रसूलपुर नौंगजा तहसील स्वार जिला  
रामपुर ने कार्यालय उपनिबन्धक स्वार मे आज दिनांक 15.10.23 समय बध्य  
3/4 बजे दिन के प्रस्तुत किया।

ह0अपठ0

निःअं0 नन्हे

उपनिबन्धक स्वार

15.10.2023

श्री नन्हे उक्त डिटेल व नसरीन पत्नी ईस्माईल निवासी काशीपुर

ने इस लेखपत्र का निष्पादन स्वीकार किया तथा इसमे लिखित कुल मूल्य  
रु0 360000/- लेखानुसार नकद मेरे सामने वसूल पक्षकार लेखपत्र सुनने  
समझने के स्वीकार किया जिसे मै मौ0 हारून पुत्र श्री बबू निवासी उक्त  
व श्री जावेद निवासी शब्दीर तहसील स्वार उक्त ने की।

ह0अपठ0

निः0 नन्हे

निः0 नसरीन

उ0नि0

15.10.2023

अंगूठा चिन्ह नियम पूर्वक लिये है साक्षी देखने मे भले प्रतीत होते है।

ह0अपठ0

15.10.23

सत्य प्रतिलिपि



राजवाज रषा

74

2374 14.10.13 कीमत 5000 श्रीमती नसरीन पत्नी मो० इस्माईल

2375 14.10.13 कीमत 5000

2374

5939 14.10.13 कीमत 1000/-

बै० हेतु पता नसरीन पत्नी मो० इस्माईल निवासी मौ० काशीपुर तह० स्वार जि०  
रामपुर

5940 14.10.13 कीमत 1000

5939

5941 14.10.13 कीमत 500/-

5939

5942 14.10.13 कीमत 500/-

5939

5943 14.10.13 कीमत 500/-

5939

5944 14.10.13 कीमत 500/-

5939

2376 14.10.13 कीमत 50

2374

ह०अपठ०

सत्य प्रतिलिपि



ज्ञानवाज़ २५

75

यह कि हमने विक्रय पत्र मालयति 360000/-रुपये का संलग्न छपे फार्मो पर लिखा है। जिस पर स्टाम्प शुल्क 14500/- रुपये का 09 स्टाम्प पन्नो में अड़ा किया है विक्रीत आराजी में कोई पेड़ बोरिंग व निर्माण आदि नहीं है। विक्रीत आराजी नगर पालिका परिषद स्वार की चुंगी सीमा से बाहर है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

नि0अं0 नन्हे

नि0अं0 नसरीर

ग-1—मौ0 हारून पुत्र बबू नि0मौ0 रसूलपुर तह0 स्वार जिला रामपुर  
 ग-2—जावेद कुरैशी पुत्र शब्दीर नि0 मौ0 रसूलपुर तह0 स्वार रामपुर  
 आज दिनांक 15.10.2023 ई0 को व0क0 जावेद अख्तर अन्सारी एड0 तह0 स्वार जिला रामपुर द्वारा तहरीर किया गया।

**मानचित्र भूखण्ड**

भूखण्ड संख्या— खसरा संख्या-306/2  
 स्थिति—रसूलपुर नौगसा परगना—स्वार  
 पूरब में चक्रोड पश्चिम में खेत शरीफ अहमद खाँ  
 उत्तर में खेत श्रीमती शायदा खातून दक्षिण में खेत राहतजान आदि

पश्चिम

दक्षिण

उत्तर

पूरब

ह0 विक्रेता

ह0 क्रेता

नि0अं0 नन्हे

नि0अं0 श्रीमती नसरीन

दिनांक 15.10.2023 को प्रथम खण्ड 2132 पृष्ठ सं0 205, 206 क्रम 4969 रजिस्ट्रीकृत किया गया।

ह0अपठ0

रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

उपनिवन्धक स्वार रामपुर  
 सत्य प्रतिलिपि

शाहवाज २७।



ପ୍ରକାଶିତ ହେଲାମୁଣ୍ଡଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଠ୍ୟମାର୍ଗ । 1013

# विक्रय-पत्र

4969

COPY NO. 672

विक्रय पत्र कामता 360000/- बाजारी मूल्य 360000/- स्थाप 14500/- देव मंदसा 09  
पर कि मैं नहै उत्तमी नवी निवासी माटला  
रुक्लुर - गोजातछ खार जिला-  
रामपुर गोगोन्हानन्द

ଡାକ୍ ଧା

五

यह कि मैं नोंट लिखी सम्पत्ति का स्थान हूँ। मुझे इस सम्पत्ति को बेचना का पूर्ण अधिकार प्राप्त है निम्न विक्रय जाने वालों गम्भीर सब प्रकार के भार से मुक्त है तथा अतिरिक्त इस सम्पत्ति का कोई अन्य स्थानीय नहीं है। इस सम्पत्ति में भैरव अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का विस्तृ प्रकार का कोई द्रक नहीं है मैं शेष-पूल द्वारा बढ़ाव का सदर्घ नहीं हूँ मैंने स्वयं यह चित एवं स्वेच्छा से निम्न सम्पत्ति को-

मती जसरीन पटनी सौ. इह माईल -  
निवासी मोहल्ला आरपुर तह. ११२ -  
जिला- रामपुर

के हाथ 36000/- (सापें शब्दों में) रुपये  
 में जिन्हे अधे 18000/- (सापें शब्दों में) रुपये  
 बच दिया और विक्रय इन को प्राप्ति नम प्रकार है:-

पहली सीधात द्युमंजिला ३६००० एकड़ी पर  
खुलकर उत्पादन के साथने पहले प्रदूषण  
पार्क में है।

"यह कि इस विक्रय-पत्र द्वारा मैंने विक्रय सम्पत्ति से सम्बद्ध समस्त स्वामित्य व अधिकार क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है कोई विषय सुना तज नका रखा है औं विकीर्त सम्पत्ति पर अपना समस्त कब्जा क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब मेरे समस्त उप-अधिकारियों का निम्नलिखित विकीर्त सम्पत्ति पर क्रिया प्रवण शंख मही दउ गया।

यह की यदि भविष्य में क्रेतारण/अपना समस्त कब्ज़ा विक्रेता के अधिकार और स्वामित्व में किसी दोष नहीं हो गया।

काणग निर्भलीत्वात् विक्रीत मम्पत्ति पर न पाये था कोई भार बरामद हो तो विक्रीय भव पर चिप्ति होने वे खुज़ा सहित लौटें तथा उम के सास्त कानुनी जिम्मेदारी मुझ विकला वे मेरे समर्थ उत्तराधिकारीयों एवं स्वापनापनों पर दोगा। अतः यह विक्रीय पत्र लोपितवद् कर दिया कि प्रभाग रहे विवरण विक्रीय सार्वत्तिस्थित

वाके याम रसुलपुर नागजा तहसील रसुलपुर

জীৱিৎ কৰি ৰংগী মোহন

$$306 \sqrt{2} = 0.080\overline{2}$$

तहमृल..... (रामप)

19-20 01-3

१३ अक्टूबर

卷之三

लेखन - गावड आवर राजपुरी बंडोल कल्पना  
प्रिया - राजपुरी

ଶ୍ରୀଦିନପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ



₹ 36000

(77)

निश्चलक 700 उजरत 10 शब्द लग 0800 जीते 7200  
 की तरह पुत्र की नियमकी  
 पंशा-खेती/व्यापार नियमकी इसकी नोगल  
 तहसील स्वार, जिला रामगढ़ के कायलिया  
 उप निबन्धक स्वार में आज 15/11/2015  
 अप्प बध्य 31 बड़े दिन के फलतु किया गया

अप्प निबन्धक  
स्वारी अप्प

पुत्र तरह 3 बड़े नियमकी नियमकी  
 और इसकी भूमिका भूमिका

न हम देखते कि नियमकी नियमकी तथा इसमें लिखित  
 कुल मूल्दर 36000/- को प्राप्त करके मेरे  
 सामने दर्शाया गया है तथा इसमें उन्होंने समझने के  
 स्वीकार किया गया है। जो 10000/-  
 पुत्र श्री प्रदीप  
 नियमकी  
 श्री प्रदीप  
 पंशा खेती/व्यापार नियमकी 21 अप्प  
 तहसील स्वार 31 अप्प ने की।

15 अप्प

अप्प नियमकी


मोहन जावड़



इस पर्याक नियो है।  
 भाजी देवने भाजी अंतोत होते हैं।

15 अप्प

शोएल 24/11/2015



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 596794



महान् देवता श्री गणेश

ग. म. १८८६ ग. म. १८८७



महान् देवता श्री गणेश


११३०.१०.१८८७

१८८७  
Allahabad

(79)

मानव अधिकारों की संरक्षण  
कानूनी विभाग  
ग्राम पंचायती

Tagzane



३१ दिसंबर २०११




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 596795



मालखात ३६०००० फॉरनियर एटी

G.M.G.T. G.M.G.T.



शाह नवाज रफी


(81)

2575-14/13-400  
2374

Taslima



Q10 310 10/10/2012



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 47158



5939 14/10/2000

83


  
2000  
M

नियम व ज्यते राज्य संसद विभाग RG मा अधीक्षा

अधीक्षा (1932)



२४ एप्रैल २०१६



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

०६

१५८० का २५ मई १९८० को

म.न. विजय

म.न. विजय



म.न. विजय

१५८० का २५

(85)

5940 14/3 1000/-

5939

केन्द्र

22046

14



रामनवाज रण



09 09 2014 4-11

Amrit

Amrit



पढ़ने काला बुनने काला दृष्टि

Ch

शादी वाज २५०

(87)

1941 14<sup>10</sup>/<sub>3</sub> 500/-

5939

R

W



211304751241



मेरी अज्ञानीति का लिखा हुआ दस्तावेज़

*[Signature]* *[Signature]* *[Fingerprint]*



श्री ३ अप्रैल २०१८  
*[Signature]*

(99)

542 14/3 500/-

5939

SL

AM



२१/१२/२०११

219

90



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 832051

गोपनीय विभाग विभाग

A.M. 1985 A.M. 1985



गोपनीय विभाग विभाग

अधिकारी

रामवताज राम

(91)

5943 14  $\frac{10}{15}$  500/-

5939

74



RTI 2014-15 291



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गोट नदी छापी किंवा गोप्ता  
नगर पालिका फीस ५५ रुपाई की  
पुंजी सीमा से बाहर है

Mr. M. A. S. D. M. A. S. D.



मुख्यमंत्री राजा

(GB)

5994 14  $\frac{10}{13}$  500 L

5939

R  
14




21/12/2011



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 832044

जि अक्षय कुमार चौहान




Mr. M. K. Chauhan  
Mr. M. K. Chauhan



ग्र-१ - मैं अक्षय कुमार चौहान और एक दूसरा  
नाम बाहुदार जिला-कानपुर  
मो. ३१२७८८ मैं ०८१२९५

ग्र-२ - अक्षय कुमार चौहान जिला-कानपुर  
नाम बाहुदार जिला-कानपुर  
आज दिनांक १५/१०/२०१३ को प.क.



शासनकाल रखा

(95)

6 14<sup>1</sup>/<sub>3</sub> 50  
2374

Razane



१११०३१०१५२४

225

96

मानचित्र भूखण्ड

संग्रहीत दिनांक

प्रिय अस्सा संख्या 306/2

रसूलपुर भागला

नाम

X

परिवार

रसूल

पुराण भूमि

वास्तविक में इन शारीफ अहमद खाँ

वास्तविक श्रीमती शायदा खान


में इन राहत जान आदि

पश्चिम

दक्षिण



पूरब



निः शोषण  
अधिकारी के द्वारा

शायदा खान

(97)

(22) copy

15/10/13 4969  
2132 205 226  
मुख्यमंत्री राज्य परिषद्  
प्रधानमंत्री

Mr. Pramod Kumar  
रामेश्वर



(98)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. ( 5 )

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



श्री देवनारायण राधा



ग्राम क्रमांक : 17030317302

जनपद : रामपुर

खाता संख्या क्रम संख्या

ग्राम का नाम : रसूलपुर नोगजा

फसली वर्ष : 1416-1421

पिता / पति /  
संरक्षक का नाम

परगना स्वर

भाग : 1

तहसील : स्वार

## उद्धरण खेतीनी

1 ----- 2----- 3----- 4----- 5----- 6----- 7-12-----  
 श्रेणी : 1-क भूमि जो संकमणीय भूमियों के अधिकार में हो।

00427	श्रीमती शायदा खातून जरीफ अहमद खां	फ़ज़ले अहमद छेला खा	नि. ग्राम नि. ग्राम	1414/1415F	308म.	0.1680	
				कुल गाटे :	1	कुल क्षे. :	0.1680
							9.00



(100)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. ( 6 )

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



रामेश्वर  
रामेश्वर

रामेश्वर

(101)

न्यायालय श्रीमान परगनाधिकारी महोदय तहसील स्वार जिला रामपुर  
वाद संख्या सन

श्रीमटि शायदा खातून पत्नी फाजले अहमद निं० मो० रसूलपुर नौगजा तह  
स्वार जिला रामपुर। ..... वादिनी

- (1) भाईजान पुत्र मौहम्मद नवी निं० मो० रसूलपुर नौगजा तह स्वार जिला रामपुर
- (2) नन्हे पुत्र मो० नवी निं० मो० रसूलपुर नौगजा तह स्वार जिला रामपुर
- (3) नगरपालिका परिषद स्वार द्वारा अध्यक्षपालिका परिषद स्वार तह स्वार जिला रामपुर  
.....प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 176 ZALRACT  
ग्राम रसूलपुर नौगजा तह० स्वार

महोदय

वाद उक्त में प्रार्थनी का निवेदन निम्न प्रकार है-

- (1) यह कि वादिनी/प्राथिनी ग्राम रसूलपुर नौगजा तह० स्वार के गाटासा 306 कबा 0.239 है लगानी 11.80/= ६० के 1/3 भाग की संक्रमणीय भूमिधर एम् काबिज काशत है।
- (2) यह कि आरजी मजकूरा बाला 1/3, 1/3 व् 1/3 भाग प्रतिवादी स०.१ व् २ का है।
- (3) यह कि प्रार्थनी/वादिनी औरट जात है। तथा आराजी मजकुरा बाला शामिल जोत होने के कारण वादिनी की फासल का भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है। जिससे प्रार्थनी को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।
- (4) यह कि शामिल खाता होने के कारण प्रार्थी अपनी मर्जी फसल आराजी मजकूरा बाला में नहीं वो पाती है। तथा फसल के बटबारे को लेकर भी वादिनी का प्रतिवादिगण से तनाजा बना रहता है। लिहाजा कागजात माल में आराजी मजकुरा बाला का अलहदा कुर्रा कागजात बनाया जाना आवश्यक हो गया है।
- (5) यह कि वादिनी का प्रतिवादीगण से लगान अदायगी व सरकारी लेन देन को ले कर भी बजा बना रहता है। जिसका एकमात्र समाधान प्रथक कुर्रे कायम फरमाया जाना है।

शोषणवाज २४

(102)

(6) यहकि वादिनी ने कई बार मोखीक रूप से प्रतिवादीगण से आग्रह किया कि वह प्रार्थनी/ वादिनी का आराजी मजकुरा बाला में प्रथक कुर्चा कायम कर दें परन्तु वह सुनवा नहीं हुए और अन्त में कतई इंकारी हुए लिहाजा बाद इंकार एक माह जरूरत जालिश हाजा पेश आई ।

(7) यह कि प्रदिवादी स0. 3 का आराजी मजकुरा बाला में कोई अंश भाग नहीं है। बल्कि कानूनी तौर पर इसको पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

(8) यह कि वादका मूल्यांकन लगान  $11.80=10$  का  $1/3$  भाग पर किया जाकर कोर्ट फीस कानूनी  $2/20$  अदा किया जाता है।

(9) यह कि अदालत हाजा को आखत्यार समाऊत नालिश हाजा हासिल है।

(10) यह कि वादिनि निम्न लिखित दादारसी पाने की अधिकारीणी है ।

(11) यह कि आराजी मजकुरा बाला मे वादिनी के  $1/3$  भागका पृथक कुर्चा कायम फरमाया जाय ।

(12) यह कि खर्च नालिश हाजा प्रतिवादीगण से वादिनी को दिलाया जाये ।


(13) यह कि दीगर वाद की जो भी मुफीद वादिनी हो प्रतिवादीगण से दिलाई जाये ।

वादिनी

श्रीमटि शायदखातुन

पत्नी फजले अहमद

नि० मो० रसूलपुर नौगजा  
तह० स्वार जिला रामपुर।



प्राप्तवान् २४

(6)

(103)

माया लाये जीतान पर्गना विधकारी मंदिर द्वारा लाइन  
वाद स.

सिन

जीति शाखा द्वारा लाये जीति भजलो विधान निंदा  
रखलपुर नौगजा त० स्वार ठा राम

विनाम

काटेकी

- (1) अडियान चुल की घमद-बी निंदा रखलपुर नौगजा त० स्वार
- (2) नैदृष्टि की नी निंदा ।। ।। ।।
- (3) नापालकापी जद स्वार ठा अद्यध्यपालकापी जद  
स्वार ठा स्वार ठा राम

उत्तिवादीगण

दोवा क्रूराणी वारा 176 लोटरिय  
ग्राम रखलपुर नौगजा त० स्वार

मदादपा

वाद उत्तरामे प्राविनी का विवेदन निम्नपुकार है-

- (1) अद कि वादिनी इन्हीं द्वारा लाये रखलपुर नौगजा त० स्वार के  
गाड़ी से 306 लोको 0.239 है लगानी 11.80 = 60 के 1/4 शास्त्र  
की संकुमणीय भूमिधर रखने का बिज भावन है।
- (2) अद कि आए ही मजुकर बाला 1/2 ।। नाग प्रतिवादी द्वा  
रा दाव का है।
- (3) अद कि प्राविनी वादिनी भारत जात द्वारा लगानी भाला शास्त्र जात ही कान वादिनी की लगान का  
भाष्टरलाभ नहीं मिल पाया है अतः प्राविनी का विवेद हानि  
उठानी चाही छू।।
- (4) अद कि शास्त्र मिल भाला ही का 1/2 का प्राविनी मिलनी  
जात लगानी मिल भाला की नी जी चाही है।।  
तथा जात लगान की बटवा की लेकर भी वादिनी का उत्तिवादीगण  
से राजा बना रहा है तिवाहो कान जाव माल मिलानी  
मजुकर बाला का अलादा कुरा कारा जाना जाना विवेद  
है गम है।।

माल  
मिलानी

५०२८८

०६ सितम्बर

शादववाज रवा



⑤ अद्यक्ष वादियों का पुरिवारीगण से लगाने जिधूपरी व  
साक्षात् होने वेत का लौकिक जीवन अजबनारहटा है।  
भीमकादक माह लम्हाप्रसाद।

⑥ अद्यक्षिकादिनों के कड़ी बातों पर, सप्तसूत्रिकरणीयों  
आगु दक्षिणावि, लघु-प्राप्तीवादिनों का गोप्यनीय तथा  
ओलासी समाज, जो एक-एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो  
जो उक्त सम्भव है कि इनमें से कोई विशेष विश्वास विकास क  
सांघर्ष-जीविका दाग देखा जाए

② परकि पुरिवादी रहे तथा जनानुसारी संघटनाएँ आलाम करे  
जो ब्राह्मण दैवत वरिक का नाम है एवं इसका पृष्ठ का  
सुकदमा बनाया गया है।

⑧ अपक्रियाएँ का सुलभत्व लोग 11.84 = (५० ट.) / ३० ट.

प्रतिपादाकर कोटि प्रतिशती 2 | २ कोठियां किया जारहे।

⑨ अपक्रियाएँ अवलम्बन की तरी

(१) बट्टिक कालीन भिन्नता वितर होता है परं जीविता ग्रीष्मीयां। (१०५)

(२) बट्टिक ग्रीष्मीयां मध्ये वालमी वास्तविक है। ३ अगका  
सुखावारी काम्पा द्वारा देखा जाता है।

(३) बट्टिक

③ अपारक छवियाँ नामांकन करें। इसके बाद वाहा उत्तिवाकीयों के लिए विस्तृत विवरण दिलाया जाएगा।

~~କେବଳ କିମ୍ବା ଏବାରି ହେଲି କୁଣ୍ଡଳିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କରେ~~

四



ଶ୍ରୀ କମଳାଚାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ର  
ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ



(105)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. (7)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



२१८/०७/३१ २०१

(106)

न्यायालय श्रीमान् परगना अधिकारी महोदय तहसील स्वार ज़िला रामपुर

वाद संख्या

सन

श्रीति शायदा खातून

बनाम

भाईजान आदि

दावा अंतर्गत धारा 176 ZALRACT

ग्राम रसूलपुर नौगजा तह0 स्वार

जवाव दावा मिन्जनिव राहत जान व् दुलाजान व् सलामत जान व् मौ0  
खालिद व् मौ0 सादिक पुत्रगण स्व0 भाईजान व् श्रीमती जमीला पत्नी स्व0  
भाईजानव् नन्हे पुत्र मौ 0 नवी, निवासीगण, मौहलला रसूलपुर नौगजा तह0  
स्वार ज़िला- रामपुर

(1) यह कि दावा का पेरा न0 1 स्वीकार है।

(2) यह कि पेरा नं० 2 स्वीकार है।

(3) यही अर्जी दावे का पेरा नं 3 अस्वीकार है क्योंकि वादिनी ने विवादित आराजी जरिये बैनामा दिनांक 28-1-2010 को प्रतिवादी नं 1 चाचा व् 2 के भाई वाहिद से खरीदी है। जोकि बैयनामे में चौहददी दर्शायी गयी है उस पर वादिनी काविज है। प्रतिवादी गण उसके हिस्से में उसे परेशान नहीं कर रहे हैं इसलिए दावा हाजा खारिज किये जाने योग्य है।

(4) यह कि अर्जी दावे कावेरा नं० 4 अस्वीकार है क्योंकि वादनी द्वारा खरीदी गई आराजी पर अपने हिस्से पर काविज है और अपनी फसल का ताभ हासिल कर रही है इसलिए दावा हाजा खारिज किये जाने योग्य है।

(5) यह कि अर्जी दावे का पेरा नं० 5 अस्वीकार किये जाने योग्य है।

(6) यह कि अर्जी दावे का पेरा नं 6 अस्वीकार है क्योंकि वादनी ने विवादित आराजी प्रतिवादीगण के चाचा व भाई वाहिद से खरीदी है। जिसकी चौहददी इस प्रकार है : पूरव्- चकरोड, पश्चिम- खेत वादिनी तथा उत्तर में चकरोड व् दक्षिण में खेत नन्हे जिसको वादनी जोत वो रही है। तथा लाभ फसल हासिल कर रही है इसलिए दावा हाजा खारिज किये जाने योग्य है।

(7) यह कि अर्जी दावे का पेरा नं 7 स्वीकार है।

श्राद्धवत्त श्वा

(107)

(8) यह कि आर्जी दावे कां पैरा नं 8 खिलाफ कानून एवं कोर्ट फ्रिस कम अद्य किया गया है इस कारण दावा खारिज किये जाने योग्य है।

(9) यह कि आर्जी दावे पैरा नं 9 स्वीकार है।

### \$ अतिरिक्त कथन \$

---

---

(10) यह कि विवादित आराजी मजकुरा बाला का बंटवारा वर्षा पूर्व मौखिक तौर पर प्रतिवादी गण । के चाचा व 2 के भाई वाहिद से हो चुका है। प्रतिवादी गण । के चाचा व 2 के भाई वाहिद ने अपने हिस्से की आराजी 28-1-2010 वादनी श्रीमती शायदा खातून को अपने हिस्से की चौहदादी तहत बेच दी है, जिस पर वादनी फसल लाभ हासिल कर रही है। प्रतिवादीगण के हिस्से वाली आराजी में पोपतर के पेड लगे हैं जिस पर वादनी की नजर है। इसलिए दावा हाजा खारिज किये जाने योग्य है।

(11) यह कि उपरोक्तानुसार एंव विधिक् तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये दावा हाजा जोकि दुर्भभावना एंव झूठ से प्रेरित तथ्यों को छुपाकर न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया है जोकि खारिज फरमाया जाये तथा खर्च जबाब दावा वादनी से प्रतिवादी गण को दिलाया जाये। श्रीमान जी महान कृपा होगी।

दिनांक := 27/01/2011

प्रार्थी गण

राहतजान व दूल्हाजान व सलामत जान व मौ०  
खालिद व मौ० सादिक पुत्रगण स्व० भाईजान व  
श्रीमती जमीला पत्नी स्व० भाईजानव नन्हे पुत्र मौ०  
० नवी, निवासीगण, मौहलला रसूलपुर नौगजा  
तह० स्वार जिला- रामपुर

२०१४ व व ज २०१४





(109)

॥७॥ यह फिर अर्जी दावे का पैरानं० 7 रथीकार है।

॥८॥ यह फिर अर्जी दावे का पैरानं० 8 वी शापभानुन रंग जोर्ट फौस कम

है इस कारण दावा खारिज किये जाने पोग्य है।

॥९॥ यह फिर अर्जी दावे का पैरानं० 9 रथीकार है।

### प्रतिरक्त कथन

॥१०॥ यह फिर विवादित आराजी मण्डूरा काक्षा का बैटवारा वर्षा पूर्ण रूप से परप्रौढ़तादीग्रं० 1 के थाथा व 2 के भाई ताहिद से हो चुका है। दूसरे विवादित आराजी विवादित आराजी नं० 2 के भाई ताहिद ने अपने हिस्से की आराजी विवादित आदनी श्रीमति शाहदा भाटून जो अपने हिस्से की बोहददी रक्षा के लिए उपर के पेह लगे हैं जिस पर वादनी भी नजर है। इसलिए दावा हाजा गया जो जाने पोग्य है।

॥११॥ यह फिर उपरोक्तानुसार संविविध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये जोकि दृष्टिगत दृष्टिगत दृष्टिगत से प्रेरित तथ्यों को स्थापक न्यायात्मक श्रीमान ने देखा है जोकि खारिज फरमाया जाये तथा उर्ध्व जबाब दावा वादनी से उत्तापन जो दिक्षाया जाये। श्रीमान जी महान् कृपा होगी।

फिराँक : = २७/०१/२०१

प्रार्थी गण

राहतगान व दूल्हागान व संस्कार

माँ० छालिद व माँ०

राम० भाईजान व श्री

पत्नी रघु० भाईजान

शौहम्मद जान निवार

तहसील स्वार जिला



श्राद्धवान् २०१

M  
66-C-211  
22  
02-60974  
15/1/103

(110)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. ( 8 )

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



११३०८१२४८

111

न्यायालय श्रीमान् S D O महोदय तहसील स्वार जिला रामपुर

वाद संख्या

सन

श्रीति शायदा खातून

बनाम

भाईजान आदि

दावा अंतर्गत धारा 176 ZALRACT  
ग्राम रसूलपुर नौगजा तह0 स्वार

हलफनामा

बयान हल्की मिन जानिब वाहिद पुत्र मो० नवी निवासी ग्राम रसूलपुर नौगजा तह0 स्वार जिला रामपुर का रहना वाला है। और मुकदमा उक्त में व्यान प्रस्तुत करता है।

(1)- यह है कि हालिफ ने दिनांक 28-1-2010 को अपना 1/3 भाग वादिनी शायदा खातून को विक्रय कर दिया है।

(2)- यह है कि हालिफ व उसके भाई भाईजान व नन्हे से 25 साल पहले विवादीत आराजी गाटा स० 306 का पारवारिक बटवारा के तहत हालिफ को अपने भाई नन्हे के उत्तर दिशा में हिस्सा मिला जिसको हालिफ 25 साल से जोतकर फसल लाभ हासिल कर रहा था। जिस हिस्से को हालिफ का कब्जा था उस ही हिस्से को हालिफ ने विक्रय किया है। जिसकी चौहदादी हालिफ ने ढैयनामे के बख्त लिखवाई थी उस ही हिस्से पर हालिफ का कब्जा था। वही हिस्सा हालिफ ने शायदा खातून को विक्रय किया है। वादिनी का मेरे भाइयों की हिस्से वाली आराजी से कोई वास्ता नहीं है।

(3) यह कि हालिफ के भाइयों वाले हिस्सों में पोपलर के पेड़ लगे हैं।

(4) यह है कि वादिनी का हालिफ द्वारा बेची गई भूमि पर कब्जा है तथा वादिनी को प्रतिवादी स०. 1 व् 2 के हिस्से में लगे पोपलर के पेड़ों को देखकर मन में लालच आ गया है। तथा वादिनी उनके पेड़ हड्पने की नियत से मुकदमा वाजी कर रही है। जो कि गालत है निरस्त की जाने योग्य है।

5- यह कि उपरोक्त मजमून हलफनामा हालिफ के इलम व् जाति से सही है। जिसकी तस्दीक आज दिनांक 30-9-2011 को तहसील स्वार में की गयी

हालिफ

नि० अंगूठा

शाइबवाज रशा



8

अ

112

→ याचिक्य औंगान S.D.C महाराज तल्ल स्वार - रामपुर

बक्स सं०

शन

श्रीमती आरका खातुन बनाम श्रीजीलाल झोटे

धारा 176 Z.A.L.R Act

श्राम - रसुलपुर - गोगजा  
तल्ल स्वार - रामपुरहत्याकामा

एथान हेतिप्रमाण जानिवा वाहिद युन श्री गोगजा निल रसुलपुर  
गोगजा तल्ल स्वार मिल रामपुर को रहना बाला है। और  
भुक्तमा उक्त को नियम एथान प्रस्तुत करता है।

यह है कि हायिम ने दिनांक २४-१-२०१० को अपना  
१/३ शाग वादिनी शायदा खातुन को प्रिकृत्य कर दिया है।

2. यह है कि हायिम व उसके भाई श्रीजीलाल व उन्हें  
१५ साल पहले पिषाकित झाराजी, गाहार्या तुम्हे  
को पारिवारिक बतवारा के तल्ल हायिम को अपने  
भाई उल्ल दिशा में हिस्सा भिसा। इसके  
हायिम २५ खाल से जोनकर फसल लाभ हासिल  
कर रहा था। ऐसे हिस्से पर हायिम का करजाया  
उस ले हिस्से को हायिम जे प्रिकृत्य किया है। ऐसी  
वाहिदी हायिम जे भाई के बकत प्रिकृत्य की थी।  
उस ही हिस्से पर हायिम का करजा भा।

RENDMENT

०६/२०११

श्रामवाज रष्ट्री



(113)

मूल दस्तावेज़ की अदाकान को विषय किया है।  
जीवनी का भूमिका का दस्तावेज़ वाले आरजी से  
प्रौढ़ वस्ता नहीं है।

3- प्रौढ़ की हालत के अद्यतनी वापर दस्तावेज़ में प्रौढ़ की  
प्रौढ़ वाली है।

4- यह दो तिक वापरी हालत की हालत के बीच गई थी।  
जब उनका नाम बादनी की अवधारणा से है तो वह उनकी  
दस्तावेज़ में सभी प्रौढ़ की प्रौढ़ की दस्तावेज़ में  
दायर की गयी है तथा बादनी की दस्तावेज़ में  
नियत से भक्ति पर रही है जो कि ग्राम  
विरस्त की जाए चाहिए है।

5- यह दो तिक एकत्र मुजम्मन दस्तावेज़ की  
इस व जाति से सही है। जिसका तरीका आज  
दिनांक 30-9-2011 की तहसील रजर भी  
हो गया है।

REPORTANT

हालत

RENTENT

हालत

56 ... 30/9/2011

J.A. AGENCIES

RENTENT

30/9/2011

COMMISSIONER

अधिकारी

(M)

26-9-74

15 / 1114  
21130974 241



(114)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. ( 9 )  
IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



१८३०७२५

न्यायालय श्रीमान् S D O महोदय तहसील स्वार जिला रामपुर

वाद संख्या

सन

श्रीति शायदा खातून

बनाम

भाईजान आदि

दावा अंतर्गत धारा 176 ZALRACT  
ग्राम रसूलपुर नौगजा तह0 स्वार

### हलफनामा

बयान हल्फी मिन जानिब शरीफ अहमद पुत्र हाजी शब्बीर निं० मोहल्ला रसूलपुर नौगजा तह स्वार जिला रामपुर का रहना वाला है। और मुकदमा उक्त में निम्न व्यान प्रस्तुत करता है

- (1) यह है कि हालिफ मुकादमा पक्षकारों को भलिभांति जानता है।
- (2) यह कि हालिफ के सामने ही विवावित आराजी गाता सं 306 रखवा 0.279 है० को वाहिद ने अपने 1/3 भाग को बेचने का सोदा श्रीमती शायदा खातून से करा था। सौदे के वक्त वाहिद ने शायदा खातून से कहा था कि हमारे खेत का 25 साल पहले पारिवारिक बटवारा हो चुका है तथा मेरा कब्जा नन्हे के उत्तर दिशा में है। जिस पर मैं 25 साल से काबिज हूँ। मेरे हिस्से में पेड़ नहीं लगे हैं। मेरे भाई नन्हे व् भाईजान के हिस्से में पोपलर पेड़ लगे हैं। तुम्हारा मेरे आईयों की हिस्से वाली भूमि से कोई वास्ता नहीं होगा।
- (3)- यह है कि हालिफ बैनामा में गवाह है। वैनामें में चौहदी लिखी है। उस चौहदी के अनुसार वाहिद ने अपना हिस्सा बेचा है।
- (4)- यह है कि विक्रय शुदा आराजी के बाराबर से पुरव दिशा में चक मार्ग स०.305 उत्तर दिशा में चकमार्ग स० 309 है तथा बिक्रय शुदा आराजी के बाराबर से ही बादिनी व बादिनी के पति फजले अहमद के नाम आराजीकाशत है।
- 5- यह है कि प्रतिवादी न० 1 व् 2 के हिस्से वाली आराजी पर पोपलर के पेड़ लगे हैं। जिसको देखकर बादिनी के मन में लालच आ गया है तथा इन पेड़ों को हड्पना चाहती है। तथा प्रतिवादी गण को परेशान करने की गरज से मुकदमा बाजी कर रही है जो कि गलत है मुकदमा निरस्त फरमाया जाये।

- (6) यह कि उपरोक्त मजमून हलफनामा हालिफ के इलम व् जाति से सही है। जिसकी तस्दीक आज दिनांक 30-9-2011 को तहसील स्वार में की गयी

हालिफ

ह० उर्दू

राईबाज रेवा

9  
50

11.6



→ धार्यालेश आमना

S.D.C महोदय तह स्वार - रामपुर

वाद सं

सं

आमी धायदा खातुम अनाम भाइजान झोड़े

धारा 1762-A.L.R.A.C.J.

शाम रसूलपुर झीगला

तह स्वार - रामपुर

हायाप्रेस्ट्री

(यह हायाप्रेस्ट्री भिजानिल शरीफ अहमद पुत हाजी शर्कीर  
निम्नो मोहल्ला स्वूल्लपुर नोगजा तह स्वार जिह रामपुर का रहना  
काम है। और भुकलमा उक्त में निम्न दियान प्रकृत वस्ता)

2. यह हायाप्रेस्ट्री भिजानिल शरीफ पर बारों को असिमानि जाना है।  
यह हायाप्रेस्ट्री लायिए के सामने ही विषावत आराजी जाता है।  
301 स्वार 0.239 है का पाहिद मे जुनी 1/3 माग को  
छीचना का सेवा त्रिमती धायदा खातम से चरा था।  
यह हायाप्रेस्ट्री वक्त पाहिद वे धायदा खातम से कहा था विहमार  
मेरा बाबजा भूट के उल्ल दिशा में जैश वुका है तथा  
25 साल से आविज है। मेरे हिस्से पर वह नहीं भगवा है।  
मैं भाइ भूट के भाइजों के दिल्ली में पापतर के दौर  
की रुपराय मेरी भाइयों के दिल्ली में वासी भूमि भी कोई  
वस्ता नहीं होगा।

3. यह हायाप्रेस्ट्री लायिए बनामा मेरी छाह है। वे नामे मेरी  
पर्याह दर्की विषा है। उस पर्याह दर्की के अनुसार वाहिद  
मेरी जापना हिस्सा बचा है।

REPRESENTATIVE  
ریپرینٹ

06/07/2011


शादनवाज रवा



(117)

- 2 -

- 4- यह है कि विकल्प शुदा आराजी के बराबर से पुरब  
दिवांगी - पक्ष) मार्ग सं० ३०५ उल्लं दिवांगी - पक्ष  
सं० ३०९ है तथा विकल्प शुदा आराजी के बराबर से ले  
भाविनी व वादिनी के पात्र माजले मुहम्मद को आम  
आराजीकारत है।
- 5- यह है कि प्रीतवारी अंडा पूर्णे द्वितीय वापी  
आराजी पर पौपत्र के घड़ लगे हैं। जिसकी देखने  
भाविनी के बन में भास्य आ गया है तथा इन घड़ों  
को हड्डियां चाहती है। तथा सरिवादिगट्टुपरेश्वान आराजी  
की शरण से अकदमावाजी कारु रही है जो की शक्ति  
भुलमा निरस्त पारम्परा जाये।
- 6- यह है कि उपरोक्त भजमूल हत्याकामा शीलफ के द्व  
ए जाति से सहा है। जिसकी तस्वीर आज दिनांक  
३०-१-२०११ द्वारा तहू क्षेत्र की गई।



हातियां

कर्तव्य

REPRESENTANT

57 Date 30/09/2011

certified that the  
Identified J.A. MUSUM RE<sup>2</sup>  
Swore to me that he has read the affidavit  
in his presence and has signed it  
after full understanding  
Dated 30/9/2011  
wanding is confirmed

हातियां

कर्तव्य

COMMISSIONER

Signature



06/2011

15/11/15  
शांखवाजरा



(118)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. (10)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



११६ नवांज २०१

(119)

न्यायालय श्रीमान् S D O महोदय तहसील स्वार जिला रामपुर

वाद संख्या

सन

श्रीति शायदा खातून

बनाम

भाईजान आदि

दावा अंतर्गत धारा 176 ZALRACT

ग्राम रसूलपुर नौगजा तह0 स्वार

हलफनामा

व्यान हालफि मिनजानिब राहत जान पुत्र भाईजान निवासी मोहल्ला रसूलपुर नौगजा तह स्वार जिला रामपुर का रहना वाला है। और मुकदमा उक्त में निम्न व्यान प्रस्तुत करता है-

- 1- यह कि हालिफ उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है
- 2-यह कि हालिफ मुकदमा उपरोक्त में प्रतिवादी है ।
- 3-यह कि हालिफ के पिता भाईजान भी मर्त्यु दिनांक 09.08.2010 को हो चुकी है।
- 4- यह कि हालिफ व हालिफ के भाइयों व माँ सहित हालिफ का विवादित आरजी में 1/3 भाग है तथा हालिफ के चाचा नन्हे का भी 1/ 3 भाग है।
- 5- यह कि विवादित आरजी को श्रीमति शायदा खातून ने हालिक के चाचा वाहिद का 1/3 भाग जारिये बैनामा दिनांक 28.1.2010 को खरीदी है ।
- 6- यह कि विवादित आरजी को वाहिद द्वारा बिक्रय करने से पहले 25 साल पूर्व में हालिफ के पिता भाईजान व उसके चाचा नन्हे व् वाहिद से बटबारा हो चुका था तथा पारिवारिक बटबारे शुदा आरजी पर हालिफ के पिता व् चाचा आदि अपने- 2 हिस्से को 25 साल से अलग जोतते बोते आ रहे हैं तथा लाभ फसल हासिल करते चले आ रहे हैं ।
- 7- यह कि हालिफ के चाचा वाहिद ने अपने हिस्से 1/3 भाग को जो 25 साल पहले पारिवारिक बटबारे के तहत मिला था जिसकी उन्होंने वादीनी को अपने कब्जे वाली आरजी काशत को बेच दिया जिसका वैनामे की चौहड़ी में जिक्र किया गया है। उस पर ही वादीनी का कब्जा है जिस पर विक्रेता वाहिद का कब्जा था जो कि हालिफ के चाचा नन्हे के हिस्से वाली आरजी के 3-तरदिशा में विक्रय की गई है॥
- 8 यह कि हालिफ व हालिफ के चाचा नन्हे के खेत में तीन साल पुराने पोपलर के पेड़ खड़े हैं जिसको देखकर वादिनी शायदा खातून के दिल में वैईमानी आ गई और उन पेड़ों को हालिफ व हालिफ के चाचा नन्हे को परेशान करने की गरज से मुकदमे बाजी कर रही है जो कि गलत है ।

उपरोक्त मजमून हलफनामा हालिफ के इलम व् जाति से सही है। जिसकी तस्दीक आज दिनांक 30-9-2011 को तहसील स्वार में की गयी

हालिफ

ह0 उद्दू

राष्ट्रवाज रवा

10



120

— १८५० अगस्त में राजा रामपाल द्वारा उनकी शासन कालीन भौतिक संरचना का विवरण दिया गया है।

ଶ୍ରୀମତୀ ହିନ୍ଦୁରାମାଟ୍ଟ ଅନାମ ପାଇଁ ଜାନିଲାଇ

ପ୍ରାଚୀ ୧୮୬୨. A. L. R. Act  
ଶ୍ରୀ କଷାଲଙ୍କ ନେତା  
ତଦ୍ଦିନର ବୈଜ୍ଞାନିକ

ଇମ୍ପରେସନ୍  
ବ୍ୟାନ ଦାଖି କିନ୍ତୁ ଜାମିକ ବ୍ୟାନ କୁଠା ଆହୁରିଗାଇ  
ନିରାମି ଗୁରୁ ମୋର କୁଠା ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା  
ବ୍ୟାନ କୁଠା ଓ କୁଠା କୁଠା କୁଠା କୁଠା କୁଠା କୁଠା



३०५

لازن جان

७१३०९१३२४

121

— 2 —

7- अहंकी दालिय के पात्ता वाहिनी अपने रिट्रैट १३ अगस्त को  
जो २५ साल पुराने परिवार के बचपन के तहत अलावा जिसकी  
उन्होंने वाहिनी को अपने अपेक्षित वाली आजी आज्ञा को  
बुद्धि दिला जिसका शिखा की चीज़ों में छिपा थिलागाम  
१३ सप्तर्षी वाहिनी का अवज्ञा है जिसपर निकैगावाहिनी  
का अवज्ञा वा जो की दालिय के पात्ता नहीं वह दिले  
वाली आजी को ३-वर्षाव्यास वित्तप की गई है।

8- अहंकी दालिय व दालिय के पात्ता नहीं के सेवन में सिन  
साल पुराने पोपलर के फ़िरोज़ दिलीप देवन वाहिनी  
वाहिनी २५ अप्रूप के डिलीप किसकी आवश्यकी और उन पैकी की  
इक्षित की दीप्ति से दालिय व दालिय के पात्ता नहीं की  
प्रेरणा वाली की गाँठ से उगड़ी वजी जरुरती है जो कि  
गलत है।

३ दिसंबर २०११ दलभाना दालिय के दलभाना वाहिनी की  
साथ है जिसकी तरह अजय दिलीप ३०/०९/२०११ १० बीतहार  
की गई है।

*[Signature]*

दालिय

०६-२०११

REPO-NENT

Date ३०/११/२०११

I declare that Mr. J. A. Prakash has informed me that the contents of  
this affidavit before me in my presence on  
Dated ३०/११/२०११, that, after full understanding is constitute,


दालिय

०६-२०११

DEPO-NENT

*[Signature]*  
COMMISSIONED  
अधिकारी देवन  
०० बीतहार रामगढ़

दस्तावेज़ पहचान करें



१५/११/११  
दालिय वाहिनी

(122)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. ( 11 )

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



21/3/2025 241

123

न्यायालय श्रीमान् उप जिला अधिकारी स्वार जिला रामपुर

वाद संख्या 12/2010-11

अंतर्गत धारा 176 ZALRACT  
ग्राम रसूलपुर नौगजा तह0 स्वार,  
जनपद रामपुर

श्रीमति शायदा खातून

बनाम


भाईजान आदि

प्ररम्भिक डिक्री  
आदेश

उपरोक्त वाद श्रीमति शायदा खातून पत्नी फजले अहमद निवासी ग्राम रसूलपुर नौगजा तह0 स्वार जिला रामपुर के बाद-पत्र के आधार पर घोषित हुआ। वादनी/प्रार्थिनी ने अपने वाद-पत्र के माध्यम से कहा है कि ग्राम रसूलपुर नौगजा तहसील स्वार जनपद-रामपुर, स्थित भूमि खाता स0.219 गाटा स0. 306 रक्वा 0-239 हैं लगानी 11=80 के 1/3 भाग की संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार सहखातेदार प्रतिवादी नं0। राहतजान व दूल्हजान व सलामत जान व मौ0 खालिद व मौ0 सादिक पुत्रगण स्व0 भाईजान व श्रीमती जमीला पत्नी स्व0 भाईजान व प्रतिवादी न0. 2 नन्हे पुत्र मौ0 नवी, निवासीगण, मौहलला रसूलपुर नौगजा तह0 स्वार का 1/3 भाग व 1/3 भाग है। उपरोक्त आराजी सहखातेदारी के कारण लगान अदायेगी एवं फल पैदावार उठान को लेकर आये दिन विवाद बना रहता है। वादनी अपने अंश के अनुतार अलग-अलग खाता व कुरा कानूनन रूप से बटबारा कराना चाहती है। बादनी ने अपने दावे के साथ दावे की प्रति व वकालतनामा व शपथपत्र व नकल खतोनी संलग्न की है। प्रतिपक्ष को सम्मन जारी किये गये जो वाद तामील पत्रावली पर संलग्न है।

प्रतिवादी नं। व 2 की ओर से जवाब दावा दिनांक 27-1-11 को / प्रस्तुत हुआ और पक्षकारों के व्यारा प्रस्तावित बाद-बिन्दू पेश किये गये जिनके आधार पर न्यादालय व्यारा वाद-बिन्दू निर्धारित किये गये। पत्रावली पर वादी एवं प्रतिवादी नं- 1 व 2 की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा पक्षकारों के विद्धान अधिवक्ताओं के व्यारा एक दूसरे के गवाहों से जिरह की गई।

शाद नव अ २३



124

पत्राचली पर उभाथ पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा बहस सुनाई गई। बहस में अंशों पर कोई विवाद होना नहीं बताया गया जे और पी0 डी0 हेतु आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है। वहस के क्रम में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य आदि का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित हुआ कि आराजी निजाइ में वादनी जारिये पंजीकृत बैनामा के आधार पर है तथा प्रतिवादी नं-1 व 2 पैतृक सम्पत्ति के आधार पर है। वादनी व प्रतिवादी नं । व प्रतिवादी नं-2 इन सबको आराजी निजाइ में 1/3 व 1/3 व 1/3 अंश प्रत्येक का होना स्वीकार है। उपरोक्त के आधार पर अंश घोषित करते हुजे प्रारम्भिक डिक्री का आदेश पारित किया जाना उचित होगा।

### आदेश

अतः उपरोक्त के आधार पर आदेश पारित किया जाता है कि ग्राम रसूलपुर नौगजा तहसील स्वार जनपद-रामपुर स्थित भूमि खाता सं0. 219 गाटा सं0 306 रक्वा 0-239 हेठली 11=80 रु में बादनी का 1/3 अंश व प्रतिवादी नं०-१ का 1/3 अंश व प्रतिवादी नं०-२ का 1/3 अंश घोषित किया जाता है। वादनी व प्रतिवादी गण अपने-2 अंश के अनुसार कुर्ए दाखिल कराये जाने हेतु हल्का लेखापाल को नियमानुसार तलब कराये और पत्रावली कुरें दाखिल हेतु दिनांक 19-1-13 को प्रस्तुत हो।

दिनांक जनवरी 2, 2013

ए0 के0 श्रीवास्तव  
उप जिलाधिकारी, स्वार  
रामपुर।

उपरोक्त आदेश खुले न्यायलय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

उप जिलाधिकारी, स्वार  
रामपुर।

शाहनवाज २३



(11)

(125)

## राज्य प्रतिक्रिया

न्यायालय उप विलासिता कारी, स्वार जनपद-रामेश्वर।

बाट नं 12/2010-11

अन्तिगत दाता 17 अप्रैल शुक्रवार खलूआ-रामेश्वर

ग्राम रमेश्वर नौगंजा

परगना ब तहसील स्वार जनपद-रामेश्वर।

श्रीमती इमामदा छातू

काम भाइ जान आदि

प्ररक्षिता की  
आदेश

उपरोक्त वादप्रतीक्षी श्रीमदा छातू घली कले अहमद निवासी और रमेश्वर नौगंजा तहसील स्वार जनपद-रामेश्वर के बाट-पत्र के ग्राम परगना ब तहसील स्वार जनपद-रामेश्वर। वादनी श्रीमदा ने अपने बाट-पत्र के आदेश के लिए कहा है कि ग्राम रमेश्वर नौगंजा तहसील स्वार जनपद-रामेश्वर, दिनांक ५४ जून छातू ताता नं २१९, गाड़ा नं ३१६ रक्षा ६-२३९ है उलगानी ११८० रुपये के १/३ भाग की संक्रमणीय भूमिकार कालतार तड़कातेदार प्रतिक्रिया नं १-। राहतगान ब दूल्हाजान ब तगामतगान ब और छालिद ब भीष्म तादि कुत्रगण स्थृ भाइजान ब श्रीमती जमीला घली तथा भाइजान बिवाहीगण और रमेश्वर तहसील स्वार ब प्रतिक्रिया नं २- नन्हे सुन्दरी नवी निवासी ग्राम और रमेश्वर तहसील स्वार का १/३ भाग ब १/३ भाग है। उपरोक्त आराधी तड़कातेदारी के कारण लगान अदावेणी एवं काल पैदाचार उठान को लेकर आधे दिन बिवाद ब्यारहता है। वादना अपने ग्राम के अनुतार अलग-अलग छातू ताता ब लुरा कानून रूप से बट्टारा कराना चाहती है। वादनी ने अपने दावे के ताथ दावे की प्राप्ति ब बकालतमामा ब प्रावधान ब नक्ल तातों तंत्रण की है। प्रतिक्रिया को तमन जारी किये गए जो बाट तातों बकालों बर तंत्रण है।

प्रतिक्रिया नं १ ब २ की ओर से जवाब दावा हिनांक २७-१-११ को प्रस्तुत हुआ और पकाकारों के द्वारा प्रस्तावित बाट-बिन्दु पैरा किये गए जिनके आधार बर न्यायालय द्वारा बाट-बिन्दु मिर्दारित किये गए। बकाली बर गादी एवं प्रतिक्रिया नं ०-१२ की ओर से तात्पर प्रस्तुत किया गया तथा बाट-बिन्दु

— २ —

०६-८-११

रामेश्वर



126

-----2-----

के विद्वान आदिवक्ताओं के बदारा एक दूसरे के गवाहों से जिरह की गई।  
विद्वान आदिवक्ताओं

बत्राबली पर उभाष घटाते के बदारा बहल रुनाई गई। बहल में अंगों पर कोई विचार छोना नहीं बताया गया औं और पीछोंमें हेतु आदेश आरित किये जाने का विवेदन किया गया है। बहल के क्रम में बत्राबली पर प्रस्तुत ताक्षण आदि गा अबलोकन किया गया। अबलोकन से विदित हुआ कि आराजी नियाङ्क में बादनी जरिये घंटीकृत बैमासा के आधार पर है तथा प्रातिकादी नं०-१ व २ पैदृक तम्भात्ति के आधार पर है। बादनी व प्रातिकादी नं०-१ व प्रातिकादी नं०-२ इन तम्भों आराजों नियाई में १/३ व १/३ व १/३ अंग प्रत्येक का लोना स्वीकार है। उपरोक्त के आधार पर अंग दाओड़ित करते हुए प्रारम्भिक हिस्सी का आदेश आरित किया जाना उचित लोगा।

आदेश

अतः उपरोक्त के आधार पर आदेश आरित किया जाता है कि ग्राम रामपुर नौगजा तहसील स्वार जनधन-रामपुर फ़िरात मूलि छाता सं०२१७ गाटा राम०३६६ रक्खा ०-२३९ हेतु लगानी ११४४४ में बादनी का १/३ अंग व प्रातिकादी नं०-१ का १/३ अंग व प्रातिकादी नं०-२ का १/३ अंग दाओड़ित किया जाता है। बादनी व प्रातिकादी अन्ते-२ अंग के अनुसार कुरें दाहिल कराये जाने हेतु डल्का लेकापाल को निझानुसार ताब कराये और बत्राबली कुरें दाहिल हेतु दिनांक १९-१-१३ को प्रस्तुत हो।

दिनांक जनवरी २, २०१३

*अधिकारी*  
१ इफेंश्री श्रीबाहुत्री,  
उष जिलाधिकारी, स्वार  
रामपुर।

उपरोक्त आदेश छाले न्यायालय में दिनांकित इच्छा छस्ताइट रित कर

*अधिकारी*  
उष जिलाधिकारी, स्वार  
रामपुर।


इच्छा प्रमिलिय

19/6/13

(मामूल)



06-7-2013



15/11/13 रामवती द्वा

(127)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. (12)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



२०१३/१८८

128

न्यायालय उपजिलाधिकारी स्वार जिला रामपुर  
वाद सं 12/10-11 अन्तर्गत धारा 176 Z.A & LR Act  
ग्राम रसूलपुर नौंगजा तहो स्वार रामपुर  
श्रीमती शायदा खातून बनाम भाईजान आदि  
नक्षा अक्ष/फर्द कुरा ग्राम रसूलपुर नौंगजा तो स्वार  
गांसं 306 रकबा 0.239 हे०

उ०  
द०

चक्रोड गांसं 308

306/1		चक्रोड गांसं 305
306/2		स्वार से
306/3		मोहल्ला नौंगजा को लिंक रोड (डामर रोड)


### संकेत सूची

क्र०सं/कुरा नं०	कुरा का रंग	गांसं	रकबा	लगानी
1	लाल	306/1	0.080	3.94
2	हरा	306/2	0.080	3.94
3	पीला	306/3	0.079	3.93

ह०अपठ०

28.02.13

सत्य प्रतिलिपि



श्री एन वडा रवा

H - 12

(129)

## राज्य प्रतिविधि

मालवीय उपक्रिया देखने की सुनील रामेश  
दिनांक 12/10/11 दस्तावेज दरा 1762A द्वारा

मालवीय रामेश नौजवान नं ५४१, रामेश  
मालवीय दरा ११४६। ११२७ वर्ष वाले नाना

नाम दरा अमरा/५५३२१ - मालवीय रामेश नौजवान नाना  
दरा ३०६ रुपया ०.२३३ हैं



सुनील रामेश

क्रमांक	क्रमांक	क्रमांक	क्रमांक
1	ताल	३०६/१	०.०८०
2	झी	३०६/२	०.०००
3	गोदा	३०६/३	०.०७९

28/10/13  
(S/H (B))



राज्य प्रतिविधि  
दरा 19/10/13



(130)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. (13)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



११३०४/३१/२०१

(B)

न्यायालय श्रीमान एस डी ओ महोदय त0 स्वार जि0 रामपुर

वाद सं0 सन्

श्रीमती शायदा खातून बनाम भाईजान आदि

अन्तर्गत धारा 176 Z.A. & LR Act

ग्राम रसूलपुर नौंगजा

तह0 स्वार रामपुर

आपत्ति कुर्स दि0 28.2.13 द्वारा वादिनी श्रीमती शायदा खातून पत्नी फजले  
अहमद निवासी मौ0 रसूलपुर नौंगजा त0 स्वार लेखपाल हल्का द्वारा  
दाखिल कुर्स पर निम्नलिखित आपत्ति करती है—

1—यह कि लेखपाल हल्का द्वारा दाखिल कुर्स दि0 28.2.13 खिलाफ कानून  
खिलाफ वाक्यात खिलाफ मौका है तथा लायके खारजा है।

2—यह कि हल्का लेखपाल द्वारा प्रतिवादीगण से साजबाज होकर वादिनी  
को नुकसान पहुंचाने की गरज से नियम विरुद्ध तरीके से कुर्स दाखिल  
किये गये हैं जो किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य न होकर  
निरस्त किये जाने योग्य हैं।

3—यह कि हल्का लेखपाल द्वारा वाद हाजा मे जो कुर्स दाखिल किये गये  
हैं वह कानून का खुला उल्लंघन है। न्याय के सिद्धांत को दरकिनार करते  
हुए विधि विरुद्ध कुर्स न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत कर दिये गये हैं जो  
किसी भी दृष्टि से स्वीकार किये जाने योग्य न होकर निरस्त किये जाने  
योग्य हैं।

4—यह कि विधिक व्यवस्थानुसार कुर्स बनाते समय इस तथ्य को ध्यान मे  
रखना चाहिये कि सड़क से लगे भूखण्ड के प्रत्येक सहखातेदार को सड़क  
की तरफ बराबर चौड़ाठ आवंटित की जानी चाहिए परन्तु हल्का लेखपाल  
द्वारा इस कानून का वादग्रस्त आराजी के कुर्स बनाते समय बिल्कुल ध्यान  
नहीं रखा गया तथा सड़क से लगी समस्त भूमि पर प्रतिवादीगण को कुर्स  
प्रस्तावित कर दिया गया जो कि वादिनी के साथ सरासर नाइन्साफी है  
इस कारण भी हल्का लेखपाल द्वारा न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत करें निरस्त  
किये जाने योग्य हैं।

शाह बत्रा

132

5—यह कि वादग्रस्त आराजी गाटा सं0 306 से लगा हुआ वादिनी का दूसरा चक गाटा सं0 308 है हल्का लेखपाल द्वारा दाखिल कुर्ए मे इस बात का भी ध्यान नही रखा गया लंबे सड़क प्रार्थिनी/वादिनी को वादग्रस्त आराजी मे कुर्ए दिये जाने पर वादिनी को खेती करने मे दुश्वारिया कम हो जायेगी। इस कारण भी लेखपाल द्वारा दाखिल कुर्ए दि0 28.2.13 लायके खारजा है।

6—यह कि वाद ग्रस्त आराजी की कुर्ए बन्दी का वाद न्यायालय श्रीमान मे वादिनी नियमानुसार सड़क पर समान रूप से सभी पक्षकारो को भूखण्ड आवंटित किये जाने की बावत किया था परन्तु हल्का लेखपाल ने वादिनी का महिला और पर्दानशीन होने का लाभ अनुचित रूप से प्रतिवादीगण को पहुचाने की नियत नियम विरुद्ध कुर्ए बनाकर न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत कर दिये जोकि उ0प्र0 जमी0 वि0 नियमावली नियम 131 के विरुद्ध है।

7—यह कि उक्तानुसार एवं वधिक पहलुओ को दृष्टिगत करते हुए नियम विरुद्ध कुर्ए दि0 28.2.13 खारिज फरमाये जाकर हल्का लेखपाल को नियमानुसार पुनः कुर्ए दाखिल करने का आदेश पारित फरमाया जावे।

श्रीमान जी की महान कृपा होगी।

वादिनी

वादिनी श्रीमती शायदा खातून

पत्नी फजले अहमद

सत्य प्रतिलिपि



शायदा खातून

13

133

—प्राचालय अधीक्षन S.G.O. महोदय प्रांत कार्यालय पुर

वाद सूत्र

सन

श्रीमति शोभा रवाहून ७/८ अईजन आदि  
 ८/८ १७६ ZA.S URACT  
 इम-सद्गुरु-गंगा  
 त्रांकांट पुर

आपही कुरी दिन २४/२/१३ द्वारा बादनी श्रीमति शोभा रवा  
 हून पर्वी पञ्जली अदान निवासी मी० रघुवर पौडेल  
 त० ट्रांकांट लोखपाल है कोड द्वारा कोडिल छुट्टी  
 मिन्नलिकिर आपही कुरी है—

- ① भद्रकि लोखपाल है कोड द्वारा कोडिल है  
 दिन २४/२/१३ प्रियलोक का चून, प्रियलोक बोकार  
 किलोफ मी० को हवा लोपक जाएगा है।
- ② भद्रकि है कोड का लोखपाल द्वारा पुरिवारीगण से  
 साजबोज होकर बादनी की चुक साम पहुँचाने  
 की जाए दै प्रियम विद्धु टटीकि है कोडिल  
 किये जाए है जो किमी जी बुकार दीकार किये  
 जाने योग्य न होकर मिट्टि किये जाने चाहए है।
- ③ भद्रकि है कोड का लोखपाल है द्वारा बाद हाजा में  
 जो कुरी कोडिल किये जाए है। बद के त्रुप  
 का खुना उल्लंघन है। — योग्य कियिहात  
 की दार्किलार के हुए विद्धु विद्धु कुरी  
 — प्राचालय अधीक्षन में कुरी कर दिया जाए है  
 जो किमी जी हुकिय है दीकार किये जाने योग्य  
 न होकर मिट्टि किये जाने चाहए है।
- ④ भद्रकि विवक्त व्यवस्थापुरा कुरी बनाए  
 लम्प छाल रखने की दृष्टि में देखना — योग्य  
 कि सड़क से लगी अज्ञान की प्रतिक दृष्टिकोण



अधीक्षन

०६.०२.१४

सुनिश्चित

प्राचालय अधीक्षन

134

की सङ्केत की टाल बोर्ड-सॉडा अवैटिट की जाने चाहिए परन्तु हल्का लेखपाल होगा। इस कानून का वादगृहस्त आरजी के कुरेवारे समय बिल्डिंग व्यापार नहीं रखा गया रूपा दुष्क से लगी सास्त श्रमिक सुविधागार का कर्ते छालविट कर दिया गया जो कि वादिनी के द्वाव होरार याक-हामी होकर कानून भी हल्का लेखपाल होगा = पोर्टलपर्टीगान में पहलुत के नियम किये जाने चाहए हैं।

(5) अदाकि वादगृहस्त आरजी गाया हो 306 से लगा हुआ वादिनी का होरार-चक गाया हो 308 हो हल्का लेखपाल होगा कैशल के इस बाब की व्याप नहीं होता गया लेकि दुष्क फ्राविटी वादिनी की वादगृहस्त आरजी के कुरेविटी पर वादिनी की जीते कर्ते में हुशकारा करदा जाएगी। इसकान भी लेखपाल होरार-विल कुरेविट 28/2/13 लापके जाएगा है।

(6) अदाकि वादगृहस्त आरजी के कुरेवदी का वाद-भाग्यालय जीगान में वादिनी नियमानुसार सङ्केत पर हुमान हृषि से हाथी पेशकारी की भूखण्ड आवंटिट किये जाने की बोर्ड किया गया। पहलु हल्का लेखपाल ने वादिनी का अहिलाजी प्रदर्शन होने का लाभ अनुनियट हुदै घरिवारीगां के पहुंची की मिपट नियम विल्हेम कुरेवाकर-भाग्यालय जीगान में पहलुत कर दिया जो कि हुशुकर्जी ने विनियमानुसार लिया 131 के विल्हेम 1.

(7) अदाकि हुशुकर्जी हृषि विविक पहलुत की हडिंगाट के हुदै नियम विल्हेम कुरेविट 28/2/13 विनियमानुसार जाकर हल्का लेखपाल कर दिया गया। पुनः कुरेविट विल्हेम करने का नियम विल्हेम 131 का है।

66 सभा

अदाकि विविक पहलुत  
पहलुत करने का नियम

131 // 131  
वादगृहस्त आरजी

(135)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. (14)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



१११०३१०२११

## दाव प्रतिपि

न्यायालय उप जिलाधिकारी स्वार जनपद रामपुर ।  
 वाद सं 12/2010-11 अन्तर्गत धारा 176 जेड०३० एल०आर०एक्ट  
 ग्राम रसूलपुर नौगजा तहसील, स्वार-रामपुर ।

(136)

1-श्रीमती शायदा खातून पल्ली फजले अहमद निम०म०रसूलपुर नौगजा तहसील स्वार जिला रामपुर ।  
 (वादी)

दनाम

- 1-राहतजान व दूल्हा जान व सलामत जान व मौ० खालिद व मौ० सादिक पुत्रगण स्व० भाईजान निवासीगण मोहल्ला रसूलपुर नौगजा तहसील स्वार रामपुर ।  
 2-नन्हे पुत्र मौ० नवी मोहल्ला रसूलपुर नौगजा तहसील स्वार रामपुर ।  
 3-नगर पालिका परिषद अध्यक्ष द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद स्वार तहसील स्वार जिला रामपुर ।

(प्रतिवादीगण)

डिकी

प्रश्नगत वाद में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-06-13 के अनुपालन में विवादित आराजी कि ग्राम रसूलपुर नौगजा तहसील स्वार जनपद रामपुर की खाता सं० 215 के गाटा सं० 306 रक्वा 0.239ह० लगानी 11.80र० मैं कुर्चा नं० 1 रंग लाल गाटा सं० 306/1 रक्वा 0.080ह० लगान 3.94र० श्रीमती शायदा खातून पल्ली फजले अहमद निवासी ग्राम को व कुर्चा नं० 2 रंग हरा गाटा सं० 306/2 रक्वा 0.080ह० लगान 3.93र० नन्हे पुत्र मौ० नवी निवासी ग्राम को व कुर्चा नं० 3 रंग पीला गाटा सं० 306/3 रक्वा 0.079ह० लगान 3.93ह० राहत जान व दूलाजान व सलामत जान व मौ० खालिद व मौ० सादिक पुत्रगण भाईजान व श्रीमती जमीला पल्ली भाईजान निवासी ग्राम को आवटित किये जाते हैं। दाखिल कुर्चे दिनांक 28.2.13 डिकी का अंग रहेंगे। वाद व्यय निम्न प्रकार है :-

वाद व्यय पक्षकारान

वाद व्यय वादी	वाद व्यय प्रतिवादी
1- कोर्ट फीस	26-00
2- तलवाना	2-00
3-स्टाम्प	--
योग:-	28-00
	96-00

उक्त डिकी आज दिनांक 17-06-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर सहित जारी की गई ।

*अ. श. न. ८५५३*  
 उप-जिलाधिकारी-स्वार,  
 जनपद-रामपुर ।



14  
**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**

OFFICE OF

**KAMESH KUMAR ARYA**

ADVOCATE HIGH COURT  
ALLAHABAD

In Library Hall, Central Table No. 3  
High Court Allahabad.  
Mob. 9335123722, 9455470833  
E-Mail :- kameshkumararya@gmail.com

(137)

Division - Moradabad

Copy of the Order Dated- 15.06.2013

District - RAMPUR

Order Passed by- S.D.M. Rampur

IN

S.MT. SHAYDA KHATOON AND OTHERS Petitioner/appellant/Applicant

Versus

RAHAT JAAN AND OTHERS Respondent/ Opposite Parties



कक्षल प्रार्थना पत्र नम्बर ८५१२  
प्रार्थना पत्र दिनांक १७-१२-२४  
नकल बनाने का दिनांक १९-१२-२४  
नकल लेने का दिनांक १९-१२-२४  
प्रार्थना पत्र संख्या ८५१२  
मन २०२५ के साथ नकल दिख गया  
19.12.2013  
अनुभाग आधिकारी (अध्यक्ष)  
राजस्व परिकल उद्धरण  
ज्योगराज



संप्रयुक्तिलिखि ओडिशा न्यायालय उपजिलाधिकारी  
स्वाद - फिनोन - 15-06-2013

138

न्यायालय उप-जिलाधिकारी, स्वार जनपद रामपुर।  
वाद संख्या - 12/2010-11

अन्तर्गत धारा 176जे०१०४०एन्ड एल०आर०एक्ट,  
ग्राम रसूलपुर नौगजा तहसील स्वार-रामपुर

श्रीमती शायदा खातून बनाम भाईजान आदि  
निर्णय

उपरोक्त वाद श्रीमती शायदा खातून पत्नी फजले अहमद निवासी ग्राम रसूलपुर नौगजा के प्रार्थना पत्र पर योजित हुआ वादनी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहा है कि उपरोक्त वाद में प्रारम्भिक डिकी का आदेश पारित किया जा चुका है कुर्रे दाखिल हेतु हल्का लेखपाल का एक दिन का वेतन चालान के माध्यम से जमा किया जा चुका है लेखपाल को नियमानुसार तलब किये जाने के आदेश पारित किये जाने की कृपा करें। हल्का लेखपाल को तलब किया गया जिनके द्वारा दिनांक 28.2.13 को कुर्रे दाखिल किये गये तथा दिनांक 28.2.13 को प्रार्थना पत्र वादनी यह कहते हुये प्रस्तुत हुआ कि कोई दीगर तारीख दे दी जाये, दिनांक 22.3.13 को हल्का लेखपाल का व्यान दर्ज हुआ जिनके द्वारा कुर्रे के सम्बन्ध में व्यान दर्ज कराये गये जिरह में वादनी के अधिवक्ता ने हल्का लेखपाल से मालूम किया गया हल्का लेखपाल ने कहा कि यह मुकदमा श्रीमती शायदा खातून ने दायर किया है। आराजी निजाई खाता सं० 215 के गाटा सं० 306 रकवा 0.239ह० लगान 11.80रु० के कुर्रे कब्जे के आधार पर बनाये हैं। श्रीमती शायदा खातून के हक में बैनामा हुआ था। बैनामे के दाखिल खारिज के समय इस गांव में तैनात नहीं थी विवादित आराजी के कुर्रे बनाते समय मेरे साथ कोई नहीं था। यह कहना गलत है कि मैंने प्रतिवादी से साज-बाज करके नियम विरुद्ध कुर्रे बनाये हैं। कुर्रे पर आपत्ति आयी आपत्ति बिन्दु बार वादनी की ओर से प्रस्तुत की गयी है जिसमें दाखिल कुर्रे दिनांक 28.2.13 गलत बताये गये हैं व नियम विरुद्ध बताये गये हैं। आपत्ति के बिन्दु नं० 4 में यह भी कहा गया है कि विधिक व्यवस्था अनुसार कुर्रे बनाते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए की सडक से लगे भू-खण्ड के प्रत्येक सह-खातेदार को सडक की तरफ बराबर चौड़ाई आवंटित की जानी चाहिए हल्का लेखपाल द्वारा इस कानून का पालन नहीं किया गया है। प्रस्तुत कुर्रे निरस्त किये जाने योग्य हैं। आपत्ति में इंगित बिन्दुओं के आधार पर यह प्रार्थना की गयी है कि कुर्रे दिनांक 28.2.13 खारिज फरमाये जायें।

पत्रावली पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी बहस में वादनी के अधिवक्ता ने कहा है कि दाखिल कुर्रे दिनांक 28.2.13 विधि विरुद्ध एवं नियम विरुद्ध होने के कारण निरस्त फरमाये जायें और पुनः कुर्रे दाखिल करने का आदेश पारित किया जावे। सडक से लगे भू-खण्ड के प्रत्येक सह-खातेदार को सडक की तरफ बराबर चौड़ाई आवंटित होना चाहिए इस प्रकार से भी दाखिल कुर्रे विधि विरुद्ध हैं। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा की वादनी ने आराजी निजाई जरीय बैनामा प्रतिवादीगण के भाई से क्य की है और चोहददी के अनुसार ही वादनी का कब्जा है। विधिक व्यवस्था राजस्व निर्णय संग्रह 2004 में यह व्यवस्था दी गयी है कि धारा 176 एवं 331(4)-बंटवारे का वाद-कुर्रे परिस्थितियों एवं मालियत के आधार पर निर्मित-पक्षकारान अपने-अपने अंशों पर काबिज-अंश पारिवारिक विभाजन के आधार पर विधि अनुरूप निर्णय उचित हस्तक्षेप वांछिनीय नहीं है, के अनुसार भी दाखिल कुर्रे नियमानुसार सही हैं। कुर्रे आवंटित करते हुये अन्तिम डिकी का आदेश पारित फरमाया जावे।

- 2 -



(139)

-- 2 --

मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का विवेलोकन किया दाखिल कुर्रे दिनांक 28.2.13 विधिक व्यवस्था अनुसार लेखपाल द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आपत्ति वादनी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। तथा प्रस्तावित कुर्रे आवंटित करते हुये अन्तिम डिकी का आदेश पारित किया जाना उचित होगा।

### आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ओदेश पारित किया जाता है कि ग्राम रसूलपुर नौगजा तहसील स्वार जनपद रामपुर की खाता सं० 215 के गाटा सं० 306 रक्वा 0.239हें० लगानी 11.80रु० में कुर्रा नं० 1 रंग लाल गाटा सं० 306/१ रक्वा 0.080हें० लगान 3.94रु० श्रीमती शायदा खातून पत्नी फजले अहमद निवासी ग्राम को व कुर्रा नं० 2 रंग हरा गाटा सं० 306/२ रक्वा 0.080हें० लगान 3.93रु० नहें पुत्र मौ० नवी निवासी ग्राम को व कुर्रा नं० 3 रंग पीला गाटा सं० 306/३ रक्वा 0.079हें० लगान 3.93हें० राहत जान व दूलाजान व सलामत जान व मौ० खालिद व मौ० सादिक पुत्रगण भाईजान व श्रीमती जमीला पत्नी भाईजान निवासी ग्राम को आवंटित किये जाते हैं। दाखिल कुर्रे दिनांक 28.2.13 डिकी का अंग रहेंगे। वादी एवं प्रतिवादी अपने—अपने कुर्रे के अनुसार एक सप्ताह के भीतर स्टाम्प अदा करेंगे। तदपश्चात अन्तिम डिकी बनायी जाये तथा परवाना जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिली दफतर हो।

दिनांक जून १५, 2013

(ए०के० श्रीवास्तव)  
उपजिलाधिकारी स्वार  
जनपद—रामपुर।



प्रतिलिपि कर्ता .....  
मिलान वा. .....  
तिथि १९-१२-२०१३



17/06/2013

(140)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. (15)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



21/07/2021

(141)

न्यायालय अपर आयुक्त (न्यायिक), मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

अपील संख्या 56/2012-13

धारा 331 ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

शायदा खातून बनाम राहतजान आदि

ग्राम रसूलपुर नौंगजा तहसील: स्वार जिला रामपुर

निर्णय

प्रस्तुत अपील न्यायालय उपजिलाधिकारी, स्वार जिला रामपुर में वाद संख्या 12/10-11 अर्त्तगत धारा 176 ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम संबंधित एवं स्थित भूमि ग्राम रसूलपुर नौंगजा तहसील स्वार जिला रामपुर में पारित आदेश दिनांक 15.6.13 एवं डिक्टी दिनांक 17.06.13 के विरुद्ध योजित की गयी है।

अपीलकर्तागण की ओर से प्रस्तुत तर्कों में कहा गया है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि गाटा संख्या 306 के विभाजन हेतु वाद अवर न्यायालय में सहखातेदारों को पक्षकार बनाते हुए योजित किया गया। लेखपाल द्वारा बिना मौके पर जाए ही प्रत्युत्तरदातागण से हमसाज होकर कब्जे के विपरीत अपीलार्थी को कुर्च मुख्य सङ्क से विपरीत दिशा में चक्रोड़ पर आवंटित कर दिया गया जबकि प्रत्युत्तरदाता संख्या-3 को मुख्य डामर वाली सङ्क पर कुर्च आवंटित किया गया है। नियम-131 ज०वि० नियमावली के अनुसार समस्त सहखातेदारों को समान मालियत की भूमि आवंटित की जायेगी। जिस कारण अपीलार्थी के कुर्च व प्रत्युत्तरदातागण के कुरों की मालियत में अत्यधिक असमानता है जो विधि अनुसार सहीं नहीं है। विवादित भूमि पर समस्त पक्षों का कब्जा मुख्य सङ्क पर उत्तर-दक्षिण है तथा नियमानुसार भी समस्त पक्षकारों को मुख्य सङ्क पर समान भूमि आवंटित करनी चाहिए थी किंतु प्रश्नगत कुरों में ऐसा न कर त्रुटिपूर्ण कुर्च बनाये गये हैं जोकि निरस्त होने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था 2009 जे.आई आर. 762 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया। अंत में अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश व डिक्टी निरस्त किए जाने पर बल दिया गया।

ब्राह्मवत्त २३

(43)

प्रतिपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि विवादित भूमि का पारिवारिक विभाजन पूर्व में ही हो चुका था और उसी के आधार पर तीनों खातेदार अपने—अपने अंश की भूमि पर काबिज व दखील चले आ रहे थे और अपीलकर्ता का कुर्रा वहीं बनाया गया है जहाँ उनके द्वारा भूमि क्य की गयी है। लेखपाल द्वारा दाखिल किए गये कुर्रे कब्जे के अनुसार है। अंत में अपील निरस्त करने पर बल दिया गया।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि लेखपाल द्वारा कुर्रे इस प्रकार लगाये गये हैं कि अपीलकर्ता का कुर्रा चकरोड पर दिया गया है। विवादित भूमि के तीन कुर्रे लगाये गये हैं जिनमें अपीलकर्ता का कुर्रा चकरोड पर दिया गया है व प्रतिपक्षीगण को डामर रोड से लगा हुआ कुर्रा दिया गया है। जबकि कुर्रे इस प्रकार लगाये जाने चाहिए कि तीनों ही सहखातेदारों को सङ्क का भाग उनके अंशों के अनुसार प्राप्त हो सके। इस संबंध में जो विक्रयपत्र अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित हुआ है उसके संबंध में प्रस्तुत की गयी मा० उच्चतम न्यायालय की विधि—व्यवस्था 2009 जे.आई.आर. 762 के अवलोकन से विदित होता है कि किसी भी विशिष्ट भाग के विक्रयपत्र से स्वत्व तो हस्तान्तरित हो जाता है परन्तु वह विशिष्ट भाग हस्तान्तरित नहीं होता बल्कि उनका विनिश्चिय विभाजन के बाद में ही किया जा सकता है जो अवर न्यायालय को करना चाहिए था और कुर्रे इस प्रकार के होने चाहिए कि उससे तीनों की मालियत उनके अंशों के अनुपात में समान हो जायें। इसके अतिरिक्त प्रत्युत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि लेखपाल द्वारा कुर्रे कब्जे के आधार पर लगाये गये हैं। मैं बल नहीं पाया जाता क्योंकि लेखपाल द्वारा जो कब्जा बताया गया है, वह साध्य आधारित नहीं है तथा साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता। जैसा कि पत्रावली पर उपलब्ध लेखपाल के बयान दिनांक 22.3.13 से स्पष्ट होता है जिसमें अंकित किया गया है कि कुर्रे मैंने कब्जे के आधार बनाये हैं। नियम के आधार पर नहीं बनाये हैं। मैंने वादी प्रतिवादी को कुर्रे बनाने से पूर्व सूचना नहीं दी। उ०प्र०ज०वि० अधिनियम नियमावली की जानकारी वकीलों को होती हैं मुझे भी है। बिन्दु सबसे

शादौवाल शा

(143)

अधिक महत्वपूर्ण है जिसके विरुद्ध होने के कारण कुर्त एवं प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है कि तीनों पक्षों को इस प्रकार के कुर्त आवंटित किए जाये जिसमें कब्जे एवं मालियत के साथ साथ इस बिन्दु पर भी ध्यान दिया जाय कि उनके अंशों के अनुपात में सड़क का भाग यथासम्भव समान रूप से प्राप्त हो सके।

### आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.6.13 निरस्त किया जाता है तथा वाद अवर न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तीनों पक्षों को इस प्रकार के कुर्त आवंटित किए जायें जिसमें कब्जे एवं मालियत के साथ—साथ उनके अंशों के अनुपात में सड़क का भाग समान रूप से प्राप्त हो सके। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली वापस की जाय तथा इस न्यायालय की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त संचयार्थ अभिलेखागार प्रेषित की जाय।

दिनांक 29.11.2013

ह0अपठ0


(डा० कंचन सरन)  
अपर आयुक्त (न्यायिक)  
मुरादाबाद

उपरोक्त निर्णयादेश आज दिनांक 29.11.13 को मेरे द्वारा खुले न्यायालम में हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0अपठ0

(डा० कंचन सरन)  
अपर आयुक्त (न्यायिक)  
मुरादाबाद

सत्य प्रतिलिपि



**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**  
**OFFICE OF**  
**KAMESH KUMAR ARYA**

**ADVOCATE HIGH COURT  
ALLAHABAD**

In Library Hall, Central Table No. 3  
 High Court Allahabad.  
 Mob. 9335123722, 9455470833  
 E-Mail :- kameshkumararya@gmail.com

(114)

**Division - Moradabad**

Copy of the Order Dated- 29.11.2013

District - RAMPUR

Order Passed by- Addl. Commissioner (Judicial)  
Moseedabed Mandal Moradabad.

Apptd. No - 56/2012 -13 IN

Smt. SHAYDA KHATOON ..... Petitioner/appellant/Applicant

Versus

RAHAT JAAN AND OTHERS .....

Respondent/ Opposite Parties

मुकल प्रार्थना पत्र नम्बर 8512  
 प्रार्थना पत्र दिनांक 17-12-24  
 नकल बनाने का दिनांक 19-12-24  
 नकल लेने का दिनांक 19-12-24  
 प्रार्थना पत्र संख्या 8512  
 मन 2024 के साथ नकल दिया गया  
Shayda 2013  
 अनुभाग आधिकारी (न्याय)  
 समस्य परिषद उम्मीद  
 प्रधानमंत्री



सत्यप्रगतिलिपि आदर्श न्यायालय अपर आयुक्त (न्या.)  
ठिनेक - 29-11-2013 AG

न्यायालय अपर आयुक्त(न्यायिक), मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।  
अपील संख्या:56 / 2012-13 धारा:331 ज0विठएवं भूमि व्यवस्था अधिनियम  
शायदा खातून बनाम • राहतजान आदि  
ग्राम:रसूलपुर नौंगजा तहसील:स्वार जिला:रामपुर  
निर्णय

प्रस्तुत अपील न्यायालय उपजिलाधिकारी, स्वार जिला रामपुर में वाद संख्या  
12/10-11 अर्त्तगत धारा 176 ज0विठएवं भूमि व्यवस्था अधिनियम संबंधित एवं स्थित  
भूमि ग्राम रसूलपुर नौंगजा तहसील स्वार जिला रामपुर में पारित आदेश दिनांक 15.6.13  
एवं डिकी दिनांक 17.06.13 के विरुद्ध योजित की गयी है।

अपीलकर्तागण की ओर से प्रस्तुत तर्कों में कहा गया है कि अपीलार्थी द्वारा  
विवादित भूमि गाटा संख्या 306 के विभाजन हेतु वाद अवर न्यायालय में सहखातेदारों को  
पक्षकार बनाते हुए योजित किया गया। लेखपाल द्वारा बिना मौके पर जाए ही  
प्रत्युत्तरदातागण से हमसाज होकर कब्जे के विपरीत अपीलार्थी को कुर्च मुख्य सङ्क से  
विपरीत दिशा में चकरोड पर आवंटित कर दिया गया जबकि प्रत्युत्तरदाता संख्या-3 को  
मुख्य डामर वाली सङ्क पर कुर्च आवंटित किया गया है। नियम-131 ज0विठनियमावली  
के अनुसार समस्त सहखातेदारों को समान मालियत की भूमि आवंटित की जायेगी। जिस  
कारण अपीलार्थी के कुर्च व प्रत्युत्तरदातागण के कुर्च की मालियत में अत्यधिक असमानता  
है जो विधि अनुसार सही नहीं है। विवादित भूमि पर समस्त पक्षों का कब्जा मुख्य सङ्क पर  
पर उत्तर-दक्षिण है तथा नियमानुसार भी समस्त पक्षकारों को मुख्य सङ्क पर समान भूमि  
आवंटित करनी चाहिए थी किंतु प्रश्नगत कुर्च में ऐसा न कर त्रुटिपूर्ण कुर्च बनाये गये हैं  
जोकि निरस्त होने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता द्वारा मा०  
उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था 2009 जे.आई.आर. 762 की ओर न्यायालय का ध्यान  
आकृष्ट कराया गया। अंत में अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश व डिकी निरस्त किए  
जाने पर बल दिया गया।

प्रतिपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि विवादित भूमि का  
पारिवारिक विभाजन पूर्व में ही हो चुका था और उसी के आधार पर तीनों खातेदार  
अपने- अपने अंश की भूमि पर काबिज व दखील चले आ रहे थे और अपीलकर्ता का  
कुर्च वहीं बनाया गया है जहाँ उनके द्वारा भूमि क्य की गयी है। लेखपाल द्वारा दाखिल  
किए गये कुर्च कब्जे के अनुसार हैं। अंत में अपील निरस्त करने पर बल दिया गया।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का  
अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि लेखपाल द्वारा कुर्च इस प्रकार लगाये  
गये हैं कि अपीलकर्ता का कुर्च चकरोड पर दिया गया है। विवादित भूमि के तीन कुर्च  
लगाये गये हैं जिनमें अपीलकर्ता का कुर्च चकरोड पर दिया गया है व प्रतिपक्षीगण को  
डामर रोड से लगा हुआ कुर्च दिया गया हैं। जबकि कुर्च इस प्रकार लगाये जाने चाहिए  
कि तीनों ही सहखातेदारों को सङ्क का भाग उनके अंशों के अनुसार प्राप्त हो सके। इस  
संबंध में जो विक्यपत्र अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित हुआ है उसके संबंध में प्रस्तुत की  
गयी मा० उच्चतम न्यायालय की विधि-व्यवस्था 2009 जे.आई.आर. 762 के अवलोकन से  
विदित होता है कि किसी भी विशिष्ट भाग के विक्यपत्र से स्वत्व तो हस्तान्तरित हो जाता  
है परन्तु वह विशिष्ट भाग हस्तान्तरित नहीं होता बल्कि उनका विनिश्चय विभाजन के  
वाद में ही किया जा सकता है जो अवर न्यायालय को करना चाहिए था और कुर्च इस  
प्रकार के होने चाहिए कि उससे तीनों की मालियत उनके अंशों के अनुपात में समान हो  
जायें। इसके अतिरिक्त प्रत्युत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि  
लेखपाल द्वारा कुर्च कब्जे के आधार पर लगाये गये हैं, मैं बल नहीं पाया जाता क्योंकि  
लेखपाल द्वारा जो कब्जा बताया गया है, वह साक्ष्य आधारित नहीं है तथा साक्ष्य की श्रेणी  
में नहीं आता। जैसा कि पत्रावली पर उपलब्ध लेखपाल के बयान दिनांक 22.3.13 से  
स्पष्ट होता है जिसमें अंकित किया गया है कि-”कुर्च मैंने कब्जे के आधार बनाये हैं।  
नियम के आधार पर नहीं बनाये हैं। मैंने वादी प्रतिवादी को कुर्च बनाने से पूर्व सूचना नहीं  
की। ३० प्र०ज०विठ० अधिनियम नियमावली की जानकारी वकीलों को होती है मुझे भी है।  
पढ़ा था, भूल गया।” इसके अतिरिक्त मालियत का बिन्दु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिसके

145

AG

(146)

...2...

विरुद्ध होने के कारण कुर्स एवं प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है कि तीनों पक्षों को इस प्रकार के कुर्स आवंटित किए जायें जिसमें कब्जे एवं मालियत के साथ साथ उनके अंशों के अनुपात में सङ्क का भाग समान रूप से प्राप्त हो सके। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली वापस की जाय तथा इस न्यायालय की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त संचयार्थ अभिलेखागार प्रेषित की जाय।

### आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.6.13 निरस्त किया जाता है तथा वाद अवर न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तीनों पक्षों को इस प्रकार के कुर्स आवंटित किए जायें जिसमें कब्जे एवं मालियत के साथ-साथ उनके अंशों के अनुपात में सङ्क का भाग समान रूप से प्राप्त हो सके। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली वापस की जाय तथा इस न्यायालय की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त संचयार्थ अभिलेखागार प्रेषित की जाय।

दिनांक: 29.11.2013

WV

(डा० कंचन सरन)  
अपर आयुक्त(न्यायिक)  
मुरादाबाद

उपरोक्त निर्णयादेश आज दिनांक 29.11.13 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

WV

(डा० कंचन सरन)  
अपर आयुक्त(न्यायिक)  
मुरादाबाद



प्रतिलिपि करता  
प्रिलेन करता  
मिति 19-12-2013



(147)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. (16)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum .....Petitioner

Versus

State of U.P. and others .....Respondents



21/10/2021

148

IN THE COURT OF THE BOARD OF REVENUE, U.P.  
ALLAHABAD

से0 अ0 N0 OF 13-14

DISTRICT:-रामपुर

Copy of BOARD'S ORDER DATED 14-3-14

PASSED in "STAY APPLICATION" in case.. राहत जान आदि

Applicant/Appellant Vs. श्रीमती शायदा खातून आदि

O.P/RESPONDENT REGARDING Village रसूलपुर नौगजा

तह0 स्वार ..... District रामपुर

IN Case u/s 176 Of U.P.Z.A. & L.R.. Act, against

THE ORDER OF THE ADDL.COMMISSIONER. मुरादाबाद

DIVISION Dated 29-11-13 Passed in Appeal/Rivision No  
56/12-13

REFATING TO TRIAL COURT SUIT NO.12/10-11.

DECIDED by उपजिलाधिकारी स्वार रामपुर Or 15-6-13...

ORDER

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और न्यायालय से अनुरोध किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-02-2014 में यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था किंतु सम्भवतः टंकण त्रुटिवश उक्त आदेश में यह अंश छूट गया है। अतः न्यायहित में यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया जाय।

2- मैंने विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में अग्रिम आदेशों तक पक्षकार मौके पर यथास्थिति बनाये रखेंगे।

(कुंवर फतेह बहादुर)

सदस्य न्यायिक

14-03-2014  
रामपुर राज

IN THE COURT OF THE BOARD OF REVENUE, U.P.  
ALLAHABAD

(149)

Case No:- 06

of 13-14

DISTRICT:- रुद्रपुर

Copy of BOARD'S ORDER DATED ..... 14-3-14 .....

PASSED in "STAY APPLICATION" in case ..... राहत ग्राम, अस्सी

Applicant/Appellant Vs. श्रीमति शामदीप राजा शर्मा अस्सी

U.P. / RESPONDENT REGARDING Village ..... रुद्रपुर अस्सी

Pargana ..... रुद्रपुर ..... District. रुद्रपुर

IN Case u/s ..... 176 ..... Of U.P.Z.A. & L.R. Act, against

THE ORDER OF THE ADDL COMMISSIONER ..... अस्सी

DIVISION Dated ..... 29-11-13 ..... Passed in Appeal/Rivision No 56) 12-13

RELATING TO TRIAL COURT SUIT NO. 52/10-11.

DECIDED by ..... अस्सी अधिकारी द्वारा दिया गया ..... On. 15-6-13.

ORDER


पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी विद्वान अधिवक्ता उपरिथित हुए और न्यायालय से अनुरोध किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-02-2014 में यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था किंतु सम्भवतः टंकण त्रुटिवश उक्त आदेश में यह अंश छूट गया है। अतः न्यायहित में यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया जाय।

2— मैंने विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में अग्रिम आदेशों तक पक्षकार मौके पर यथास्थिति बनाये रखेंगे।

(कुंवर फतेह बहादुर)

सदस्य न्यायिक

14-03-2014



Revd 14  
Copy by



15/1/2014  
श्री एन बत्रा

156

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. (17)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



ALLAHABAD  
JULY 13, 2017

१३ जुलाई २०१७

इन्हें खास खसरा ग्राम

इन्हें संख्या दी गयी है..... 142 परगणा व तहसील..... जिला..... सत्र.....

**नोट-** नकल मुताबिकः अस्सल के सही है धारा 26 के अनुसार उजरत पाकर नकल की जाती है।

(153)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. (18)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



११०३१६ २०१

### विक्रय प्रपत्र

\*\*\*\*\*

दर प्रति हेक्टेयर 0.050 हेक्टेर 32-0/- प्राते वर्ग मी० तथा 0.0290 है की  
1600/ विक्रय पत्र कीमती 200000/- बाजारी मूल्य 2114000/- स्टाम्प  
95700%

यह कि मैं राहत जान व दूलाजान व सलामतजान् व् मौ० खालिद व् मौ०  
सादिक पुत्र गण श्री भाई जान व श्रीमति जमीला पत्नी श्री भाई जॉन निं०  
गण मौहलला रसूलपुर नौगजा तहो स्वार जिला- रामपुर जाति-अन्सारी  
P.O. स्वार डाकघर स्वार का है।

यह कि मैं नीचे लिखी सम्पत्ति का, स्वामी हूँ। मुझे इस सम्पत्ति को बेचने  
का पूर्ण अधिकार है निम्न विक्रय जाने याली सम्पत्ति सब प्रकार के भार से  
मुक्त है मेरे अतिरिक्त इस सम्पत्ति का कोई अन्य स्वामी नहीं है इस  
सम्पत्ति मैं मेरे अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई  
हक नहीं है मैं शेडयूल ड्राइव का सदस्य नहीं हूँ दिने स्वस्थ मन चित एवं  
स्वेच्छा से निम्न सम्पत्ति को-.....

श्री.. श्रीमति स्वालेहा बेगम पत्नी श्री कमरखां निवासी, मौहलला रसूलपुर  
नौगजा तहो स्वार जिला- रामपुर Mob-no-9917723998

के हाथ 120.0000/- (रूपये शब्दों मैं) है: बारह लाख रूपये  
मैं जिन्हें आधे 6000.00/(रूपये शब्दों मैं) छह लाख रूपये होते हैं।

बेच दिया और विक्रय धन न प्राप्ती निम्न प्रकार है:-

यह कि समस्त विक्रयधन, मुब्लिग 1200000 रूपये सुम्मे गवाहन वसूल पा  
लिए हमने .....

यह कि इस विक्रय पत्र द्वारा मैंने विक्रय सम्पति से सम्बद्ध समस्त  
स्वामित्व व अधिकार क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है कोई विषय सुरक्षित  
नहीं रखा है और विक्रीत सम्पत्ति पर अपना सपस्त कब्जा क्षेता को  
हस्तान्तरित कर दिया है। अब मेरे समस्त अंतराधिकारियों का निम्नलिखित  
विक्रांत सम्पत्ति पर किसी प्रकार शेष नहीं रह गया। यह कि यदि भविष्य  
मैं क्रेतागण/अपना समस्त कब्जा विक्रेता के अधिकार और स्वामित्व मैं  
किशी दोष के कारण निम्नलिखित विक्रीत सम्पत्ति पर न पाये या कोई  
भार बरामद हो तो विक्रय धन पर विधित हुर्जा चर्खर्जा सहित लौटने तथा  
उस के समस्त कानूनी जिम्मेदारी मुझ विक्रेता व मेरे समस्त

शाहवर्ज रवा

(154)

उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्नों पर होगा। अतः विक्रय पत्र लिपिबद्ध कर दिया कि प्रमाण रहे विवरण विक्रय सम्पत्ति स्थित वाकै ग्राम रसूलपुर नौगजा तहसील (रामपुर)

खेतनं. 306/3 रकवा 0.0710 है० लगान 3.93 अर्थात् 790 वर्ग मी० कुल बेची हमने व विक्रय आराजी था। इ० मु० वय नहीं लिखा गया है। फोटो चेहरे का मिलान कर प्रमाणित किये गये हैं विक्रीत आराजी न० पा० प० सवार की चंगी सीमा से बाहर है प्रमाण पत्र संलग्न है तथा भूमि में 100 पेड़ पोपलर के हैं जिनकी आयु लगभग 2 वर्ष से कम है तथा प्रमाण पत्र दस्तावज से .....के साथ भी संलग्न है

वे० 1200000/- मा 2114000/-

निशन् 1000 उजरत २० शब्द लग 800 10020/- श्रीराहत जान पुत्र श्री. भाईजान पेशा-खेती/व्यापार...- पत्र निवासी मो० रसलपुर नौगजा तहसील स्वार, जिला रामपुर ने कार्यालय उप निबन्धक स्वार में आज दिनांक 29/7/15 समय मध्य 4/5 वजे दिन के प्रस्तुत किया।

उक्त श्री राहत जान व दुलाजान व सलामत जान व् मौ० खालिद व मौ० सादिक पुत्रगण की भाईजान व श्रीमती जमीला w/o भाईजान नि० गण उक्त व श्रीमती स्वालेहा बेगम w/o कमर खां नि० रसुलपुर नौगजा त० स्वार क्रेता-

इस लेखपत्र का निष्पदन किया तथा इसमें लिखत कुल मूल्य रु०, 1200000/- वारह लाख रु० पूर्व वसुल पाकर लेखपत्र का मजमुन बाद सुनने समझने के स्वीकार किया जिनका पहचान श्री फूलबाबू खां पुत्र श्री फिरासत खा निवासी रसूलपुर नौगजा व श्री. शादनवाज खां पुत्र श्री कमर खा निवासी रसूलपुर नौगजा तहसील स्वार नेकी। पक्षकारों को विहित संपत्ति से सम्बन्धित दिनांक 10.6.15 को प्राप्त प्रार्थनापत्र से अवगत कराया गया।

कर सूची के सामान्य अनुदेश स० 14 के अनुसार 0.050 है०. तक का मूल्यांकन ३२०० रु० प्रति वर्ग मी० से तथा शेष 0.029 है० का मूल्यांकन 1600 प्रति मी० से किया गया है।

आज दिनांक 29/7/2015 ई० के लिखा बा का राशिद खान तह० स्वार  
जिला रामपुर

श्री एवं वडा रण

दर शत १००% ०.०५०४८ के विक्रय प्राप्ति ३२००/- सह ७० शौ.००२५०४६ की १६००/- विक्रय पत्र कीमती २०००००/- ल. बाजारी मूल्य २१४०००/- दसाय ७५ टक्के पत्र संख्या २२

यह कि मैं रहत जान व दूला जान व सलामत जान व और खलनाथ और साईक पुल गाँव बड़ी आई जान व अभिमती उपरी लापानी अद्वी आई जान व गाँव गोहलना - रसुलपुर नेगज तट्टा - स्वार जिला - रामपुर जारी - अ-सारी P.T. ट्रार डाकबार रसुल

यह कि मैं नीचे लिखी सम्पत्ति का स्वामी हूँ। मुझे इस सम्पत्ति को बेचने का पूर्ण अधिकार है निज विक्रय जाने वाली सम्पत्ति सब प्रकार के धार से मुकर है मेरे अतिरिक्त इस सम्पत्ति का कोई अन्य स्वामी नहीं है इस सम्पत्ति पर मेरे अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई हक नहीं है मैं शेषपूल द्राइव का सदस्य नहीं हूँ मैंने स्वस्य मन चित एवं स्वेच्छा से निज सम्पत्ति को -

श्री अभिमती स्वालेह बेगम पानी अद्वी कमरखां -  
निवासी और लला - रसुलपुर नौगजा तट्टा - स्वार  
जिला - रामपुर Mob. no. ९९१६७२३९९८

के हाथ १२०००००/- (रुपये रुपयों में) छारठ लाठ  
में जिहे आधे ६०००००/- (रुपये रुपयों में) छारठ लाठ  
बेघ दिया और विक्रय धन प्राप्ति निज प्रकार है :-  
दूर कि समस्त विक्रय धन छारठ १२०००००/- ६ पर्ये सामी गहरा  
पूरा विक्रय धन रसुल पर लिया हुआ

यह कि इस विक्रय - पत्र हाता मैंने विक्रय सम्पत्ति से सम्बद्ध समस्त स्वामित्व व अधिकार क्लेता को हस्तान्तरित कर दिया है कोई विक्रय सुरक्षित नहीं रखा है और विक्रीत सम्पत्ति पर अपना समस्त कान्ना लेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब मेरे समस्त उत्तराधिकारियों का निम्नलिखित विक्रीत सम्पत्ति पर किसी प्रकार शेष नहीं रह गया।

यह कि यदि विक्रय में क्लेता गण/अपना समस्त कान्ना विक्रीत के अधिकार और स्वामित्व में किसी दोष के कारण निम्नलिखित विक्रीत सम्पत्ति पर न पाये या कोई भार बरामद हो तो विक्रय धन पर विधित हजार व छार्जा सहित लौटने तथा उस के समस्त कानूनी जिम्मेदारी मुझ विक्रीत व मेरे समस्त उत्तराधिकारियों एवं स्थानापनों पर होगा। अतः विक्रय पत्र लिपिबद्ध कर दिया कि प्रामाण रहे विवरण विक्रय सम्पत्ति स्थित

वाकै ग्राम रसुलपुर नौगजा तहसील रसुलपुर (रामपुर)  
खेत नं. ३०१/३ रक्षा ०.०१९०४० लगान ३.९३ डार्चात  
७९० वर्ग शौ.०४८ लैल बेची इमने व विक्रय आराजी वा  
इ० अ० वर्ग नहीं लिया गया है। लौटे चेहरे का  
निलान कर लूमाना त्रिप्य ३१५ है। विक्रीत आराजी  
नाप वार्षिक रक्षा नहीं दी जाती है। वार्षिक रक्षा वार्षिक रक्षा  
तथा भूमि वै.१०० पर्ये लैसेकर कर लिनेवाला देवपुर नौगजा २ क्षेत्र से कम्ह  
उमाना ये दंतवारा कर लैसेकर कर लिनेवाला देवपुर नौगजा २ क्षेत्र से कम्ह

०/१२४२

१२४२/१११  
१११/१२४२  
१२४२/१११

प्राप्ति विवरण २४२

155

(156)

क्रमांक 1000 उम्मीद 200 अवधि 1000

जी... श्रीमति दुर्गा आईजान  
वेशा खेती/व्यापारी नौजान  
सहसोल स्वार, जिला राजपुर ने कार्यालय  
घर निबन्धक स्थार में आज दिन 29/7/15  
वार्षमय मध्य 5/5 बजे दिन के प्रस्तुत किया।

उम्मीद  
स्थार

०८०-८११

इस घटी वार्षिकान ने इलाजन एवं स्लास्ट ५००  
व जी श्रीमति दुर्गा आईजान पुत्र जी  
जान एवं अभी जीला ७१० आईजान पुत्रगणजी  
आईजान एवं अभी जीला ७१० आईजान १०००००  
उक्त ७५० अभी जीला एवं ७१० कमार्जा ५०० रुपये  
बुर नौजान तरफ़ सुना —



वे इस लेखक द्वारा दिया गया राजीवार लिया तथा इसमें लिखा  
कुल राशि - 120,000/- राजीवार लिया तथा इसमें लिखा तथा  
उपरोक्त राशि का उपरोक्त राशि का उपरोक्त राशि का  
स्वीकार करा

इलाजन रुपये

पुत्र श्री दिवाली रुपये

निवासी नौजान रुपये

व श्री नौजान काठ रुपये

वेशा खेती/व्यापारी नौजान रुपये

सहसोल स्थार नौजान रुपये

को आप छापन, दूर ६ अक्टूबर २०१५ तिथि तिथि १०.६.१५

R. नौजान

शाहनवाज रफ़ा

P.T.

९५००



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

SA 207361



३०/८/११

१५००

३०/८/११


१५००

१५००

१५००

१५००/१५००

(158)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




१०.८.२०१५  
महाप्रभु

१०.८.२०१५  
महाप्रभु

१०.८.२०१५  
शाहवंशी

(159)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



19945

02-01-11

दृष्टि वा.

प्र० लक्ष्मण


मौलिक



प्र० लक्ष्मण

प्र० लक्ष्मण २०१





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

RR 209078



महापल


25

✓

10.5.2011

दूरा दा

राजनीति



महापल



कोटि दा



राजनीति



राजनीति



(161)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1200000/- ७५५ को

28



०८-११

दलील

प्रकाशना

मिस्टर ब्राह्मण

३११४८१५

प्र. उमा

मिस्टर ब्राह्मण

३११४८१५

२१।३।०।१५ रुपा

मिस्टर ब्राह्मण



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

संग्रह

RR 20963 A

3 28/11/2011



9/2-211



कैला मिठा



पूर्णमणि



मालवा



(2) 14/11/2011




प्रेसन्ट

शोधनी द्वारा

प्रेसन्ट, कैला मिठा




(164)




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 202017

3 28





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(लखा टा)

26/2/2011

28  
3



07-01-11

८५३४६

२५ एप्रिल २०११



१७ अप्रैल २०११



२५ एप्रैल २०११




१७ अप्रैल २०११



१७ अप्रैल २०११

१७ अप्रैल २०११

(166)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जिस पर ——————

प्रकाशन संख्या

28

3



अधिकारी

मैत्री

मैत्री

अधिकारी

मैत्री

मैत्री

अधिकारी


मैत्री

मैत्री

प्राप्तवान् २६

अधिकारी

(167)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20/11/2010

25  
3  
✓



10/11/2010

10/11/2010

10/11/2010

10/11/2010

10/11/2010

10/11/2010

10/11/2010


10/11/2010

10/11/2010

10/11/2010

104

(168)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8-10-2011

कृष्ण

28  
3



16-2011

2 अक्टूबर  
2011

20 अक्टूबर  
2011

2 अक्टूबर  
2011

20 अक्टूबर  
2011

कृष्ण

शाहबाज रफी

(169)




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95700/- ८५४

2000000

26  
3



मोहन काली

मोहन काली

मोहन काली

मोहन काली

मोहन काली

21/12/2011

(170)




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2022




०८-११

११-११-२०२२




८५४७३८५८

८५४७३८५८



शासनपत्र २०२

(171)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22

१०३२७६८५६




प्रमोक्ष



प्रमोक्ष

३०६९१८



श्री १०७१३ २८१

प्रमोक्ष



प्रमोक्ष



३०  
३१  
३२  
३३

(172)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

र-2154

३०-२०४८.६.

3 28

रुपये

५०००

रुपये

रुपये


५०००

रुपये



प्राप्तवाज रण

(173)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28

3

4

5

6



प्रमोक्ष



प्रमोक्ष



प्रमोक्ष




प्रमोक्ष कानू



प्रमोक्ष 27



174



## उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20993

مکالمہ

~~100~~ 110

卷之三

55 57

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

卷之三

ପ୍ରକାଶକ


100

卷之三

2016-07-25

रामवाज २०

175



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

१८-३६७५०८

५८१

२४

३

४

५

६

७

८

९

१०


११

१२

१३



(176)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

०१०२३१  
१५ मी गोपनी

२८१५४७

गोपनी ०१

३२०५

१५ गोपनी

गोपनी ०१

२०१५०३१८



(137)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31291

10.00

11.50

17 रुपये

17 रुपये

10.00

15 रुपये

17 रुपये

10.00

15 रुपये

17 रुपये

10.00

15 रुपये



17 रुपये

17 रुपये




(178)

कर सूची के सामान्य अनुक्रेश से 14 के अनुसार ०.०५० है।  
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH  
टी नं का मूलभूत ३२०० रुपये का वर्ग मीड से तचा बोण ०.०२९ है।  
का मूलधार १६०० रुपये और से लिप्त गया है।



२१७ दिसंबर २९/१२०५ के लिए वाके एवं वार  
मूलधार का रुपये



शाहजहां २७

(179)

### मानचित्र भूखण्ड

भूखण्ड संख्या.....मिन खसरा संख्या.....


स्थित.....  
२६०८६ (नोगां)

वार्ड.....  
२ परगना.....  
१५१८


चौहदी

पूर्व.....  
पश्चिम.....  
उत्तर.....  
दक्षिण.....  
२१५ १५ टम२

पश्चिम




पूर्व



ह० विक्रेता

ह० क्रेता



२१०९७४

१५ ११ १४  
शुद्धवाज रष्ट्र

(180)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*  
ANNEXURE NO. (19)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



211 E O/ P T 3 2021

181

**BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE, U.P. AT ALLAHABAD.**

**MISC. IMPLEDMENT APPLICATION No. OF 2020**  
(Under Order 1 Rule 10 (2) of C.P.C. read with Order XXII Rule 10 of C.P.C.)

On behalf of

1. Smt. Swaleha Begum, wife of Kamar Khan, resident of Mohallah Rasoolpur Naugaza, Tehsil Swar, District Rampur. ....*Applicant.*

In

**SECOND APPEAL NO. 6 OF 2013-14**

(Under Section 331(4) of the U.P.Z.A. & L.R. Act)

**DISTRICT: RAMPUR**

Rahat Jaan & Others .....*Revisionists*

**-:Versus:-**

Smt. Shayeda Khatoon & Others. ....*Respondents.*

*Misc. Impleadment application on behalf of the applicants most respectfully runs as under:-*

1. That the full facts of the case have already been narrated in the accompanying affidavit, which forms part of this application.
2. That under the circumstances narrated in the accompanying affidavit, it would be most expedient in the interest of justice that the present applicant may be impleaded and arrayed as appellant no. 7 in the memo of the above noted second appeal failing which, the applicant shall suffer great irreparable loss and injury which could not be compensated in terms of money.

21/12/2013 247

(182)

-: P r a y e r :-

It is, therefore, **Most Respectfully** prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the instant impleadment application in exercise of the powers under Order I Rule 10 (2) read with the provisions of Order XXII Rule 10, and the applicants namely Swaleha Begum wife of Kamar Khan may be impleaded as a party to the present proceedings and be arrayed as appellant no. 7 in the array of parties of the instant second appeal.

It is, further prayed that this Hon'ble Court may also be pleased to grant permission as required under Order I of the Code of Civil Procedure, to the present applicant to proceed/continue with the present second appeal in capacity of appellant and/or may pass such other and further suitable order which this Hon'ble Court may deem fit and consider proper under the circumstances of the case.

*Place : Allahabad*

*Dated : .03.2020*

(P.K. Singh 'Chandel')  
Advocate  
Counsel for the applicant.



21/09/2020

(183)

**BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE, U.P. AT ALLAHABAD.**

A f f i d a v i t

In

**MISC. IMPLEADMENT APPLICATION No. OF 2020**  
(Under Order 1 Rule 10 (2) of C.P.C. read with Order XXII Rule 10 of C.P.C.)

On behalf of

1. Smt. Swaleha Begum, wife of Kamar Khan, resident of Mohallah Rasoolpur Naugaza, Tehsil Swar, District Rampur. ....*Applicant.*

In

**SECOND APPEAL NO. 6 OF 2013-14**  
(Under Section 331(4) of the U.P.Z.A. & L.R. Act)

**DISTRICT : RAMPUR**

Rahat Jaan & Others .....*Revisionists*

**-:Versus:-**


Smt. Shayeda Khatoon & Others. .....*Respondents.*

Affidavit of Shahnawaj Khan, aged about 32 years, son of Kamar Khan, resident of Mohallah Rasoolpur, Tehsil Swar, District Rampur.

*(Deponent)*

I, the deponent, named above, do hereby solemnly affirm and

state on oath as under:



*[Signature]*

*21/6/2021*

(184)

1. That the deponent is son and pairokar of the the applicant seeking impleadment and as such, he is fully acquainted and well versed with the facts of the case deposed to below.

2. That the second appeal aforesaid has been filed against the illegal order, passed by Additional Commissioner, Moradabad Division, Moradabad wherein during pendency of the aforesaid second appeal, the appellants have decided to sell off their entire share, right and interest as they were suffering from a huge financial scarcity and were unable to contest the case any more as such the present has decided to purchase the aforesaid property against the settled sale consideration and the appellants have executed a registered sale deed in favour of the present applicant on 29.07.2015. Copy of the registered sale deed dated 29.07.2015, is being filed herewith and is marked as **Annexure No. "1"** to this affidavit.

3. That the right and interest of the appellants have now been devolved upon the present applicant as prescribed under Order XXII Rule 10 of the Code of Civil Procedure and therefore, it is expedient in the interest of justice that the present applicant may be impleaded as a party to the proceedings and be arrayed as appellant No. 7 in the present second appeal and a permission may be granted to the applicant to continue with the present second appeal as per the provisions of Order I of the Code of Civil Procedure.

4. That under the circumstances narrated herein above it would be expedient in the interest of justice that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the instant impleadment application and to implead the applicant Smt. Swaleha Begum namely Swaleha Begum wife of Kamar Khan as

21/07/2015

(185)

a party to the present proceedings and be arrayed as appellant no. 7 in the array of parties of the instant second appeal. It is, further expedient in the interest of justice that a permission, as required under Order I of the Code of Civil Procedure, may be granted to the present applicant to proceed/continue with the present second appeal in capacity of appellant, otherwise the applicants shall suffer great irreparable loss and injury which cannot be compensated in terms of money.

I, the deponent, named above, do hereby solemnly affirm and declare that the contents of paragraph no. \_\_\_\_\_ of the instant affidavit are true to the personal knowledge of the deponent; and those of paragraph nos. x of the instant affidavit are based on the record available with the deponent; and those of paragraph nos. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ of the instant affidavit are based on information received by the deponent; and those of paragraph nos. 13(p) of the instant affidavit are based on the legal advice received by the deponent; that no part of it is false and nothing material has been concealed in it.


SO HELP ME GOD.

**D e p o n e n t**

I, P.K. Singh 'Chandel', Advocate, High Court, Allahabad, do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be the deponent is known to me on the basis of the papers produced by him in this case.

**A d v o c a t e**

21/6/2011 2011



(186)

Solemnly affirmed before me on this <sup>1<sup>st</sup></sup> day of Mar., 2020 at about  
a.m./p.m., who has been identified by the aforesaid Advocate.

I have satisfied myself by examining the deponent that he fully  
understands the contents of this affidavit, which have been read over and  
explained to him in Hindi by me.

O a t h C o m m i s s i o n e r .



211E010751291

प्रिंट



(187)

न्यायालय श्री ओम प्रकाश आर्य, माननीय सदस्य, राजस्व परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद  
वाद संख्या:- SA/06/2013-2014/रामपुर  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- AL20141359991074  
राहत जान बनाम श्रीमती शायदा खातुन आदि  
अंतर्गत धारा:- 331, अधिनियम :- उ०प्र० ज०विं० एवं भूमि सुधार  
आदेश तिथि:- 08/11/2021

आदेश

1- पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पक्षकार बनाए जाने हेतु (इम्प्लीडमेंट) प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2020 को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

2- न्यायहित में पक्षकार बनाए जाने हेतु (इम्प्लीडमेंट) प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2020 उभयपक्ष की सहमति पर स्वीकार किया जाता है। तदनुसार द्वितीय अपील मेमो को नियमानुसार को संशोधित किया जाए। नए बने हुए पक्षकार को पंजीकृत नोटिस जारी हो। पत्रावली सुनवाई हेतु 09.12.2021 को प्रस्तुत हो।

(ओ०पी० आर्य)

आई०ए०एस०

सदस्य न्यायिक

08-11-2021



26.9.74  
15/11/75  
श्री एवं विजय राज

(188)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

ANNEXURE NO. (20)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents



21/2/2025

188



न्यायालय श्री साहब सिंह, माननीय सदस्य, राजस्व परिषद, उमप्र०, प्रयागराज

वाद संख्या:- SA/06/2013-2014/रामपुर

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-AL20141359991074

राहत जान बनाम श्रीमती शायदा खातून आदि

अंतर्गत धारा:- 331, अधिनियम :- उमप्र० ज०वि० एवं भूमि सुधार

आदेश तिथि:- 26/11/2024

### आदेश

प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त न्यायिक मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के न्यायालय में योजित अपील संख्या 56 वर्ष 2012-13 अंतर्गत धारा 331 उत्तर प्रदेश जर्मीदार विनाश अधिनियम शायदा खातून बनाम राहत जान आदि में पारित आदेश दिनांक 29-11-2013 के विरुद्ध योजित की गई है।

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि उपजिलाधिकारी स्वार जनपद रामपुर के न्यायालय में श्रीमती शायदा खातून ने आराजी निजाई खाता संख्या 215 के गाटा संख्या 306 रकबा 0.239हें० के बंटवारे के बावत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 176 उत्तर प्रदेश जर्मीदारी विनाश अधिनियम योजित किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुन कर उपजिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15-06-2013 के द्वारा लेखपाल द्वारा बनाये गये कुर्स दिनांक 28-02-2013 की पुष्टि करते हुए अंतिम डिक्री बनाये जाने का आदेश पारित किया। उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-06-2013 के विरुद्ध अपर आयुक्त न्यायालय में प्रथम अपील योजित की। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29-11-2013 के द्वारा उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-06-2013 को निरस्त कर प्रश्नगत प्रकरण उपजिलाधिकारी न्यायालय को पुनः निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-11-2013 से क्षुब्ध होकर यह द्वितीय अपील योजित की गई है।

द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान पूर्व पारित आदेश दिनांक 06-09-2024 के द्वारा इस द्वितीय अपील में निहित निम्न सारभूत विधिक प्रश्न विरचित किये गये—

1. क्या परिवारिक विभाजन के तथ्य को, यदि विक्रेता और बिक्री विलेख के सीमांत गवाहों सहित पक्षों के समक्ष स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे विक्रेता द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, जो वास्तव में विक्रेता के स्थान पर कदम रख रहा है?

श्री एवं विजय




(190)

2. क्या किसी विक्रेता के लिए विभाजन वाद दायर करने के आधार पर किसी विशिष्ट भूमि का टुकड़ा खरीदने के बाद दूर स्थित किसी बेहतर भूमि के टुकड़े पर दावा करना खुला है?

उपरोक्त सारभूत विधिक प्रश्नों पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि क्योंकि दोनों निचली अदालतों ने इस तथ्य पर विचार न करके कानूनी गलती की है कि वादी ने स्वयं भूमि के आयामों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए संपत्ति खरीदी है, बिक्री विलेख में स्पष्ट दावा किया है कि वह भूमि का वह हिस्सा खरीद रही है, जो उसकी मौजूदा भूमि संपत्ति भूखंड संख्या 308 से सटा हुआ है, इसलिए, किसी भी कल्पना से, वह संपत्ति के उस हिस्से को त्याग कर शेष भूमि में कोई हिस्सा नहीं मांग सकती है, जिसे उसने खरीदा है और इसलिए, निचली अदालत द्वारा जो रिमांड का आदेश दिया गया है वह मामले में शामिल वास्तविक तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार किए बिना ही है और सङ्क के किनारे की जमीन पर वादी को भूखंड आवंटित करने के निर्देश के साथ मामले को वापस भेजकर निचली अदालत द्वारा विवाद को एक नया रंग दिया गया है, इसलिए आपत्तिजनक आदेश बहुत अवैधता से ग्रस्त है। क्योंकि निचली अदालत ने कार्यवाही की यह कहकर पूरी तरह से गलत व्याख्या की है कि प्रत्येक सह-हिस्सेदार को सङ्क के किनारे की जमीन पाने का अधिकार है, जबकि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उसने 28-01-2010 के अपने विक्रय विलेख में स्पष्ट सीमाओं का उल्लेख करके एक विशिष्ट संपत्ति खरीदी है, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि नन्हे का हिस्सा/भूमि उसके द्वारा खरीदी गई भूमि के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, इसलिए निचली अदालत ने पूरी तरह से गलत व्याख्या की है। उनका यह भी कथन है कि वादी प्रतिवादी ने कभी यह तथ्य साबित नहीं किया कि उसने संपत्ति में कोई अविभाजित हिस्सा खरीदा है, जिसमें सीमाओं के आधार पर विभाजन अपेक्षित है, जबकि प्रतिवादी-अपीलकर्ता ने वादी प्रतिवादी और विक्रेता के सीमांत गवाहों को गवाह के कठघरे में पेश करके सफलतापूर्वक साबित किया है कि पारिवारिक बंटवारा लगभग 25 वर्ष पूर्व 1985 में ही हो चुका था और पिछले 25 वर्षों से संबंधित स्वामियों द्वारा अलग-अलग हिस्सों पर खेती की जा रही थी और यह भी रिकॉर्ड में आया है कि खेती करने के बजाय, नन्हे नामक शेयरधारक ने अपनी अलग जमीन पर पेढ़ लगाने का विकल्प चुना है, इसलिए मूल स्वामियों का कब्जा कभी भी संयुक्त और अलग-अलग नहीं था, इसलिए किसी भी कल्पना से निचली

३१६ नवंबर २०१५





(191)

अदालत वादी प्रतिवादी के चक को अपीलकर्ताओं की अलग जमीन पर आवंटित करने का निर्देश नहीं दे सकती थी और इसलिए निचली अदालत ने स्पष्ट कानूनी त्रुटि की है और मामले को कुर्रा के आवंटन के लिए निचली अदालत को भेज दिया है। सङ्क किनारे की भूमि पर वादी को कब्जा दिलाकर, प्रक्रिया का घोर द्रुरूपयोग किया गया। उनका यह भी कथन है कि क्योंकि निचली अदालत ने इस तथ्य को न समझकर कानून में पूरी तरह से गलती की है कि बिक्री विलेख में उल्लिखित सीमाओं के कम से कम दो पक्षों को निर्धारण कारक के रूप में लिया जाना चाहिए, जबकि जहां तक वादी प्रतिवादी द्वारा खरीदी गई भूमि के निर्धारण का संबंध है, उस संबंध में तीन निश्चित सीमाएं हैं, इसलिए बिक्री विलेख में उल्लिखित चौथी सीमा की शुद्धता के बारे में अनुमान होगा और चूंकि वादी-प्रतिवादी ने अपने द्वारा क्रेता भूमि के टुकड़े का एक विशिष्ट उल्लेख करते हुए भूमि खरीदी है, इसलिए किसी भी कल्पना से, वह अपने द्वारा खरीदी गई भूमि से बेहतर किसी भूमि का दावा नहीं कर सकती है, इसलिए, आरोपित आदेश बहुत अवैधानिक है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाये।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपजिलाधिकारी ने लेखपाल द्वारा बनाये गये नियम विरुद्ध कुर्रे के आधार पर आदेश पारित किया है। कुर्रे के सम्बन्ध में लेखपाल ने अपने बयान में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने कुर्रे कब्जे के आधार पर बनाये हैं नियम के अनुसार नहीं। लेखपाल द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया जाना कि कुर्रे नियम के विरुद्ध बनाये गये हैं अपर आयुक्त द्वारा वाद को प्रतिप्रेषित किये जाने का आधार है। अपर आयुक्त ने प्रश्नगत प्रकरण को उपजिलाधिकारी न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया है। उपजिलाधिकारी न्यायालय में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी श्रीमती शायदा खातून ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 176 के अंतर्गत वाद योजित किया। उपजिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15-06-2013 के द्वारा लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रे दिनांक 28-02-2013 की पुष्टि की है। उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-06-2013 के विरुद्ध प्रतिवादीगण ने अपर आयुक्त न्यायालय में

श्री अवगत रवा



92

अपील योजित की जिसमें अपर आयुक्त ने अपने इस कथन का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया कि प्रश्नगत प्रकरण में जो कुर्रे प्रस्तुत किये गये हैं वह नियम विरुद्ध हैं। नियम के अनुसार सड़क पर सभी पक्षकारों को अंश प्राप्त होना चाहिए परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में जो कुर्रे प्रस्तुत किये गये हैं उसमें एक पक्षकार को मुख्य सड़क पर कुर्रा प्रदान किया गया है और पक्षकारों को चकरोड़ पर कुर्रा प्रदान किया गया है। लेखपाल ने अपने बयान दिनांक 22-03-2013 में यह स्वयं स्वीकार किया है कि "कुर्रे मैंने कब्जे के आधार पर बनाये हैं नियम के आधार पर नहीं बनाये हैं। मैंने वादी प्रतिवादी को कुर्रे बनाने से पूर्व सूचना नहीं दी। उ०प्र०ज०वि० अधिनियम नियमावली की जानकारी वकीलों को होती है मुझे भी है। पढ़ा था भूल गया"। लेखपाल द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया जाना कि कुर्रे वादी एवं प्रतिवादी को सूचना दिये बिना बनाये गये हैं और नियम विरुद्ध बनाये गये हैं प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने का प्रयाप्त आधार है।

अपीलकर्ता ने प्रथम सारभूत विधिक प्रश्न 1 में यह उल्लेख किया है कि विवादित भूमि का विभाजन पारिवारिक समझौते के आधार पर हुआ था जिसे विक्रेता ने स्वीकार किया है परन्तु प्रतिवादी जोकि क्रेता हैं उन्होने अस्वीकार किया है। विक्रेता द्वारा पारिवारिक समझौता स्वीकार है तो उसे उसी पारिवारिक समझौते के आधार पर प्राप्त भूमि को ही विक्रय किये जाने का अधिकार प्राप्त है। उक्त स्थिति में उक्त स्थिति में प्रतिवादी को प्राप्त विक्रय विलेख से विदित होता है कि उसने विवादित भूमि का 1/3 अंश क्रय किया है जोकि विक्रेता के अंश में निहित है। इस प्रकार प्रस्तुत सारभूत विधिक प्रश्न सकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

अपीलकर्ता ने सारभूत विधिक प्रश्न 2 में यह उल्लेख किया कि प्रतिवादी द्वारा दूसरी भूमि को विक्रय विलेख द्वारा प्राप्त किया है और बंटवारे में किसी अन्य भूमि को प्राप्त करने के लिए वाद योजित किया है। प्रतिवादी द्वारा प्राप्त विक्रय विलेख का अवलोकन किये जाने से विदित होता है कि प्रतिवादी द्वारा आराली संख्या 306 को ही क्रय किया और बंटवारे का वाद भी आराजी संख्या 306 के लिये ही योजित किया गया है। इस प्रकार सारभूत विधिक प्रश्न 2 नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है। उपजिलाधिकारी न्यायालय में उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है। उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-11-2013 के क्रम में वाद का निस्तारण उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर गुणदोष पर करें।

२०१६ नव/जू रण



(193)

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख आदेश की सत्य प्रतिलिपि के साथ वापस भेजे जायें। अपील के लम्बनकाल में यदि कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है तो उसे इस आदेश से निरस्त माना जायेगा। वाद आवश्कय कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(साहब सिंह)

आई०ए०एस०

सदस्य (न्यायिक)

26-11-2024



M  
26.9.74  
11/11/74  
21 Dec 1974

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**

OFFICE OF

**KAMESH KUMAR ARY**

**ADVOCATE HIGH COURT  
ALLAHABAD**

In Library Hall, Central Table No. 3

High Court Allahabad.

Mob. 9335123722, 9455470833

E-Mail :- kameshkumararya@gmail.com

**Division - Moradabad**

Copy of the Order Dated- 26.11.24

District - RAMPUR

Order Passed by- *Board of Revenue Raigarh*

IN  
S.A. No - 06/2013-14

*R.D.HAT. JAAN*

Petitioner/appellant/Applicant

Versus

*Smt. SHAYDA KHATOON AND OTHERS* Respondent/ Opposite Parties

अकल प्राप्ति का पत्र नं  
 8512  
 प्राप्ति का पत्र दिनांक  
 17-12-24  
 नकल बनाने वाले का दिनांक  
 19-12-24  
 प्राप्ति का संख्या  
 8512  
 मन 2024 के अनुसार दिनांक 19-12-24

*अनुभाग अधिकारी (म्यामी)  
 राजस्व परिकल उपर्युक्त  
 प्रधानमंत्री*





195

न्यायालय श्री साहब सिंह, माननीय सदस्य, राजस्व परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज

मण्डल:- मुरादाबाद, जनपद:- रामपुर

वाद संख्या:- SA /06/2013-2014/रामपुर

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- AL20141359991074

राहत जान बनाम श्रीमती शायदा खातून आदि

अंतर्गत धारा:- 331, उ०प्र० ज०वि० एवं भूमि सुधार

आदेश तिथि:- 26/11/2024

ग्राम - रसूलपुर नौबाजा

पटा - रवाई

### आदेश

प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त न्यायिक मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के न्यायालय में योजित अपील संख्या 56 वर्ष 2012-13 अंतर्गत धारा 331 उत्तर प्रदेश जर्मांदार विनाश अधिनियम शायदा खातून बनाम राहत जान आदि में पारित आदेश दिनांक 29-11-2013 के विरुद्ध योजित की गई है।

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि उपजिलाधिकारी स्वार जनपद रामपुर के न्यायालय में श्रीमती शायदा खातून ने आराजी निजाई खाता संख्या 215 के गाटा संख्या 306 रकबा 0.239हें० के बंटवारे के बावत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 176 उत्तर प्रदेश जर्मांदारी विनाश अधिनियम योजित किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुन कर उपजिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15-06-2013 के द्वारा लेखपाल द्वारा बनाये गये कुरे दिनांक 28-02-2013 की पुष्टि करते हुए अंतिम डिक्री बनाये जाने का आदेश पारित किया। उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-06-2013 के विरुद्ध अपर आयुक्त न्यायालय में प्रथम अपील योजित की। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29-11-2013 के द्वारा उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-06-2013 को निरस्त कर प्रश्नगत प्रकरण उपजिलाधिकारी न्यायालय की पुनः निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-11-2013 से क्षुब्द्ध होकर यह द्वितीय अपील योजित की गई है।

द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान पूर्व पारित आदेश दिनांक 06-09-2024 के द्वारा इस द्वितीय अपील में निहित निम्न सारभूत विधिक प्रश्न विरचित किये गये—

1. क्या पारिवारिक विभाजन के तथ्य को, यदि विक्रेता और बिक्री विलेख के सीमांत गवाहों सहित पक्षों के समक्ष स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे विक्रेता द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, जो वास्तव में विक्रेता के स्थान पर कदम रख रहा है?

2. क्या किसी विक्रेता के लिए विभाजन वाद दायर करने के आधार पर किसी विशिष्ट भूमि का टुकड़ा खरीदने के बाद दूर स्थित किसी बेहतर भूमि के टुकड़े पर दावा करना खुला है?

उपरोक्त सारभूत विधिक प्रश्नों पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं पत्रावली की अवलोकन किया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि क्योंकि दोनों निचली अदालतों ने इस तथ्य पर विचार न करके कानूनी गलती की है कि वादी ने स्वयं भूमि के आयामों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए संपत्ति खरीदी है, बिक्री विलेख में स्पष्ट दावा किया है कि वह भूमि का वह हिस्सा खरीद रही है, जो उसकी मौजदा भूमि संपत्ति भ्रंड संख्या 308 से सटा हुआ है, इसलिए किसी भी कल्पनी से, वह संपत्ति के उस हिस्से को त्याग कर शेष भूमि में कोई हिस्सा नहीं मांग सकती है, जिसे उसने खरीदा है और इसलिए, निचली अदालत

ना





196

द्वारा जो रिमांड का आदेश दिया गया है वह मामले में शामिल वास्तविक तथ्यात्मक मैटिक्स पर विचार किए बिना ही है और सड़क के किनारे की जमीन पर वादी को भैंखंड आवंटित करने के निर्देश के साथ मामले को वापस भेजकर निचली अदालत द्वारा विवाद को एक नया रंग दिया गया है, इसलिए आपृत्तिजनक आदेश बहुत अवैधता से ग्रस्त है। क्योंकि निचली अदालत ने कायेवाही की यह कहुकर परी तरह से गलत व्याख्या की है कि प्रत्येक सह-हिस्सेदार को सड़क के किनारे की जमीन पाने का अधिकार है, जबकि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उसने 28-01-2010 के अपने विक्रय विलेख में स्पष्ट सीमाओं का उल्लेख करके एक विशिष्ट संपत्ति खरीदी है, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि नन्हे का हिस्सा/भूमि उसके द्वारा खरीदी गई भूमि के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, इसलिए निचली अदालत ने पूरी तरह से गलत व्याख्या की है। उनका यह भी कथन है कि वादी प्रतिवादी ने कभी यह तथ्य साबित नहीं किया कि उसने संपत्ति में कोई अविभाजित हिस्सा खरीदा है, जिसमें सीमाओं के आधार पर विभाजन अपेक्षित है, जबकि प्रतिवादी-अपीलकर्ता ने वादी प्रतिवादी और विक्रेता के सीमांत गवाहों को गवाह के कठघरे में पेश करके सफलतापूर्वक साबित किया है कि पारिवारिक बटवारा लगभग 25 वर्ष पूर्व 1985 में ही हो चुका था और पिछले 25 वर्षों से संबंधित स्वामियों द्वारा अलग-अलग हिस्सों पर खेती की जा रही थी और यह भी रिकार्ड में आया है कि खेती करने के बजाय, नन्हे नामक शेयरधारक ने अपनी अलग जमीन पर पेड़ लगाने का विकल्प चुना है, इसलिए मूल स्वामियों का कब्जा कभी भी संयुक्त और अलग-अलग नहीं था, इसलिए किसी भी कल्पना से निचली अदालत वादी प्रतिवादी के चक को अपीलकर्ताओं की अलग जमीन पर आवंटित करने का निर्देश नहीं दे सकती थी और इसलिए निचली अदालत ने स्पष्ट कानूनी त्रटि की है और मामले को कुर्रा के आवंटन के लिए निचली अदालत की भैंज दिया है। सड़क किनारे की भूमि पर वादी को कब्जा दिलाकर प्रक्रिया का घार दुरुपयोग किया गया। उनका यह भी कथन है कि क्योंकि निचली अदालत ने इस तथ्य को न समझकर कानून में परी तरह से गलती की है कि बिक्री विलेख में उल्लिखित सीमाओं के कम से कम दो पक्षों को निर्धारण कारक के रूप में लिया जाना चाहिए, जबकि जहां तक वादी प्रतिवादी द्वारा खरीदी गई भूमि के निर्धारण का संबंध है, उस संबंध में तीन निश्चित सीमाएं हैं, इसलिए बिक्री विलेख में उल्लिखित चौथी सीमा की शुद्धता के बारे में अनुमान हांगा और चूंकि वादी-प्रतिवादी ने अपने द्वारा क्रेता भूमि के टुकड़े का एक विशिष्ट उल्लेख करते हुए भूमि खरीदी है इसलिए किसी भी कल्पना से, वह अपने द्वारा खरीदी गई भूमि से बेहतर किसी भूमि का दावा नहीं कर सकती है, इसलिए आरोपित आदेश बहुत अवैधानिक हैं। उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाये।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपजिलाधिकारी ने लेखपाल द्वारा बनाये गये नियम विरुद्ध कुर्रों के आधार पर आदेश पारित किया है। कुर्रे के सम्बन्ध में लेखपाल ने अपने बैयान में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने कुर्रे कब्जे के आधार पर बनाये हैं नियम के अनुसार नहीं। लेखपाल द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया जाना कि कुर्रे नियम के विरुद्ध बनाये गये हैं अपर आयुक्त द्वारा वाद को प्रतिप्रेषित किये जाने का आधार है। अपर आयुक्त ने प्रश्नगत प्रकरण को उपजिलाधिकारी न्यायालय में पुनः सुनवाई हतु प्रतिप्रेषित किया है। उपजिलाधिकारी न्यायालय में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी श्रीमती शायदा खातून ने उत्तर प्रदेश



197

जर्मिंदारी विनाश अधिनियम की धारा 176 के अंतर्गत वाद योजित किया। उपजिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15-06-2013 के द्वारा लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कर्र दिनांक 28-02-2013 की पुष्टि की है। उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-06-2013 के विरुद्ध प्रतिवादीगण ने अपर आयुक्त न्यायालय में अपील योजित की जिसमें अपर आयुक्त ने अपने इस कथन का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया कि प्रश्नगत प्रकरण में जो कुर्रे प्रस्तुत किये गये हैं वह नियम विरुद्ध हैं। नियम के अनुसार सङ्क पर सभी पक्षकारों की अंश प्राप्त होना चाहिए परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में जो कुर्रे प्रस्तुत किये गये हैं उसमें एक पक्षकार को मुख्य सङ्क पर कुर्रा प्रदान किया गया है और पक्षकारों को चक्रोड पर कुर्रा प्रदान किया गया है। लेखपाल ने अपने बयान दिनांक 22-Q3-2013 में यह स्वयं स्वीकार किया है कि “कुर्रे मैनें कब्जे के आधार पर बनाये हैं नियम के आधार पर नहीं बनाये हैं। मैनें वादी प्रतिवादी को कुर्रे बनाने से पूर्व सचना नहीं दी। उ०प्र०ज०वि० अधिनियम नियमावली की जानकारी वकीलों को होती है मझे भी है। पढ़ा था भूल गया”। लेखपाल द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया जाना कि कुर्रे वादी एवं प्रतिवादी को सचना दिये बिना बनाये गये हैं और नियम विरुद्ध बनाये गये हैं प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने का प्रयाप्त आधार है।

अपीलकर्ता ने प्रथम सारभूत विधिक प्रश्न 1 में यह उल्लेख किया है कि विवादित भूमि का विभाजन पारिवारिक समझौते के आधार पर हुआ था जिसे विक्रेता ने स्वीकार किया है परन्तु प्रतिवादी जोकि क्रेता हैं उन्होंने अस्वीकार किया है। विक्रेता द्वारा पारिवारिक समझौता स्वीकार है तो उसे उसी पारिवारिक समझौते के आधार पर प्राप्त भूमि को ही विक्रय किये जाने का अधिकार प्राप्त है। उक्त स्थिति में उक्त स्थिति में प्रतिवादी को प्राप्त विक्रय विलेख से विदित होता है कि उसने विवादित भूमि का 1/3 अंश क्रय किया है जोकि विक्रेता के अंश में निहित है। इस प्रकार प्रस्तुत सारभूत विधिक प्रश्न सकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

अपीलकर्ता ने सारभूत विधिक प्रश्न 2 में यह उल्लेख किया कि प्रतिवादी द्वारा दूसरी भूमि को विक्रय विलेख द्वारा प्राप्त किया है और बंटवारे में किसी अन्य भूमि को प्राप्त करने के लिए वाद योजित किया है। प्रतिवादी द्वारा प्राप्त विक्रय विलेख का अवलोकन किये जाने से विदित होता है कि प्रतिवादी द्वारा आराजी संख्या 306 को ही क्रय किया और बंटवारे का वाद भी आराजी संख्या 306 के लिये ही योजित किया गया है। इस प्रकार सारभूत विधिक प्रश्न 2 नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है। उपजिलाधिकारी न्यायालय में उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है। उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-11-2013 के क्रम में वाद का निस्तारण उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर गुणदोष पर करें।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख आदेश की सत्य प्रतिलिपि के साथ वापस भेजे जायें। अपील के लम्बनकाल में यदि कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है तो उसे इस आदेश से निरस्त माना जायेगा। वाद आवश्कय कायवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

28.11.2024

(साहब सिंह)

आई०ए०एस०

सदस्य (न्यायिक)

26-11-2024

प्रतिलिपि कर्ता \_\_\_\_\_

मिलन कर्ता \_\_\_\_\_

मिथि ..... 19-12-24

सत्य प्रतिलिपि

19.12.2024

मनुभाग अधिकारी

न्याय विभाग, राजस्व परिषद्

उ० प्र०, इलाहाबाद

CA-8172  
2-12-2024

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**

VERIFICATION PHOTO

Advocate Roll :	A/K0072/12
Name :	SHAHNAWAZ KHAN
Father's/Husband Name :	QUMAR KHAN
Address :	45 MO RASULPUR WARD NO. 14 SUAR RAMPUR UP
Adhar-card	5888 2204 0236
Date/Time :	19-12-2024 / 10:16 AM
Operator Id- 45	
COURT COPY	



(198)

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**

\*\*\*\*\*

**AFFIDAVIT  
IN****CIVIL MISC. WRIT PETITION NO****OF 2025****(Under Article 226 of the Constitution of India)****DISTRICT: RAMPUR****Smt. Swaleha Begum Wife of Qumar Khan.****Resident of Mohalla Rasoolpur Naugaza, Tehsil Swar, District-Rampur. -----Petitioner.****Versus**

1. State of U.P. through it's Secretary, Department of Revenue Civil Secretariat U.P. at Lucknow.
2. Board of Revenue, U.P. at Allahabad.
3. Additional Commissioner (Judicial) Moradabad Mandal Moradabad.
4. Sub-Divisional Magistrate Swar, District-Rampur.
5. Tehsildar, Tehsil-Swar, District-Rampur.
6. Nagar Palika Parishad, Swar, District- Rampur, through its Executive Officer.
7. Smt. Shayada Khatoon wife of Fazle Ahamad.
8. Rahat Jaan son of Late Bhai Jaan
9. Dulha Jaan son of Late Bhai Jaan
10. Salamat Jaan son of Late Bhai Jaan
11. Mohd. Khalid son of Late Bhai Jaan
12. Mohd. Sadiq son of Late Bhai Jaan
13. Smt. Jamila wife of Late Bhai Jaan

**Respondent no. 7 to 13 are residing in Mohalla Rasoolpur Naugaza, Tehsil Swar, District- Rampur.****.....-Respondents.**

Affidavit of Shahnawaz khan Aged about 38 years son of Qumar khan, Resident of 45 mo Rasoolpur, ward no.14, swar, District Rampur. Nationality Indian, Religion Islam, Occupation Agricultural.

११३०/१३ २०८





(198)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO

OF 2025

(Under Article 226 of the Constitution of India)

DISTRICT: RAMPUR

Smt. Swaleha Begum Wife of Qumar Khan.

Resident of Mohalla Rasoolpur Naugaza, Tehsil Swar, District-Rampur. -----Petitioner.

Versus

1. State of U.P. through it's Secretary, Department of Revenue Civil Secretariat U.P. at Lucknow.
2. Board of Revenue, U.P. at Allahabad.
3. Additional Commissioner (Judicial) Moradabad Mandal Moradabad.
4. Sub-Divisional Magistrate Swar, District-Rampur.
5. Tehsildar, Tehsil-Swar, District-Rampur.
6. Nagar Palika Parishad, Swar, District- Rampur, through its Executive Officer.
7. Smt. Shayada Khatoon wife of Fazle Ahamad.
8. Rahat Jaan son of Late Bhai Jaan
9. Dulha Jaan son of Late Bhai Jaan
10. Salamat Jaan son of Late Bhai Jaan
11. Mohd. Khalid son of Late Bhai Jaan
12. Mohd. Sadiq son of Late Bhai Jaan
13. Smt. Jamila wife of Late Bhai Jaan

Respondent no. 7 to 13 are residing in Mohalla Rasoolpur Naugaza, Tehsil Swar, District- Rampur.

.....-Respondents.

Affidavit of Shahnwaz khan Aged about 38 years son of Qumar khan, Resident of 45 mo Rasoolpur, ward no.14, swar, District Rampur. Nationality Indian, Religion Ishlam, Occupation Agricultural.

२१३०९१ २०१



(199)

Aadhar No.5888 2204 0236

**(Deponent)**

I, the deponent above named, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

- That the deponent is the son of petitioner in the above noted case and doing pairvi on behalf of the petitioner and as such, he has well acquainted with the facts of the case deposed to below.

I, the deponent above-named do hereby swear that the contents of para no. 1 of the affidavit and those of para nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 21, 22, 33 to 48 of the writ petition are true to my personal knowledge; those of paragraph nos. 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 of the writ petition are based on the record and those of para nos. 49, 50, 51 of the writ petition are based on the information received and those of para nos. 49, 50, 51 of the writ petition are based on the legal advice which the deponent believes to be true that no part of the affidavit is false and nothing material has been concealed in it.

**So Help Me God**

Vide

RTED 0/3/201

**(Deponent)**

I, **KAMESH KUMAR ARYA**, Advocate, High Court, Allahabad do hereby declare that the person making this

RTED 0/3/201

(199A)


affidavit and alleging himself to be the deponents are the same person who is known to me from the papers produced in the case.

Advocate,

Solemnly affirmed before me on this .../.../... day of January, 2025 at about ...:...a.m./p.m. by the deponent who has been identified by the aforesaid Advocate.

I have satisfied myself by examining the deponents that he understood the contents of this affidavit which have been read over and explained to them by me.


**OATH COMMISSIONER**



21/01/2025

200





(201)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

VAKALATNAMA

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.

OF 2025

(Under Article 226 of Constitution of India)

(DISTRICT- RAMPUR)

Smt. Swaleha Begum

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and others .....Respondents

I, Smt. Swaleha Begum Wife of Qumar Khan, Resident of Mohalla Rasoolpur Naugaza, Tehsil Swar, District Rampur, Petitioner in the above petition do hereby appoint and retain to-

**KAMESH KUMAR ARYA**

Advocate, High Court, Allahabad  
Enroll. No. U.P. 9507/01

Roll of Advocate—A/K-0072/2012  
In High Court Library Hall, Central Table No.3  
Resi. 144/115 Tagore Town, Gitanjali Complex  
Allahabad-211002 U.P. Phone: 9335123722

to act and appear for me in the above Petition and on my behalf to conduct and prosecute of (defend) the same and all proceedings that may be taken in respect of any application connected with the same or any decree or order passed therein, including proceedings in taxation and applications for Review, to file and obtain return of documents, and to deposit and receive money on my/our behalf in the said Petition and in applications of Review and to represent and to take all necessary steps on my behalf in the above matter. I agree to ratify acts done by the aforesaid advocate in pursuance of this authority.

I appoint the said lawyer with the above mentioned authorities after setting the fee and agree that whatever shall be done by the said lawyer in connection with the said proceedings shall be binding on me

Date 19 this the 12 Day of 2024

Signature.....Signature.....Signature .....

R.T.Z-SWALEHA BEGUM

Signature.....Signature .....

Witness.....Witness.....

Swaleha Begum  
A/K-0072/2012

T.B.C. 80003  
H.C. A.D.D.I.D.B.H.D

ACCEPTED

Swaleha Begum

KAMESH KUMAR ARYA  
Advocate  
Enroll No. U.P. 9507/01  
Roll of Advocate—A/K-0072/2012  
Counsel for the petitioner  
Dated. 19 /12/2024





AF0006823986



Verified by:  
SHASHANK

Checked by:  
SUMIT BAGHEL



**Court No. - 50**

**Case :- WRIT - B No. - 248 of 2025**

**Petitioner :-** Smt. Swaleha Begum

**Respondent :-** State Of U.P. And 12 Others

**Counsel for Petitioner :-** Kamesh Kumar Arya

**Counsel for Respondent :-** C.S.C., Vikrant Pandey

**Hon'ble Chandra Kumar Rai,J.**

1. Heard Sri Kamesh Kumar Arya, learned counsel for the petitioner, Sri Rajesh Srivastava, learned Standing Counsel for the State and Sri Vikrant Pandey, learned counsel for the respondent no.6-Nagar Palika Parishad.

2. Learned counsel for the petitioner submitted that in Partition Suit a preliminary decree was passed on 02.01.2013 and "Qura" was confirmed vide order dated 15.06.2013. He further submitted that in appeal the order of Trial Court was set aside by appellate Court in arbitrary manner and matter has been remitted back before the Trial Court to decide the proceeding afresh, which is abuse of process of law. He next submitted that second appeal against the order of first appellate Court has also been dismissed in arbitrary manner.

3. Matter requires consideration.

4. Issue notice to respondent nos. 7 to 13 returnable at an early date.

5. Steps be taken within two weeks.

6. Respondent nos. 7 to 13 shall file counter affidavit within six weeks.

7. Rejoinder affidavit shall be filed within two weeks thereafter.

8. List this matter on **04.04.2025**.

9. Until further orders of this Court further proceeding in pursuance of the order dated 29.11.2013 passed by respondent no. 3-Additional Commissioner (Judicial) Moradabad Division, Moradabad ***shall remain stayed***.

**Order Date :-** 7.2.2025

Neetu